हस्तक्षेप

भ्रामक उद्देश्य

Cross Pruposes का हिन्दी अनुवाद

लेखक
मिलिन्द ओक

अनुवादक
ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम् जगत् सर्वम् ॥
India Policy Foundation
भारत नीति प्रतिष्ठान

विषय सूची

भूमिका

अध्याय 1 एक दृष्टिक्षेप में

1. जनसांख्यिकी तीन मान्यताएं
2. संस्थाएं विविध श्रेणियां
3. संस्थाएं विदेशी धन पाने वाली प्रमुख संस्थाएं

अध्याय 2 प्रमुख संस्थाएं

चर्च

1. संगठन
2. शिक्षा एवं सामाजिक कार्य
3. मानव संसाधन
4. धन स्रोत
5. अचल संपत्ति
6. विवाद

   योहानन साम्राज्य

   वर्ल्ड विजन

   एक्शन एड

   कासा

   कारितास

अध्याय 3. धर्मप्रसार और धर्मपरिवर्तन

हम सब एक है

धर्मपरिवर्तन के विविध तरीके

धर्मान्तरण का संख्यात्मक लेखा जोखा

1. पूर्व के अध्ययन और उनकी वर्तमान स्थिति
2. आंध्र प्रदेशः एक अध्ययन
3. भारत का वर्तमान दृश्य

अध्याय 4 वैश्विक संदर्भ

उपसंहार

भूमिका

मार्क्सवादी सोच में धर्म की अफीम से तुलना की गई है। इस तुलना के तहत धर्म को एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में माना जाता है जो लोगों के जीवन पर व्यक्तिगत रूप से और सामुदायिक रूप से असर करता है। पूर्वी तिमोर और सूडान में हाल में हुए घटना क्रम को देखते हुए इसे एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में देखा जा सकता है। धर्म के इसी प्रभाव ने इन देशों की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों को बदला है। भारतीय समाज में एक दूसरे से आपस में मजबूती से जुड़े ईसाई समुदाय में धर्म के प्रभावों की पड़ताल करना इस अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

1999 में जब पोप भारत आए थे तब उनका संदेष धर्म के प्रभाव की कहानी को बहुत अच्छी तरह बयान कर गया। अपने संदेष में उन्होंने कहा था, "जैसे पहली सहस्त्राब्दी में क्रॉस पूरे यूरोप में स्थापित हो गया था और दूसरी सहस्त्राब्दी में अमेरिका और अफ्रीका में क्रॉस का आधिपत्य हो गया था, वैसे ही हम यह प्रार्थना कर सकते हैं कि तीसरी सहस्त्राब्दी में इस महाद्वीप में ईसाईयत का झंडा फहराने लगे।" संभवत: पोप का इशारा भारतीय उपमहाद्वीप और इससे लगे दूसरे देशों की ओर था, जहां उनकी चाहत ईसाई धर्म का बड़े पैमाने पर फैलाव करने की थी। हालांकि, तब पोप के इस कथन की आलोचना भी हुई थी लेकिन इस आलोचना में उस तथ्य की अनदेखी की गई थी जिसमें पोप एक पूरी सहस्त्राब्दी की योजना पर बात कर रहे थे। इतिहास कुछ सीमा तक पोप के कथन को सही ठहराता है। दुनिया में पोप के साम्राज्य का एक इतिहास रहा है और यह साम्राज्य अपनी इसी योजनागत प्रवृत्ति के चलते ही पिछले दो हजार साल में अपना अस्तित्व बनाकर रख सका है। तुलनात्मक रूप से देखें तो ईसाई धर्म की तुलना में हिन्दुत्व ने कई हजार साल की अवधि में भगवान के अवतारों के रूप में लोगों के दिमाग पर असर किया है। पर ये सभी व्यक्ति थे। पोप एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। हिन्दुत्व का प्रसार 'अवतार' स्वरूप व्यक्तियों के आदर्शों के प्रभाव में हुआ है, जबकि ईसाई धर्म में यह सब कुछ संस्थागत तरीके से किया गया है। इसलिए ईसाईयत के संदर्भ में संस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।

इंटरनेट आज की दुनिया का एक ऐसा औजार है जिसको लेकर बुद्धिजीवियों के दिलो–दिमाग में सबकुछ साफ नहीं है। मोटे तौर पर यह एक ऐसी तकनीकी है जो व्यक्तियों के बीच सामग्री का आदान–प्रदान करती है, लेकिन इस तकनीकी के तेजी से हो रहे प्रसार और तुरंत मिलनेवाली प्रतिक्रियाओं के चलते यह पूरी तकनीकी आज एक मीडिया के रूप में उभर कर सामने आने लगी है। एक ऐसा मीडिया जो सामाजिक–राजनीतिक परिस्थितियों पर गहरा असर करने वाला बन गया है। अरब देशों में जो कुछ भी हुआ जिस तरह के राजनीतिक उतार–चढ़ाव देखने को मिले वह कहीं न कहीं इंटरनेट से प्रभावित भी लगते हैं। इंटरनेट के प्रयोग से ही आतंकवादी ताकतें पूरे विश्व में तालमेल बनाने में कामयाब हो सकी हैं।

उपर्युक्त ये तीनों कारक इस अध्ययन को एक दिशा देने का साधन बने हैं। इसलिए इसे गंभीरता से समझने की जरूरत भी है।

धर्म और धार्मिक विचार मनुष्य के दिमाग पर असर करते हैं लेकिन यह किसी भी तरीके से एक मात्र प्रभाव नहीं हो सकते जो मनुष्य को पूरी तरह से बदल दे। मानव व्यवहार कई तरह की ताकतों से मिलकर बना है और धर्म उनमें से एक है। पूरे ईसाई समुदाय को रूढ़ीवादी और धर्म से प्रभावित समुदाय मान लेना भी ठीक नहीं होगा। इस अध्ययन का ऐसा कोई इरादा भी नहीं है और न ही हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है। पर इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी होगा कि धार्मिक संस्थाएं ईसाई लोगों के दिमाग पर क्या असर कर रही हैं।

धन, अचल सम्पत्ति, मानव संसाधन, पदों की वरीयता और प्रबंधन किसी भी संस्था के जरूरी अंग हैं। किसी भी संस्था का उचित या अनुचित प्रबंधन उस संस्था के प्रभाव और समाज पर पड़ने वाले असर को स्थापित करता है। भारत जैसे देश में जहां ईसाईयों की कुल संख्या की तुलना में ईसाई संस्थानों की संख्या ज्यादा है वहां इस तथ्य को समझना और इसका अध्ययन करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के ईसाई संस्थानों के संदर्भ में अमेरिका और यूरोप से मिलनेवाली विदेशी फंडिंग और प्रभाव प्रमुख कारक हैं। इसीलिए उन देशों के ईसाई संस्थानों को वर्तमान स्थिति का अध्ययन बहुत प्रासंगिक और आवश्यक हो जाता हैं क्योंकि उनकी मदद से ही ये संस्थाएं भारत में अपना भविष्य तय कर सकती हैं।

इंटरनेट से प्राप्त की गई जानकारियों को लेकर शुरुआती हिचक इसलिए भी होती है क्योंकि इन जानकारियों की साख और वास्तविकता को लेकर हमेशा सवालिया निशान खड़ा रहता है। क्योंकि बड़ी तादाद में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों ने अपनी सोच और समझ के अनुसार जानकारी लिखकर रखी है। फिर भी अगर हम विभिन्न स्रोतों से मिलनेवाली जानकारियों और उस संबंधी स्रोतों की जानकारी के आधार पर कोई फर्क कर सकें तो हमें उचित जानकारी मिल सकती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनेक सरकारों की वेबसाइटों का इस्तेमाल प्रमाणित जानकारी के लिए किया जा सकता है। कई अदालतों के फैसले, उनकी पृष्ठभूमि और फैसलों से संबंधित जरूरी जानकारी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। संगठनों या संस्थाओं की वेबसाइट और न्यूज लेटर में उपलब्ध जानकारी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वह तथ्यपरक हो या नहीं, लेकिन उस संस्था के अधिकृत विचार के रूप में इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह विभिन्न मीडिया समूहों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित की जानेवाली जानकारी के बारे में आमतौर पर यही माना जाता है कि इनके तथ्यों की पुष्टि जरूर की जा चुकी होगी। व्यक्तिगत ब्लॉग, यात्रा–वृतांत और ऐसे ही दूसरे व्यक्तिगत विचारों को भी सूचना के एक स्रोत के रूप में विश्वसनीय माना जा सकता है। इस अध्ययन में उपयोग की गई सामग्री मोटे तौर पर इन पांच अलग–अलग तरह के स्रोतों पर आधारित है जिनकी समय–समय पर विभिन्न स्रोतों से पुष्टि करने के भरसक प्रयास भी किए गए। इस अध्ययन में जरूरी वैश्विक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भों के अलावा पूरी तरह भारत में 2000–2012 तक की अवधि में ईसाई संस्थाओं की स्थिति और गतिविधियों को लेकर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे अगर किसी पाठक के दिमाग में किसी तरह के सवाल पैदा होते हैं तो वह सवाल आज के हैं और शायद निकट भविष्य में पड़नेवाले प्रभावों से संबंधित हैं। इसलिए इन सभी सवालों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है।

प्राक्कथन

सामाजिक धार्मिक संगठनों की किसी भी समाज में अहम भूमिका होती है। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों के जीवन को प्रभावित करते है। वास्तव में वे लोगों के सामाजिक दर्शन और उनकी क्रियात्मकता को आधार प्रदान करते है। अतः यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसी संस्थाएँ अपने समर्थकों की वैश्विक दृष्टि निर्माण करने में निर्णायक भूमिका अदा करती है। सिस्टर जस्में ने अपने आत्मचरित्र "आमेन" में ठीक ही लिखा है कि "धार्मिक अधिकारी पढ़ाते है, निर्देशित करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, उत्तेजित करते हैं, सांत्वना देते हैं। व्यावहारिक रूप से वे अपने निकट के लोगों के सभी आयामों का स्पर्श हैं। आगे उन्होंने बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया है कि "तब भी अधिकांश लोगों के लिए धार्मिक संसार रहस्य बना होता है। मेरा आग्रहपूर्वक सवाल है कि सामान्य चीजों के चारों तरफ इतनी अधिक गोपनीयता क्यों बनायी जाती हैं।" सिस्टर जस्में ने चर्च की संरचना में जो अनुभव किया उसे अपने आत्मचरित्र में प्रस्तुत किया है। लेकिन जहाँ भी धार्मिक संगठनों ने 'रहस्य' के द्वारा पारदर्शिता का अवमूल्यन करने का काम किया है वहाँ उनकी भूमिका रचनात्मक नहीं रह जाती है।

किसी पंथनिरपेक्ष जनतांत्रिक समाज में धार्मिक स्वतंत्रता लोगों के विकास एवं खुशहालीपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार सामाजिक–धार्मिक संगठनों को अपनी गतिविधियों के लिए वैधानिक मान्यता और संवैधानिक गारंटी प्राप्त होती है वे निर्विघ्न रूप से अपने दर्शन का प्रचार–प्रसार करती है।

भारत जैसे देश में ऐसी संस्थाओं की भरमार है। ये संस्थाएँ अनेक प्रकार की सामाजिक–आर्थिक परियोजनाएँ चलाती है इसके 'परोपकारी कार्यों' का उद्देश्य अपना आधार फैलाना, अपनी गतिविधियों को नैतिक वैधानिकता देना और अपने अस्तित्व के औचित्य को स्थापित करना होता है। अतः इनमें अनेक संस्थाओं का स्वरूप गैर–सरकारी संगठनों (NGO) जैसा हो गया है। वे अपनी गतिविधियों के लिए विदेशों से पर्याप्त धन (अनुदान / दान / चंदा के रूप में) प्राप्त करती है। भारत सरकार ने इसे नियमित करने के लिए Foreign Contribution regulation Act (FCRA) बनाया है। इसका मूल उद्देश्य विदेशों से मिलने वाले काले धन के उद्देश्य,पात्रता, दान देने वालों का असली मकसद और धन का उपयोग पर वैधानिक नियंत्रण रखना है। इस प्रकार दो बुनियादी प्रश्न खड़े होते हैं। चंदा (Donation) देने वाली संस्थाओं की प्रवृति क्या है? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं की पृष्ठभूमि क्या है? और क्या वे धन का उपयोग घोषित उद्देश्यों के लिए ईमानदारीपूर्वक करती हैं?

इसमें दो राय नहीं कि देश में अनेक स्वैच्छिक संस्थाएँ सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान कर

रही हैं। हासिये पर खड़े लोगों को इन संस्थाओं के द्वारा धन मिलती है। गरीब लोगों, झुग्गि–बस्तियों, शहरी गरीबों को ऐसी संस्थाओं से मदद मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी संस्थाओं की भी कमी नहीं है जो अपने घोषित उद्देश्यों से हटकर विदेशी धन का दुरूपयोग कर रही है। वे इस प्रकार धन का उपयोग 'पहचान की राजनीति' को बल देने, राज्य के विकास कार्यों के प्रति भ्रम फैलाने और अपने समर्थकों में 'अलगाव' की भावना पैदा करने के लिए कर रही है। इस तरह की संस्थाओं की गतिविधियों को सुनियोजित ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति भी दे दी जाती है। इस प्रकार उनकी 'पहचान' उनकी 'ताकत' बन जाती है। इस प्रकार इन संस्थाओं को मिलने वाले धन, उनके उपयोग और उसके सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणामों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

भारत जैसे जनतांत्रिक देश में जहाँ पर्याप्त सामाजिक–धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है वहाँ स्वतंत्रता स्वच्छंदता और अराजक मनोवृत्ति में परिणत न हो इसलिए इन संस्थाओं का शोधपूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो जाता है। यह लोगों को अपने बिच कार्यरत संस्थाओं को समझने में भी मदद करेगा अनेक हिन्दू मठ, मंदिर, सम्प्रदाय और ट्रस्ट हैं जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ करती हैं। उसी प्रकार ईसाई संस्थाओं के द्वारा भी ' मिशनरी गतिविधियाँ' होती हैं। दोनों में एक बुनियादी फर्क है। पहली श्रेणी की संस्थाएँ मूलतः स्वदेश में अर्जित धन पर निर्भर हैं जबकि दूसरी श्रेणी की संस्थाओं की निर्भरता विदेशी योगदानों पर है। भारत के गृह मंत्रालय के रिपोर्ट में विदेशी योगदानकर्ताओं एवं धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी जाती हैं।। दूसरी तरफ जिन संस्थाओं को धन प्राप्त होता है उनकी वेबसाईटों पर उनके उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों, उनकी संरचना की जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं। ईसाई संस्थाएँ चर्च केन्द्रित हैं। अतः उनकी संरचना, उद्देश्य और गतिविधियों और विदेशों में उनके सम्बन्ध, उनके विदेशी मातृ संगठनों के उद्देश्यों को समझाना जरूरी है। इसी आलोक में उन्हें मिलने वाला धन और उसके उपयोग का विश्लेषण किया जा सकता है। भारत नीति प्रतिष्ठान ने एक श्रृखला शुरू की है जिसमें सामाजिक–धार्मिक संगठनों की गतिविधियों एवं उनके सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। इसमें सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों से जुड़ी संस्थाओं को शामिल किया गया है। चूँकि ईसाई संगठनों को विदेशी चंदा का लगभग दो तिहाई हिस्सा प्राप्त होता है और इन संस्थाओं ने स्थानीय लोगों को राज्य के विकास आणविक परियोजना आदि के बारे में भिन्न सोच पैदा करने की कोशिश की है अतः उन्हें श्रृंखला के प्रथम कड़ी के रूप में चुना गया है। श्री मिलिंद ओक ने तथ्यपरक एवं गहन शोधपूर्ण अध्ययन में उनकी संरचना, विदेशी मातृ संगठनों से सम्बन्ध, प्राप्त विदेशी धन के उपयोग इत्यादि प्रश्नों पर वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रकाश डाला है। 'भ्रामक उद्देश्य' इन संस्थाओं को समझने–बूझने एवं **FCRA** की न्यूनताओं को परखने में मदद करेगा। कोई अध्ययन पूर्ण नहीं होता है। अतः पाठकों की रचनात्मक दृष्टि से हम श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ कर सकेगें।

राकेश सिन्हा
मानद निदेशक

एक नजरः जनसांख्यिकी–तीन मान्यताएं

भारत में ईसाईयों की पहचान के तीन स्रोत उपलब्ध हैं। भारत की जनगणना विभिन्न धर्मों के लोगों की गणना तो करती है लेकिन धर्मों के भीतर मौजूद संप्रदायों की गणना नहीं करती। धर्म के विभिन्न संप्रदायों के अंतर्राष्ट्रीय समूह इसकी गणना अपने अलग अंदाज में करते हैं और उसके तहत ईसाईयों की एक बड़ी संख्या को क्रिप्टो–क्रिश्चियन कहा जाता है। ये वो समूह हैं जो अपने आप को जनगणना में या किसी भी सरकारी दस्तावेज में ईसाई जाहिर नहीं करते हैं। ईसाईयों का प्रत्येक संप्रदाय अपने अनुयायियों की संख्या पर नजर रखता है। अध्ययन और सांख्यिकी के तीनों तरह के स्रोतों से यह जाहिर होता है कि भारत में ईसाईयों की कुल जनसंख्या और जनसंख्या के प्रत्येक संप्रदाय की कितनी तादाद है। इस अध्ययन के लिए ईसाई समुदाय के विभिन्न संप्रदायों की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर ईसाई संस्थाएं विभिन्न संप्रदायों में बंटी है और इन्हीं संप्रदायों की बुनियाद पर स्थापित हैं।

जनसांख्यिकी वितरणः जनगणना का परिदृश्य

2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में ईसाईयों की संख्या 24.1 मिलियन थीं। ईसाईयों की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत मानी जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे ईसाई समुदायों को लेकर जो सांख्यिकीय तथ्य उपलब्ध हैं उनके मुताबिक देश की कुल ईसाई आबादी के 25.15 प्रतिशत ईसाई केरल में हैं। 15.71 प्रतिशत तमिलनाडु, 4.19 प्रतिशत कर्नाटक और 4.9 प्रतिशत आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। ये चारों राज्य देश में ईसाईयों की कुल संख्या का 54.34 प्रतिशत का अंश रखते हैं। उत्तर–पूर्व के असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों को मिलाकर इस पूरे क्षेत्र में ईसाईयों की आबादी 29.09 प्रतिशत है। गोवा में 26.68 प्रतिशत आबादी ईसाईयों की है। अन्यत्र स्थानों में ईसाई बिखरे पड़े हैं। मसलन गुजरात की कुल आबादी का महज 0.56 प्रतिशत आबादी ईसाईयों की है तो हरियाणा और हिमाचल में यह प्रतिशत 0.13 है। वास्तविक संदर्भ में देखें तो ईसाईयों की संख्या काफी महत्वपूर्ण लगती है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या 0.64 प्रतिशत है लेकिन इस पूरे राज्य में ईसाईयों की कुल जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है। इस तरह ईसाईयों की लगभग 90 प्रतिशत की आबादी तीन क्षेत्रों में रहती है और ये क्षेत्र हैं– दक्षिण भारत, उत्तर–पूर्व और छोटानागपुर समेत इससे लगा समूचा आदिवासी क्षेत्र। देश के उत्तरी क्षेत्र में जहां देश की कुल आबादी का 40 प्रतिशत लोग रहते हैं वहां ईसाईयों की संख्या केवल 10 प्रतिशत है।

जनसांख्यिकी: संप्रदाय आधारित वितरण

भारत के ईसाई समुदाय को मोटे तौर पर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंस, ऑर्थोडॉक्स और इंडिपेंडेंट इन चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 2001 के 'ऑपरेशन वर्ल्ड' के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 29.2 कैथोलिक, 39 प्रतिशत प्रोटेस्टेंस, 3.8 प्रतिशत ऑर्थोडॉक्स और 27.6 प्रतिशत इंडिपेंडेंट (स्वतंत्र) ईसाई थे। भारत में कैथोलिक चर्च तीन sui iuris, गिरिजाघरों – latin, syro malabar (लातिन) (साइरो मालाबार) और syro malanakara (साइरो मालनकारा) की मिलीजुली संस्था है। प्रोटेस्टेंट ईसाईयों की यहां दो बुनियादी धाराएं हैं। इनमें एक मुख्यधारा के गिरजाघर हैं जिनमें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, यूनाइटेड लुथ्रान चर्चेज और मैथोडिस्ट चर्च आते है, और दूसरे नए उदीयमान विस्तारवादी संप्रदाय है। इसी के समानांतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद ईसाई धर्म के बैप्टिसट्स, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स और मैथोडिट्स जैसे दूसरे ईसाई समुदाय भी मोटे तौर पर इन तीनों वर्गों में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन, व्यवहार में ये सारे संगठन स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वे अपने मिशन और संस्थाओं का गठन भी अलग से करते हैं और अपने अनुयायियों की गणना स्वतंत्र रूप से करते हैं। और इस तरह जनगणना में जो जानकारी मिलती है उससे इनकी सही संख्या का अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। यहां तक कि भारत की 2001 की जनगणना केवल 2.3 प्रतिशत ईसाईयों की मौजूदगी का संकेत देती है लेकिन कई भारतीय ईसाई समुदायों के नेताओं के मुताबिक यह आंकड़ा 4 प्रतिशत या उससे कुछ अधिक ही है। इस संबंध में विभिन्न ईसाई संगठनों द्वारा प्रकाशित किए गए प्रकाशनों के हिसाब से देश की कुल आबादी में ईसाईयों का प्रतिशत अलग–अलग है। 'वर्ल्ड क्रिश्चियन एनसाइकलोपेडिया' के अनुसार भारत में 1327 ईसाई संप्रदाय मिलाकर साढ़े चार करोड़ ईसाई हैं तथा 2.15 करोड़ क्रिप्टो–क्रिश्चियन हैं।

जनसांख्यिकी आधारित संप्रदायवादी वितरण: सभी संप्रदायों के अपने–अपने दावे

रोमन कैथोलिक चर्च को सबसे पुराना व्यवस्थित और संगठित संप्रदाय माना जाता है। ईसाईयों के इस संगठन की वार्षिक डायरेक्टरी जिसे इटेलियन में annuario pontificio कहा जाता है, में अभी तक के सभी पादरियों, उनके विभागों और विभागीय अधिकारियों का उल्लेख है। इस प्रकाशन के माध्यम से सभी गिरिजाघरों, उनसे जुड़े संगठनों और अन्य सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। शीर्षक के अनुरूप इस इयर बुक के लिए जुटाई गई तमाम सामग्री चर्च के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मेहनत से ही हासिल होती है और यह तमाम जानकारी वेटिकन सीटी की भाषा इटली में उपलब्ध है। जाहिर है हर साल इतनी बड़ी तादाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

सामग्री जुटाना आसान काम नहीं है। इसके पीछे निश्चित ही कोई बहुत बड़ा तंत्र काम करता है। 2012 की annuario pontificio के मुताबिक भारत में एक करोड़ 65 लाख 57 हजार 627 कैथोलिक हैं। (2011 की जनगणना के मुताबिक यह संख्या भारत की तात्कालीन कुल आबादी का 1.37 प्रतिशत बनती है) जब भी कैथोलिकों की बात होती है तो दावा 1.8 करोड़ का या कुल आबादी के 1.8 प्रतिशत का किया जाता है।

भारत में प्रोटेस्टेंट्स गिरजाघरों के दो अनुषंगी संगठन हैं। चर्च ऑफ साउथ इंडिया और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये भी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आंकड़े एकत्र करते हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने 2011 में जब देश की जनगणना हो रही थी। तब राष्ट्रीय स्तर पर गिरिजाघरों की जनगणना का अभियान भी चलाया था। यह जनगणना 15 फरवरी से शुरू हुई थी और इसे 15 अक्टूबर तक चलना था। निर्धारित समय में गिरिजाघरों की जनगणना का काम भी 19 नवंबर को होनेवाले गिरिजाघरों के वार्षिक समारोह से पहले पूरा भी हो गया था और यह पूरा काम भारत की राष्ट्रीय जनगणना के समानांतर किया गया। चर्च ऑफ इंग्लैंड के समाचारपत्र ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी। चर्च ऑफ साउथ इंडिया का दावा है कि उसके 40 लाख सदस्य हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने अपने सदस्यों की संख्या अपनी वेबसाइट में नहीं दी है। दुनिया के गिरजाघरों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के मुताबिक 2006 तक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सदस्यों की संख्या लगभग 15 लाख थी। ईसाई धर्म से जुड़े दूसरे संप्रदायों और उनके दावों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तब हमको यह याद रखना चाहिए कि ये सभी संप्रदाय कई तरह के संघों से जुड़े हुए हैं। ऐसा एक छोटा सा समुदाय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के साथ ही वैश्विक बैप्टिस्ट्स संगठन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए जब कभी हम ऐसे किसी संगठन की दोहरी गणना करें तो हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा। ईसाईयों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था 'बैप्टिस्ट वर्ल्ड एलायंस' का दावा है कि भारत में उसके अनुयायियों की संख्या 25 लाख 9 हजार 617 (2.5 मिलियन) है जो 23 तरह के बैप्टिस्ट संगठनों से मान्यता प्राप्त है। इसी तरह द सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का दावा है कि 2010 में भारत में उसके अनुयायियों की संख्या 15 लाख 33 हजार 815 (1.5 मिलियन) थी। 'द यूनाइटेड इवैंगलिकल लुथ्रान चर्च' का दावा है कि उसके सदस्यों की संख्या 35 लाख है। इसके अलावा अनेक ऐसे स्वतंत्र संप्रदाय या मिशन है जो उपरोक्त संस्थाओं से जुड़े हुए नहीं हैं। इन संप्रदायों की एक संस्था The Non Denominational Association of Interdependent Churches of India (दि नान डिनोमिनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंटर डिपेंडेंट चर्चेज ऑफ इंडिया) ने 20 हजार गिरजाघरों की संख्या का दावा किया है। भारत में लगभग 27 प्रतिशत ईसाई स्वतंत्र श्रेणी के हैं

और गिरजाघरों की वैश्विक संस्था इनकी संख्या 1 करोड़ 52 लाख मानती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है।

इन तीन स्रोतों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर अगर हम विचार करें, यह जानते हुए भी कि विभिन्न संप्रदायों की दोहरी गिनती हो चुकी है। जैसा कि 2001 की जनगणना से भी परिलक्षित होता है, यह पता चलता है कि भारत में क्रिप्टो–क्रिश्चियन की संख्या कहीं ज्यादा है। पिछले दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत मानी जाती है। मान लें कि हर दशक में इसी अनुपात में ईसाईयों की संख्या में भी वृद्धि हुई होगी तो 2011 की जनगणना के मुताबिक ईसाईयों की यह संख्या 2 करोड़ 81 लाख 97 हजार यानी 28.1 मिलियन होनी चाहिए। जबकि स्वतंत्र संप्रदाय और मिशन छोड़कर विभिन्न संप्रदायों की विभिन्न तरीकों से की गई गणना के मुताबिक भारत में तमाम तरह के ईसाईयों की संख्या 3 करोड़ 6 लाख थी। अतः हमारे अनुमान के मुताबिक भारत में क्रिप्टो क्रिश्चियन की संख्या कम से कम 40 लाख है।

संस्थाओं पर एक नजर

ईसाईयों के धार्मिक संगठनों को मोटे तौर पर चार तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वास्तविक चर्च और चर्च से जुड़े कर्मचारी और पदाधिकारी। दूसरा है– धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियां जो चर्च द्वारा संचालित की जाती हैं, जिसके लिए चर्च द्वारा विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई। तीसरे तरह के वह स्वतंत्र संगठन हैं जो ईसाई समाज के संप्रदाय विशेष द्वारा विशेष कार्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं। ऐसे भी कई संगठन हैं जो इन संप्रदायों के अधिकृत शाखा के रूप में काम करते हैं। CASA, CARITAS INDIA जैसे संगठन इसी श्रेणी में आते हैं। चौथे तरह के स्वतंत्र संगठन वे हैं जो ईसाई लोगों द्वारा किसी एक खास काम के लिए स्थापित किए जाते हैं और स्वयं को ईसाई धार्मिक संगठन घोषित करते हैं। ऐसे अनेक संगठन स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और ईसाई समुदाय के किसी एक संप्रदाय या बहुत सारे समुदायों के लिए या उनके साथ काम कर सकते हैं। वर्ल्ड विजन, एक्शन एड जैसे संगठन इस श्रेणी के उदाहरण हैं।

इस अध्ययन में पता चला कि गिरजाघरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क संगठनों के माध्यम से, ट्रस्ट और कंपनियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम कर रहा है। अपने अध्ययन को शीर्ष संस्थाओं के काम–काज तक केंद्रित करने के उद्देश्य से हमने 2006 से 2011 के बीच विभिन्न ईसाई समुदायों द्वारा विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता की जानकारी और विश्लेषण को आधार माना है। अध्ययन के दौरान यह भी पता चला कि भारत में कार्यरत

किसी भी ईसाई संप्रदाय का अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदायों के साथ खास संबंध है। लिहाजा किसी भी संस्था द्वारा विदेशी सहायता लेना एक संकेत है और इससे किसी भी संस्था की गतिविधियों का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता के आधार पर किसी भी तरह की गतिविधि का संचालन यह संकेत भी देता है कि उस संस्था को दानदाता संस्था की प्राथमिकताओं के अनुकूल अपने काम की योजना बनानी पड़ती है। डॉ. के राजेंद्रन जो इंडियन मिशन एसोसिएशन आईएमए के महासचिव हैं और जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय मिशन का प्रतिनिधित्व भी किया है, इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अपने एक कथन में उन्होंने यह स्वीकार किया कि साल के बारह महीनों में से नौ महीने आइएमए विदेशी धन से चलता है और ज्यादातर दान सात समुंदर पार से मिलता है। सदस्यता शुल्क से आईएमए का संचालन असंभव है। उन्होंने यह भी कहा कि दान लेने वाले बहुत सारी संस्थाओं को दान देने वाले संस्थाओं के प्रभाव में ही काम करना पड़ता है।

विदेशी धन सहायता

गृहमंत्रालय की एफसीआरए से संबंधित एक वेबसाइट के मुताबिक 2006 से 2011 के बीच कुल 3014 संगठनों ने कम से कम एक साल के लिए एक करोड़ से अधिक की विदेशी सहायता प्राप्त की। इस कानून के फॉर्म संख्या– एफसी–3 में यह प्रावधान है कि धार्मिक संगठनों को विदेशी सहायता लेने पर अपनी धार्मिक पहचान बतानी पड़ती है। ऐसे 1006 संगठनों ने अपनी धार्मिक पहचान ईसाई संगठनों के रूप में दर्ज की। वर्ल्ड विजन जैसे कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो अपनी वेबसाइट में मानवतावादी ईसाई संगठन का उल्लेख करते हैं। लेकिन एफसीआरए के संदर्भ में अपनी धार्मिक पहचान का उल्लेख नहीं करते। हमने ऐसे 128 संगठनों की पहचान की और उन्हें ईसाई संगठनों की सूची में शामिल किया। वास्तव में CARITAS India जो एक ईसाई संगठन है, को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एफसीआरए के फॉर्म में अपने धार्मिक जुड़ाव का उल्लेख करे या न करे और इसी तरह Nagaland Jesuit Education & Charitable Society की सेहत में भी अपनी धार्मिक पहचान का एफसीआरए के फॉर्म में उल्लेख न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

ऐसे संगठनों को मिलाकर कुल 1134 ईसाई संगठन भारत में सक्रिय हैं। ऐसे ही कई और संगठन भी हैं जिनकी हम पहचान नहीं कर सके। इन सभी संगठनों को मिलाकर 16,214,96,01,508 रुपए (16 हजार 214 करोड़) की विदेशी मदद 2006 से 2011 के बीच में मिली। इनका विवरण आगे के पृष्ठों पर नक्शों में दिया गया है। हमने यह कोशिश भी की कि

भौगोलिक आधार पर भी वितरण की पहचान की जाए और ऐसे 20 संगठनों की पहचान कर भी ली गई जिनको इस अवधि में 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी सहायता मिली। हमने दो राज्यों के नक्शे भी उन राज्यों में जिलेवार मिलनेवाली विदेशी सहायता के संदर्भ में शामिल किए हैं। इससे पता चलता है कि वैश्विक ईसाई संस्थान भारत में कुछ क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। नीचे दी गई तालिका में ईसाई संगठनों को दी गई सहायता राशि का विवरण है।

एनजीओ की संख्या	राशि
19	>100
20	50-100
67	25-50
28	010-25
24	35-10
50	41-5

ऐसी 368 संस्थाओं को 2006–2011 के बीच हर साल एक करोड़ से अधिक की विदेशी सहायता दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी विदेशी संगठनों के साथ एक स्थाई भागीदारी है। ऐसे किसी संस्थान को चलाने के लिए विदेशी सहायता, मानव संसाधन, रियल इस्टेट और कुशल प्रबंधन की बहुत जरूरत होती है। अगले अध्याय में हम कुछ शीर्ष संस्थाओं पर नजर डालेंगे।

CHRISTIAN INSTITUTIONS WHICH RECEIVED MORE THAN 100 CR. RS. IN THE PERIOD 2006 TO 2011

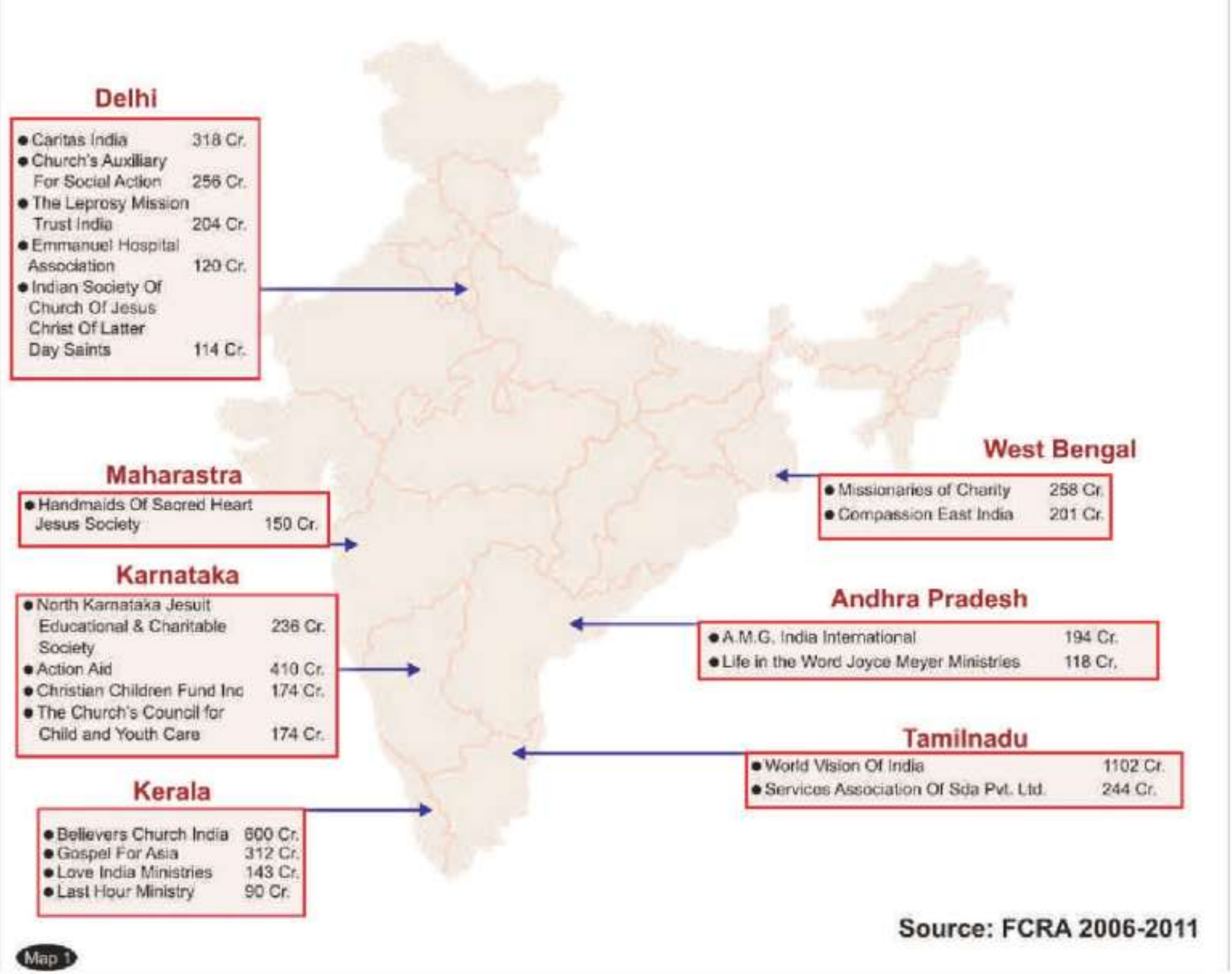

Source: FCRA 2006-2011

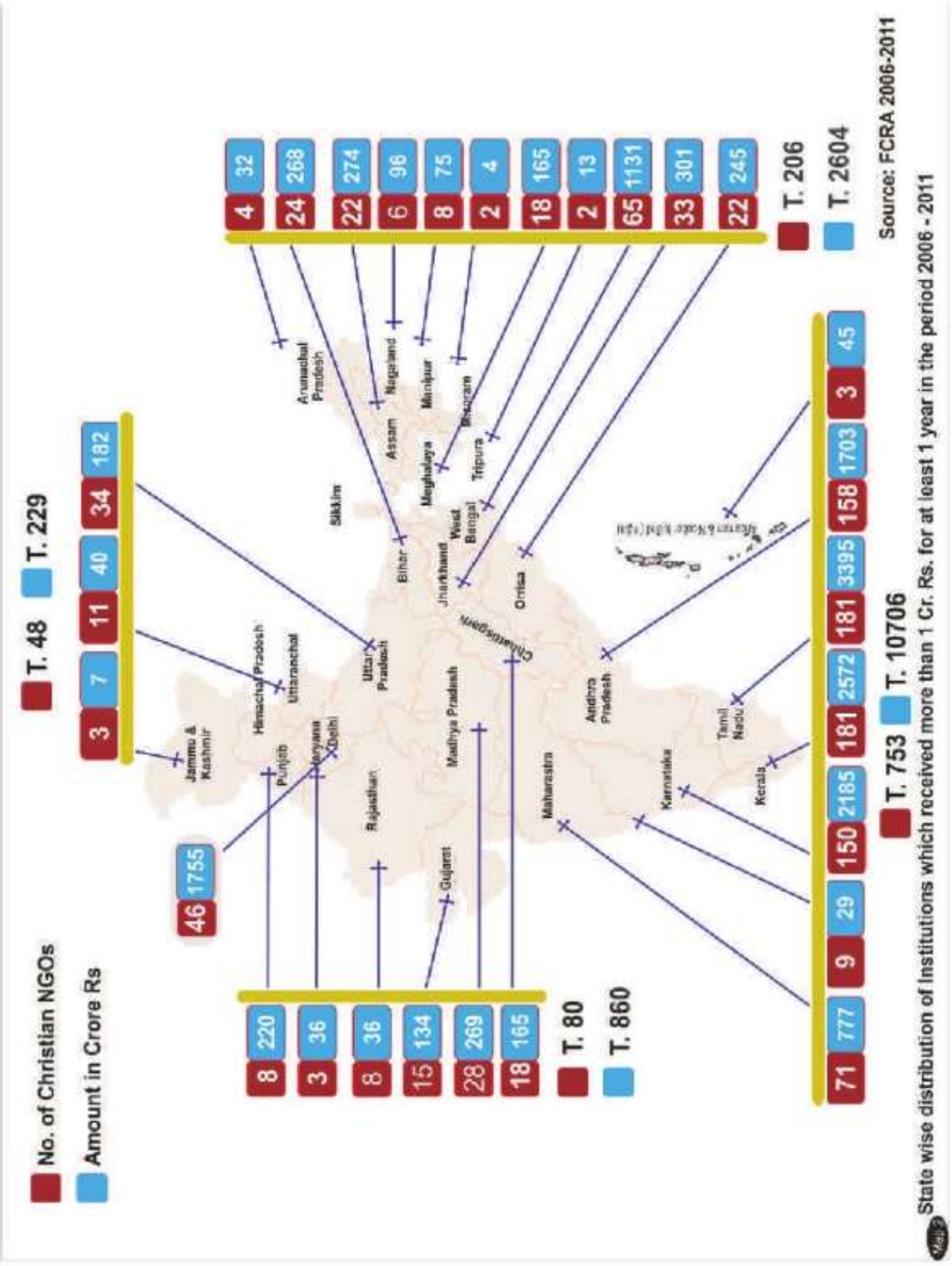

State wise distribution of Institutions which received more than 1 Cr. Rs. for at least 1 year in the period 2006 - 2011

Source: FCRA 2006-2011

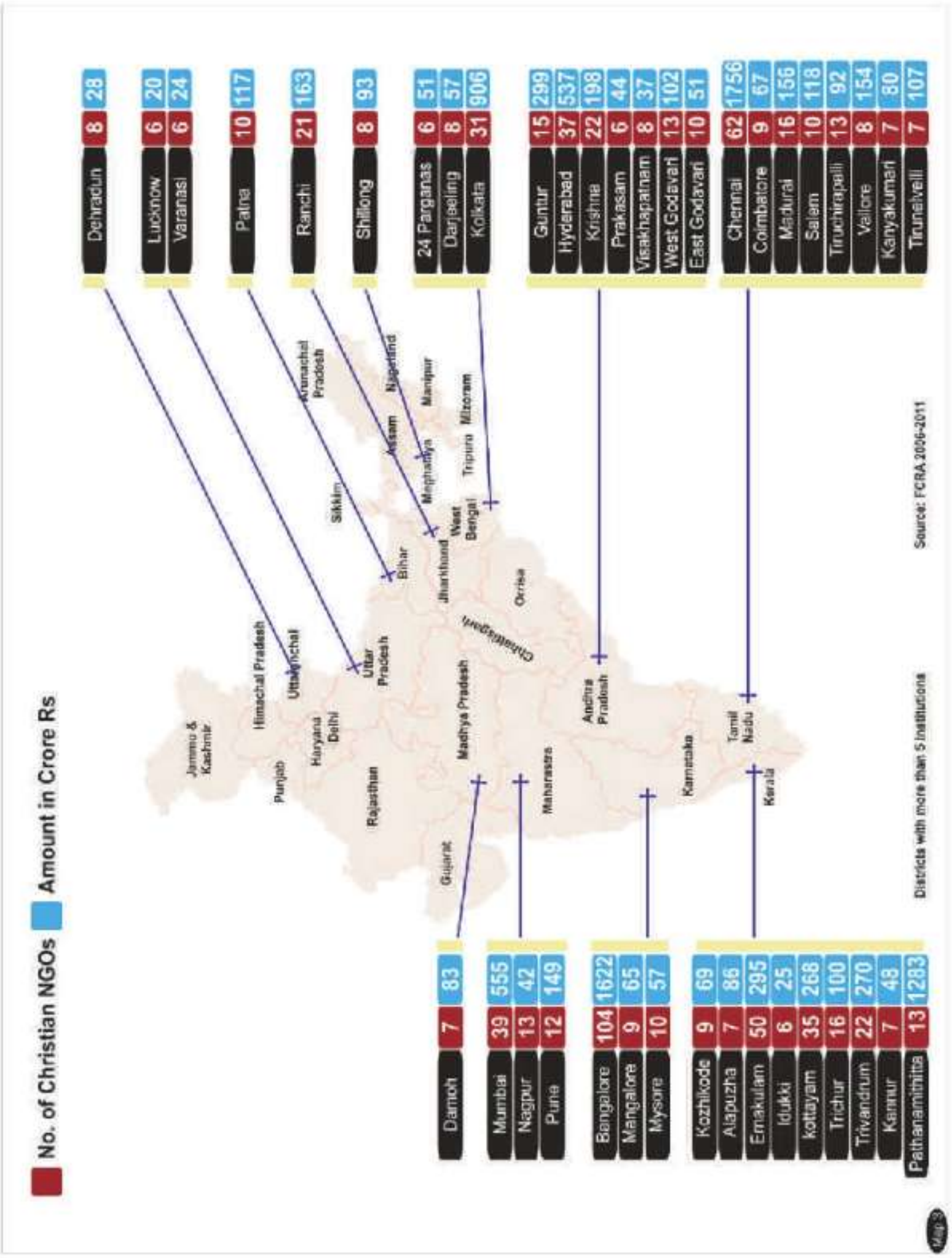

No. of Christian NGOs
Amount in Crore Rs
Dehradun 8 28
Lucknow 6 20
Varanasi 6 24
Patna 10 117
Ranchi 21 163
Shillong 8 93
24 Parganas 6 51
Darjeeling 8 57
Kolkata 31 906
Guntur 15 299
Hyderabad 37 537
Krishna 22 198
Prakasam 6 44
Visakhapatnam 8 37
West Godavari 13 102
East Godavari 10 51
Chennai 62 1756
Coimbatore 9 67
Madurai 16 156
Salem 10 118
Tiruchirapalli 13 92
Vellore 8 154
Kanyakumari 7 80
Tirunelveli 7 107
Damoh 7 83
Mumbai 39 555
Nagpur 13 42
Pune 12 149
Bangalore 104 1622
Mangalore 9 65
Mysore 10 57
Kozhikode 9 69
Alapuzha 7 86
Ernakulam 50 295
Idukki 6 25
Kottayam 35 268
Trichur 16 100
Trivandrum 22 270
Kannur 7 48
Pathanamthitta 13 1283
Jammu & Kashmir
Himachal Pradesh
Punjab
Haryana
Delhi
Uttaranchal
Uttar Pradesh
Rajasthan
Gujarat
Madhya Pradesh
Maharastra
Chhattisgarh
Bihar
Jharkhand
West Bengal
Orrisa
Sikkim
Assam
Arunachal Pradesh
Nagaland
Manipur
Mizoram
Tripura
Meghalaya
Andhra Pradesh
Karnataka
Tamil Nadu
Kerala
Districts with more than 5 institutions
Source: FCRA 2006-2011
Map 3

District wise distribution of money with reference to map 2 Amount in Cr. Rs.

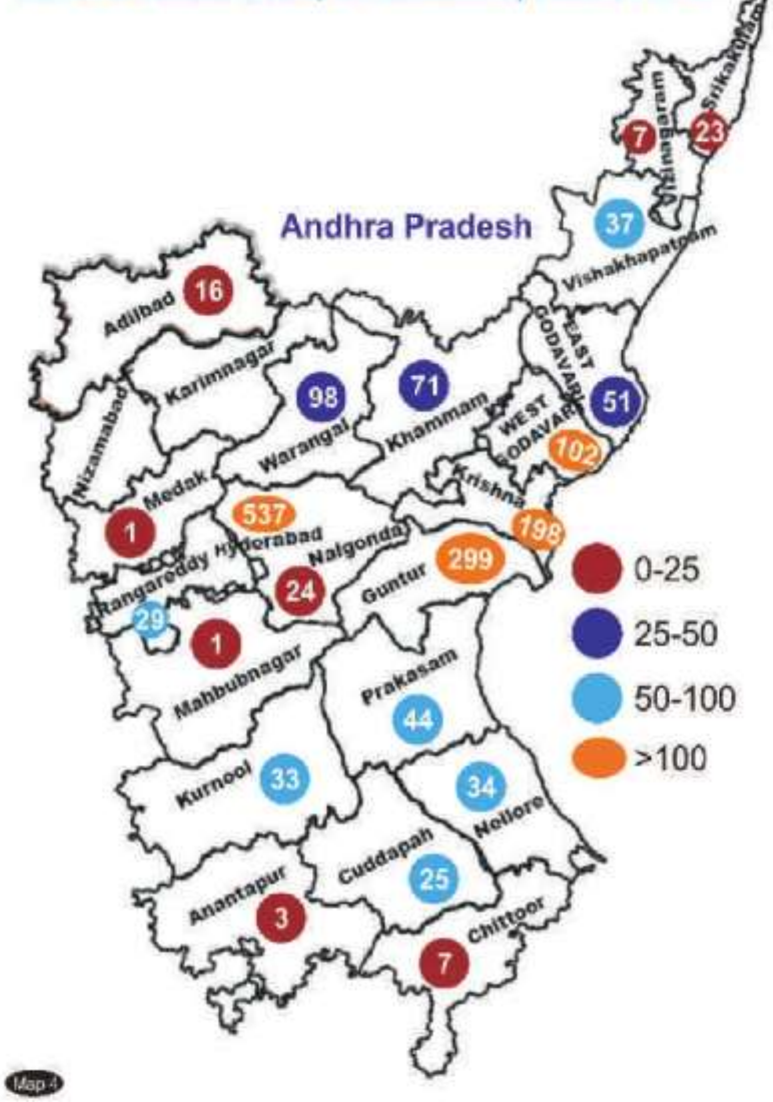

District wise distribution of money with reference to map 2 Amount in Cr. Rs.

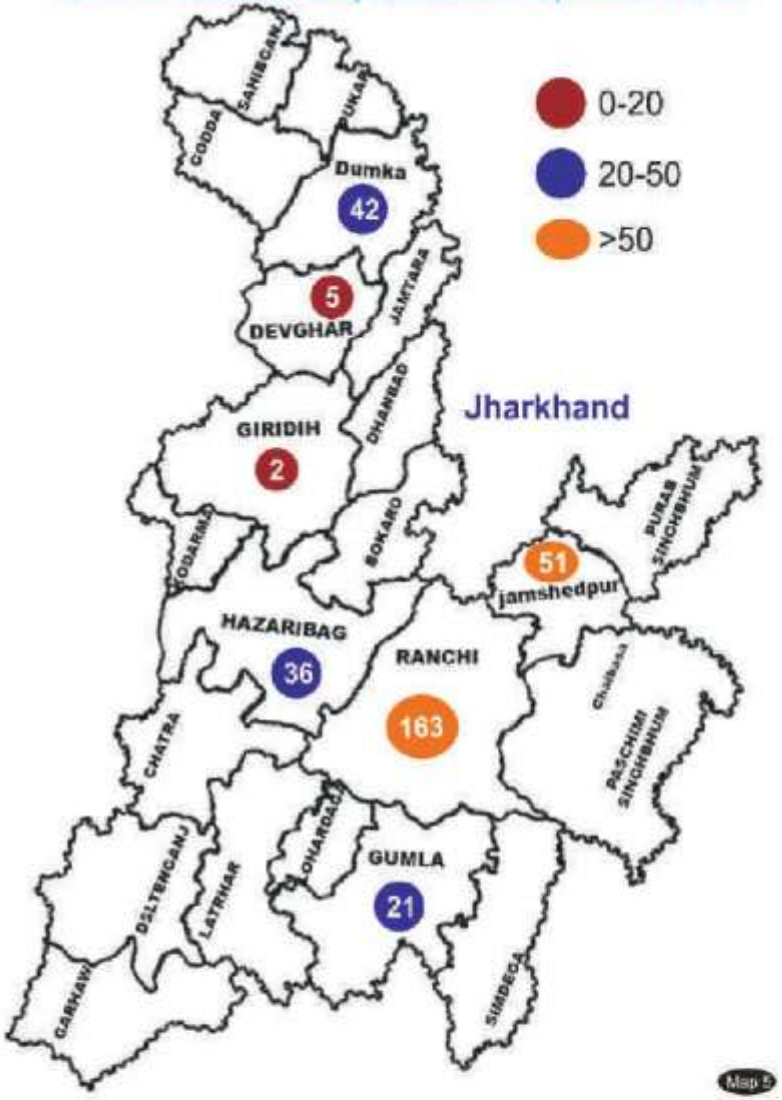

गिरजाघर

संगठन

कैथोलिक चर्च

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। भारत में कैथोलिक चर्च तीन SUI IURIS गिरजाघरों लातिन, साइरो मालाबार और साइरो मालानकारा का एक मिश्रण है। कानून की भाषा में SUI IURIS कानूनी योग्यता, अपने ही मामलों को संभलने की क्षमता रखनेवाले का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र चर्च हैं। ईसाईयों की संख्या का सलाना ब्यौरा देनेवाली 2012 की विवरणिका annuario pontificio के मुताबिक कैथोलिक चर्च बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय एक संगठन है जो 30 आर्चडायोसिस और 160 डायोसिस में संगठित किया गया है।

वर्तमान में इसमें कुल 12799 बिशप हैं, 9977 धर्म गुरु हैं, 3031 धर्म बंधु हैं, 77444 धर्म बहनें हैं, 3761 साधारण मिशनरी और इन डायोसिस में कार्यरत कामगारों की संख्या 43,417 है।

प्रोटेस्टेंट और दूसरे गिरजाघर

मुख्यधारा के प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में चर्च ऑफ साउथ इंडिया के 22 बिशप हैं और 40 लाख की आबादी को संचालित करने के लिए 15 हजार मिलन स्थानों का प्रावधान किया है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज के 2006 के अनुमानों के मुताबिक चर्च ऑफ साउथ इंडिया के 22 बिशप, 1214 पुरोहित और 2000 पेस्टर हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 26 डायोसिस, 4,500 मिलन स्थान तथा 2000 पेस्टर हैं। बैप्टिस्ट वर्ल्ड एलायंस के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बैप्टिस्ट गिरजाघरों की संख्या 14969 है। इनमें से 11399 बैपटिस्ट चर्च पूर्वोत्तर के उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम और उत्तर–पूर्वी राज्यों में है। सेंवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च का दावा है कि उसके भारत में 3987 गिरजाघर हैं। जिनके तहत 910 लाइसेंसधारी मिशनरी हैं। इनमें 2277 गिरजाघर आंध्र प्रदेश राज्य में हैं। इसी तरह द यूनाइटेड इवेंगेलिकल लूथ्रन चर्च 12 सदस्यीय गिरजाघरों की एक मिलीजुली संस्था है। जिसका देश के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों में खासा प्रभाव है। यह संस्था 3331 उपगिरजाघरों और ऐसे ही दूसरे केंद्रों में संगठित है। इसके अनुमानित 1824 पेस्टर हैं। इंडियन मिशन एसोसिएशन के 2010 में 230 मिशन सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, इन सबने मिलाकर करीब 50 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया था। इसके अलावा गॉस्पेल फॉर एशिया का दावा है कि अकेले उसकी ही 10 हजार से अधिक संस्थाएं क्षेत्र में कार्यरत हैं।

इसके अलावा कम–से–कम 20 हजार ऐसे ईसाई संगठन कार्यरत हैं जो ईसाईयों के किसी संप्रदाय के तहत वर्गीकृत नहीं हैं। ऐसे गिरजाघर भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गणना करें तो अलग–अलग संप्रदायों वाले ईसाई संगठनों में भारत ने करीब 2 लाख 86 हजार से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है।

गिरजाघरों की शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियां

कैथोलिक चर्च बड़े पैमाने पर शैक्षिक संस्थानों का संचालन करते हैं। एक ताजा अनुमान के मुताबिक यह संगठन 7 हजार 650 प्राइमरी स्कूलों, 4569 हाईस्कूलों, 1494 हायर सेंकेंडरी स्कूलों, 321 कॉलेजों और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े 865 से अधिक संस्थानों का संचालन करता है। इन संस्थानों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। चर्च ऑफ साउथ इंडिया 2000 स्कूलों, 130 कॉलेजों और 104 अस्पतालों का संचालन करता है। चर्च ऑफ साउथ इंडिया (सीएसआई) पूरे भारत में 50 ग्रामीण विकास परियोजनाओं का परिचालन भी करता है। नवयुवकों के लिए संचालित किए जाने वाले 50 ट्रेनिंग सेंटर इससे अलग हैं। इसके साथ ही 35 हजार बच्चों के लिए छात्रावास भी चर्च ऑफ साउथ इंडिया चलाता है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अपने 'साइनोडिकल बोर्ड ऑफ सोसल सर्विस' के नाम से मशहूर समाज सेवा केंद्रों के माध्यम से शैक्षिक और समाज सेवा संस्थानों का संचालन करती है। सीएनआई सात नर्सिंग स्कूलों 250 शैक्षिक संस्थानों और 3 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करती है। इसके अलावा सीएनआई 65 अस्पतालों का संचालन भी करती है जो देश के 8 क्षेत्रों में स्थापित है। इनका प्रबंधन सीएनआई, एसबीएचएस (syno dical board of health services) द्वारा किया जाता है।

सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट 226 स्कूलों और 5 कॉलेजों का संचालन करता है, पूणे का स्पाइसर मेमोरियल भी उनमें एक है। बड़े पैमाने पर बिशप और पुरोहितों को प्रशिक्षित करने के लिए ईसाई धर्म के कई संप्रदाय थियोलॉजिकल कॉलेज भी चला रहे हैं।

बड़े पैमाने पर इन संस्थाओं की गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक मजबूत संजाल यानी नेटवर्क की जरूरत होती है। इन गतिविधियों का संचालन करने के लिए भवन, भूमि और निवेश की जरूरत होती है। आमतौर पर चर्चों की एक सोसायटी इसका प्रबंध करती है और वास्तव में इन संस्थाओं का प्रबंधन करने वाली संस्था धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कोई कंपनी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए द नागपुर रोमन कैथोलिक डायोसियन कॉर्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड एक ऐसी पंजीकृत कंपनी है जो भारतीय कंपनी एक्ट 1913 के तहत पंजीकृत है और उसका एक पंजीकरण मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत भी किया गया है। इस कंपनी के महानिदेशक और ट्रस्ट के मुख्य न्यासी भी नागपुर के आर्क बिशप हैं। ऐसा करने पर

चर्च के लिए लोगों को रोजगार देना आसान हो जाता है और इसके जरिए चंदा इक्ट्ठा करना और उसका निवेश करना भी आसान हो जाता है। इस अध्ययन में हम गिरजाघरों के प्रमुख संगठनों और उनके मौजूदा मानव संसाधनों, आर्थिक सहायता और रियल इस्टेट के संबंध में मोटी–मोटी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये सभी तथ्य और आंकड़े इन संगठनों की अधिकृत वेबसाइट से ही लिए गए हैं।

मानव संसाधन

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि गिरजाघरों और बिशपों के संगठनों के तहत संचालित गतिविधियों में लगभग 2.5 लाख लोग विभिन्न क्षमताओं से जुड़े हुए हैं। पुरोहित, पेस्टर, पादरी, नन आदि अनेक रूपों में ये लोग चर्च के साथ काम करते हैं। आमतौर पर जिस तथ्य की जानकारी नहीं दी जाती कि ऐसे ज्यादातर पद वैतनिक होते हैं। डायोसिस के पुरोहित ऐसे पादरी होते हैं जो बड़े गिरजाघरों में रहते हैं और गिरजाघरों की देखभाल करते हैं। इसके लिए उन्हें वेतन मिलता है तथा जीवन यापन के लिए बचत, रिटायरमेंट, वाहन लाभ और अवकाश जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इन पुरोहितों का वेतन और तमाम सुविधाएं बिशप ही सुनिश्चित करते हैं और कई वर्ष तक सेवा करने की एवज में अतिरिक्त आर्थिक सहायता, मुआवजा और प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इस राशि का निर्धारण काम के आकार के आधार पर तय किया जाता है।

संक्षेप में यह एक वेतन आधारित काम है। इसी तरह पेस्टर, सिस्टर, नन और इन जैसे तमाम पदों पर लोगों की बाकायदा नियुक्ति की जाती है। ये पद अंश कालिक या पूर्णकालिक नियुक्ति वाले होते हैं। अमेरिका या यूरोप में ऐसे अनेक ईसाई संगठनों की वेबसाइट में इन तमाम तरह के कर्मचारियों के वेतन सेवा शर्तों और पेंशन सुविधाओं की जानकारी दी जाती है। इन जानकारियों में यह भी स्पष्ट उल्लेख होता है कि समाज सेवा और शिक्षा के काम में लगी इन संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति एक से अधिक संस्था में काम करके अधिकतम कितना वेतन ले सकता है। सेन डियागो के डॉयोसेस बिशप संगठन की वेबसाइट इसका एक उदाहरण है–

इस संगठन ने अपनी वेबसाइट में 2012–13 के लिए चर्च के पुरोहितों को दी जाने वाली मुआवजा नीति का खुलासा इस प्रकार किया है–

1. मूल वेतन

पेस्टर– 19,800 डॉलर सालाना, 1650 डॉलर मासिक एसोसिएट पेस्टर–19,200 डॉलर सालाना, 1600 डॉलर मासिक विशेष पीठ के पुरोहित– 19,500 डॉलर सालाना, 1625 मासिक। इसके अलावा इस वेबसाइट के माध्यम से यह जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है कि इन संस्थाओं के क्या–क्या नियम हैं और एक पादरी चर्च की सेवा करने के दौरान प्रार्थना सभाओं

(मास) के आयोजन, शादी–विवाह और अंतिम संस्कार जैसे काम करवाने की एवज में अधिकतम कितना पैसा ले सकता है।

यह एक सच्चाई है कि भारत में ये सभी पद वैतनिक हैं और आम तौर पर इस तथ्य को सामने नहीं लाया जाता। चर्च इन सब तथ्यों को इसलिए भी सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि हमारे देश में इन कर्मचारियों के लिए नियम–कानून भी स्पष्ट नहीं हैं। जबकि पारंपरिक संस्थाओं में ये थोड़ा बहुत व्यवस्थित दिखाई देते हैं। यहां तक कि कुछ गिरजाघर तो पुरोहितों के वेतन आदि का भुगतान ऑनलाइन भी करने लगे हैं। आधुनिक संप्रदायों के गिरजाघरों में इन सभी पदों पर ठेकेदारी प्रथा का असर भी दिखाई देने लगा है। ये संगठन नियमित रोजगार देने के स्थान पर लोगों को ठेके पर रखने लगे हैं। जाहिर है इन हालातों में वेतन संबंधी वास्तविकताओं को समझ पाना असाध्य काम हो गया है। फिर भी इंटरनेट के जरिए उपलब्ध तमाम जानकारियां हालात का अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त हैं।

अपने अध्ययन के दौरान हमको यह पता चला कि गिरजाघरों में एक पादरी का न्यूनतम वेतन 4 हजार और पेस्टर को सबसे ज्यादा 9 हजार 700 रुपए है। औसतन उसे 7 हजार रुपए वेतन दिया जाता है। सीएसआई, विकार (Vicar) और प्रीस्ट को आवास की सुविधा भी देती है। ज्यादातर मामलों में इसके अलावा गिरजाघरों में संपन्न कराए जाने वाले आयोजनों से भी उनको अलग से हिस्सा मिलता है। एक धार्मिक को हर महीने 2 से 3 हजार रुपए की पगार मिलती है। एक Catechist को 500 से 1500 रुपए के बीच वेतन दिया जाता है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी सीएनआई के एक evangelist (प्रचारक) को हर महीने 2 हजार रुपया बतौर वेतन दिया जाता है।

Gospel for Asia (गॉस्पल फॉर एशिया) ने दानदाताओं से एक मिशनरी को प्रायोजित करने के लिए हर मिशनरी को प्रतिमाह साढ़े 4 हजार से 10 हजार के बीच दान दिए जाने की अपील की है। ये अलग बात है कि इससे चर्च के खर्चे बढ़ेंगे और ये सारी राशि प्रत्यक्ष मिशनरी को नहीं मिलेगी।

लेकिन इन सभी उपरोक्त धार्मिक व्यक्तियों की आय का एक जरिया और है। ये सभी लोग ज्यादातर समय इन संस्थाओं द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं और चिकित्सालयों में तैनात रहते हैं। ऐसे में उनको अपने पद के अनुकूल निर्धारित व्यावसायिक पदों का वेतन मिलता है। उदाहरण के लिए कुमार राजा जोसफ तूतीकोरिन के Priest (पुरोहित) हैं। इसके साथ ही वो तूतीकोरिन बी.एड. कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। इसी तरह जेराल्ड रवि, पवलम टीवी के निदेशक हैं। झाबुआ में कार्यरत 44 नन देश के विभिन्न भागों में स्थापित ऐसे ही कई मजबूत ईसाई संगठनों से जुड़ी हैं।

गिरजाघरों में आयोजित होने वाली प्रार्थना सभाओं (Mass) तथा दूसरी धार्मिक गतिविधियों के दौरान पुरोहितों (Priests) को इन अनुष्ठानों को सम्पन्न कराने की एवज में एक निश्चित राशि की आर्थिक मदद लेने का अधिकार है। इसके बाद पद की वरीयता के अनुसार यात्रा भत्ता (TA) भी मिलता हैं। किसी को यह भत्ता दुपहिया से यात्रा करने का मिलता है तो किसी को चार पहियों के वाहन का। यह सब इस पर निर्भर करता है कि वरीयता क्रम में कौन ऊपर है और कौन नीचे।

बिशप का मामला कुछ अलग है। पश्चिमी दुनिया के देशों में बिशप का पद सर्वाधिक वेतन वाला और सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। साल 2000 में जब एक Episcopal Church के बिशप को मतभेदों के चलते त्यागपत्र देना तब सेवानिवृत्ति के पैकेज के रूप में उनको सेवा अवधि के दौरान मिलने वाले शेष महीनों के पूरे वेतन के साथ ही पेंशन की भी पूरी राशि मिली थी। इसके अलावा उनके दो बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 लाख डॉलर, डेढ़ लाख डॉलर गिरवी मकान के लिए, 30 हजार डॉलर आने–जाने की मदद में, 20 हजार डॉलर वाहन बदलने के लिए और एक लाख डॉलर का ऐसा भुगतान जो बिशप के अनुरोध पर तीन साल के अंदर कभी भी लिया जा सकता था, अलग से किया गया था। इसी तरह 2009 में जब वर्जीनिया इपिसकोपल के बिशप पीटर जे. ली. रिटायर हुए तब उनका वर्ष का पैकेज 2 लाख 52 हज़ार डॉलर का था। जिनको अभद्र लैंगिक व्यवहार कांड के चलते अपना त्यागपत्र देना पड़ा ऐसे कैथोलिक बिशपों का भी चर्च पूरा खयाल रखता है। इनको सामान्यतः 25 हजार पौण्ड का वेतन मिलने के साथ ही आवास की सुविधा भी चर्च देता है।

भारत में भी सभी बिशपों को वेतन और सेवानिवृत्ति की सुविधाएं दी जाती हैं। चर्च ऑफ नार्थ इंडिया (सीएनआई) के संविधान में इसका प्रावधान है। इस संविधान के खण्ड चार में SYNOD के कार्य और अधिकार शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में यह व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक डायोसेशन बिशप (Diocesan Bishop), सहायक बिशप (Assistant Bishop) और दूसरे कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति सीएनआई की Synod ने की है, उनके वेतन का प्रबंध करना उसकी जिम्मेदारी है। कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड, प्रमोशनल फंड और यहां तक कि उनके ग्रेच्युटी फंड का प्रबंधन भी यही संस्था करती है।

फंड (कोष)

जाहिर है इन सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और रियल स्टेट के तमाम खर्चों का वाहन करने के लिए बड़े पैमाने पर पैसे की जरूरत होती है। भारत में चर्च इस सब के लिए चंदा तो उगाहती ही है इसके साथ ही उसे विदेशों से भी मदद मिलती है।

अपने बल बूते संग्रह किया गया फंड (कोष)

अध्ययन से पता चला है कि भारत में चर्च द्वारा पैसा कमाने के कई तरीके मौजूद हैं। 2011 में एक चर्च के लिए आर्क बिशप का शिक्षा फंड 93 लाख 32 हज़ार 796 रूपए था। यह राशि विभिन्न तरह के चंदों, शुभचिन्तकों द्वारा दी गई दान राशि और स्कूली बच्चों के चंदे से जुटाई गई थी। यह भी पता चला है कि हर महीने के दूसरे रविवार, क्रिसमस, गुड फ्रायडे, ईस्टर सनडे, होली चाइल्डहुड, मिशन सन डे, पीटर्स पेन्स और वोकेशन सन डे जैसे खास अवसरों पर चर्च को विशेष दान राशि के रूप में भी काफी पैसा मिलता है। जिन संस्थाओं को इस मद में यह राशि मिलती है उनके प्रमुखों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो इसे निर्धारित तिथि तक अपने–अपने क्षेत्रीय मुख्यालयों तक भिजवा दें। बंगलौर के एक ऐसे ही क्षेत्रीय ईसाई संगठन बंगलौर आर्क डियोसेस (Banglore Archdiocese) द्वारा एक माह के दौरान जुटाई गई सहायता राशि को एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

14 हजार रूपए Clergy Security Fund, 15.05.2011 के लिए Vocation Sunday Collection Fund (छोटे–बड़े सेमिनेरीज (मदरसों) के रख रखाव आदि के लिए) 11,526 रुपए 27.06.2011 को पीटर पेन्स कलैक्शन (रोम स्थित होली फादर्स चैरिटी को भेजने के लिए) 7275 रुपए, कैथोलिक इन्फार्मेशन ब्यूरो दिनांक 10.07.2011 आर्क डियोसेस में शुभ समाचार प्रसारित करवाने के लिए), 21624 रूपए अफ्रीकन मिशन दिनांक 17.07.2011 (अफ्रीका मिशन की सहायता के लिए रोम भेजने के वास्ते), 44,082 रूपए सोसाइटी ऑफ सेंट पीटर, APOSTLE दिनांक 21.08.2011 (दुनिया भर में सेमिनार आयोजित कराने हेतु रोम भेजने के लिए), 7506 रूपए HOLY SEE MAINTENANCE दिनांक 16.10.2011 (HOLY SEE के रख रखाव हेतु रोम भेजे जाने के लिए), 43,188 रूपए मिशन सन डे कलेक्शन, दिनांक 23.10.2011 (मिशनरी कार्यों की सहायता हेतु रोम भेजे जाने के लिए), 17,173 रूपए क्रिसमस कलैक्शन दिनांक 25.12.2011 (अवकाश प्राप्त पादरियों और बिशपों की देखभाल के लिए), 39,983 रूपए होली चाइल्डहुड कलैक्शन दिनांक 12.02.2012 (रोम भेजने के लिए), 33, 672 रूपए हंगर एण्ड डीजीज कंपेन (भूख और रोग अभियान) दिनांक 01.04.2012 (दिल्ली स्थित CARITAS को भेजने के लिए) 5 लाखा 37 हज़ार 374 रूपए होली लैंडस कलैक्शन दिनांक 02.04.2010 और 06.04.2012 (रोम भेजने के लिए 6 लाख 93 हजार 879 रूपए दिनांक 07.04. 2012 के ईस्टर सनडे कलैक्शन (मिशन कार्यों के विस्तार के लिए), 4 लाख 16 हज़ार 682 रूपए की राशि एकत्र की गई।

उस महीने बड़े पादरी ने 18 लाख 87 हजार 964 रुपए की राशि हासिल की थी जिसमें से 9 लाख 19 हजार 756 रुपए रोम भेजे गए। इस सभी राशि का संग्रह बड़े पादरी के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले गिरिजाघरों ने किया था।

एक अन्य बड़े पादरी ने CARITAS के 2012 के लैंटेन अभियान (Lenten campaign) के तहत चंदे की उगाही का उल्लेख किया है। यह अभियान मानव तस्करी से संबंधित है। इस काम के लिए एक महीने में जो राशि एकत्र की गई वह 7 लाख 16 हजार 588 रुपए थी।

हमारे अध्ययन में यह भी पता चला है कि चर्च की जड़ें जितनी अधिक मजबूत, उतनी ही वह अपने अनुयायियों से और अधिक चंदा वसूल करने लगती है।

90 फीसदी की ईसाई आबादी वाला मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो अब न केवल मिशनरियों का निर्यात करता है बल्कि पैसे भी बाहर भेजता है। आज की तारीख में मिजोरम की एक संस्था Mizoram Presbyterian synod mission board एक हजार सात सौ से अधिक पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को मदद देती है। इस संस्था ने 2007 में 59 करोड़ 87 लाख 14 हजार रुपए इकट्ठा किए थे। इसमें से 22 करोड़ 90 लाख 69 हजार 400 रुपए दुनिया भर में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए खर्च किए गए थे। राज्य की प्रतिव्यक्ति सलाना आय 18 हजार 904 रुपए को देखते हुए यह एक दिलचस्प संग्रह माना जा सकता है। सवाल यह है कि कैसे हुआ यह सब?

1913 से इस राज्य में मिशनरी समझी जानेवाली कुछ महिलाओं ने 'बुहफाई थाम' नामक एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की थी। जिसके तहत ये महिलाएं सुबह और रात का खाना बनाने से पहले एक मुट्ठी चावल अलग से रख दिया करती हैं। समय–समय पर इस चावल का घरों से संग्रह किया जाता है और फिर उसकी नीलामी की जाती है। इस निलामी से होने वाली आय synod mission board को भेजी जाती है। 2007 में इस मुट्ठी भर चावल एकत्र करने की परंपरा से 5 करोड़ 51 लाख 12 हजार 271 रुपए मिशन के लिए जुटाए गए थे। इसी तरह ईंधन के लिए बच्चों द्वारा इक्ट्ठी की जाने वाली लकड़ियों के गठ्ठर में से कुछ लकड़ियां अलग रखने की परंपरा भी यहां शुरू की गई। ये सभी लकड़ियां मिशन 'पाइल हुड़ पाई' नामक योजना के तहत रविवार सुबह को एक जगह जमा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में चर्च बड़े पैमाने पर बगीचों, फार्म और टीक पलांटेशन के लिए जमीन मिशनों को देती है। जबकि चर्च के शहरी संगठन छोटी–छोटी चाय की दुकानें और इस तरह के दूसरे बाजार का संचालन करते हैं। इन सब कार्यों को करने के लिए जिस मानव संसाधन की जरूरत होती है उसे चर्च के स्वयंसेवक प्रदान करते हैं। इस तरह के कामों से होनेवाली आय से मिशन की मदद की जाती है। कुछ गिरजाघर संगठन भवनों का निर्माण करते हैं। इनसे मिलने वाली किराए की राशि पूरी तरह मिशन के फंड में जमा होती है और अंत में चर्च के सदस्य जो कुछ भी काम करते हैं उनसे होनेवाली आय का 10 प्रतिशत हर महीने चर्च के कोष में जमा करते हैं। फिलहाल मिजो मिशनरी भारत, नेपाल, चीन, ताइवान, म्यांमार, किरीबाती, समोआ , अमेरिकी समोआ, सोलोमन द्वीप, मेडागास्कर, वेल्स और उत्तरी अमेरिका में सक्रिय हैं। उदाहरण के तौर पर दिए गए इन उपरोक्त नमूनों से यह बात

साफ हो जाती है कि चर्च के विभिन्न संगठनों द्वारा उगाही जाने वाली यह राशि साल में कई करोड़ से ऊपर होती है।

शैक्षिक संस्थाओं के फंडों का प्रबंधन हालांकि अलग से होता है, लेकिन इन पर एकीकृत नियंत्रण पादरी समूह की प्रबंध समिति का ही होता है। बड़े पादरी की ओर से जारी किए गए परिपत्र में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है।

आर्क डायोसेस ऑफ हैदराबाद सोसायटी (Arch Diocese of Hyderabad Society) और हैदराबाद आर्कडियोसेस एजुकेशनल सोसायटी (Hyderabad Archdiocese Educational Society) के वित्तीय मामलों के सभी प्रभारी व्यक्तियों के लिए नीचे दिए गए दिशा–निर्देश पढ़ना और उन पर अमल करना अनिवार्य है। अगर किसी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो वह मार्च 2012 से पहले इस पर जरूर अमल कर लें।'

इसके बाद विस्तार में निर्देश देते हुए इस परिपत्र में आर्क बिशप के निवास पर उनको अपनी–अपनी संस्थाओं के ऑडिट कराने के लिए दी गई तिथियों का उल्लेख भी किया गया है।

ऐसे शैक्षिक संस्थाओं के मामले में बड़े पादरी तमाम तरह के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे एक पूरी कानूनी व्यवस्था उनको मिली हुई है। एक दिलचस्प केस स्टडी के तहत गोरखपुर के एंड्रयूज इंटर कॉलेज का हवाला दिया जा सकता है। यह संस्था एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान है जिसे जिले के शिक्षा निरीक्षक का प्रमाण–पत्र हासिल है। इस संस्था का प्रबंधन एक प्रशासकीय योजना के तहत किया जाता है जिसे गोरखपुर क्षेत्र के उप शिक्षा निदेशक की स्वीकृति प्राप्त है। संस्था को यह स्वीकृति 1 जून 1966 से मिली हुई है।

इस प्रशासनिक योजना के तहत इस संस्थान के प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सोलह सदस्य हैं जिसके नौ सदस्य निवर्तमान पदाधिकारी और चार मनोनीत सदस्य होते हैं। इसके अलावा तीन सदस्य उपरोक्त सदस्यों द्वारा तय किए जाते हैं जिनमें एक का गैर ईसाई होना जरूरी है। निवर्तमान पदाधिकारियों का चयन लखनऊ डायोसेन ट्रस्ट एसोसिएशन (Lucknow diocesan trust association) नामक एक संस्था द्वारा किया जाता है जो कंपनी कानून के तहत पंजीकृत है और लखनऊ डायोसेन काउंसिल (Lucknow diocesan council) के शैक्षिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत है। इस इंटर कॉलेज की कोई सामान्य सभा (General Body) नहीं है और न ही कोई प्रबंध समिति। लिहाजा इसके सदस्यों का चुनाव नहीं होता इसके स्थान पर जो भी सदस्य प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं चाहे वह निवर्तमान पदाधिकारी हों या मनोनीत या फिर समिति द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य हों। सभी अवैतनिक सदस्य होते हैं। लखनऊ के बिशप प्रबंध समिति के निवर्तमान अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष और सहायक प्रबंधक जैसे पदाधिकारी उन सदस्यों में से चुने

जाते हैं जो प्रबंध समिति में शामिल होते हैं। प्रबंधक भी इन्ही सदस्यों में से चुना जाता है और नियुक्ति के लिए उसका नाम डीईबी के माध्यम से बिशप तक भेजा जाता है, क्योंकि बिशप कमेटी के सदस्यों में से किसी को नियुक्त करने के लिए अधिकृत होता है: इसका मतलब यह है कि प्रबंधक की नियुक्ति का अंतिम अधिकार बिशप के पास ही होता है। उसकी स्वीकृति के बिना प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की जा सकती।

चूंकि डायोसेन ट्रस्ट एसोसिएशन (Diocesan Trust Association) और डायोसने एजुकेशन बोर्ड (Diocesan Education Board) दोनों ही संगठनों में बिशप की भूमिका निर्णयकारी होती है। लिहाजा इन संस्थाओं के मामलों में उसे हर तरह का अंतिम फैसला लेने का अधिकार भी होता है। कई बिशप प्रबंधक की नियुक्ति के अधिकार संबंधी अनुच्छेद का लाभ उठाते हुए समिति के सदस्यों में से अपनी पसंद का प्रबंधक नियुक्त भी करते हैं। यहां तक कि वह खुद को ही प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर लेते हैं।

तमिलनाडु के थंजाउर जिले के कुंभकोनम क्षेत्र के बड़े पादरी 7 हायर सेकेंडरी स्कूलों, 8 स्कूलों, 33 मिडिल स्कूलों, 55 प्राइमरी स्कूलों, एक तकनीकी स्कूल, एक गूंगे बहरों के स्कूल, चार नर्सरी स्कूल, 42 छात्रावासों और बाल आवासों का संचालन करते हैं। इस संस्थान ने 1860 के एक कानून के तहत रोमन कैथोलिक डायोसेस के अधीन कुंभकोनम में डायोसिस सोसायटी के नाम से संस्था पंजीकृत करा रखी है। इस सोसायटी का पंजीकरण नम्बर– 1/1922–23 है। कुंभकोनम के रोमन कैथोलिक डायोसिस के बिशप इस संस्था के अध्यक्ष हैं। इस सोसायटी ने कई तरह की संस्थानों की स्थापना की है। उनमें गिरजाघर हैं, चैपल हैं, शैक्षिक, औद्योगिक, तकनीकी और चिकित्सा से जुड़ी संस्थाएं हैं जो इस सोसायटी के बैनर के तहत संचालित हैं। ये संस्थाएं कई तरह के स्कूल, कॉलेज, तकनीकि प्रशिक्षण केंद्र, सामाजिक संस्थाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, क्लब, मनोरंजन केंद्र, अनाथालय, वाचनालय, अध्ययन केंद्र, कृषि स्कूल और अन्य दूसरे तरह के शैक्षिक केंद्रों का संचालन करती हैं। जिनका उद्देश्य थंजावर, तिरूचिरापल्ली, अरियालूर, पेरमबलूर, थीरूवरूर और कूडालोर जैसे राजस्व जिलों में सोसायटी के कार्यों को प्रोत्साहित करना होता है। कुंभकोनम डायोसेस की सीमा में आनेवाले सभी भू–भागों में इन संस्थाओं की पूर्णकालिक या अंशकालिक गतिविधियां वर्तमान में भी संचालित हो रही हैं।

कुंभकोनम का बिशप जो कुंभकोनम डायोसिस सोसायटी का अध्यक्ष होने के साथ ही सभी शैक्षिक संस्थाओं का प्रबंधक होता है, वह डोयासिस एजूकेशन कमेटी (डीईसी) का अध्यक्ष भी होता है। इस कमेटी में कुछ दूसरे पुरोहित भी सदस्य होते हैं लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि पुरोहित के रूप में उनकी नियुक्ति बिशप के ही हाथों होती है।

डीईसी के अध्यक्ष के रूप में बिशप को प्राप्त अधिकार

- शैक्षिक संस्थाओं के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और बर्खास्तगी का अधिकार।
- बड़े पादरियों, धार्मिक पुरोहितों तथा स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों, पुरूष और महिला सन्यासियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और डायोसेसन प्रबंधन से उनको हटाने का अधिकार। कुंभकोनम डायोसिस सोसायटी के अंतर्गत एक नया शैक्षिक संस्थान खोलने की स्वीकृति देने के साथ ही मौजूदा स्कूल के उच्चीकरण और किसी संस्थान को बंद करने के साथ ही किसी संस्था का दूसरी संस्था में स्थानांतरण करने का अधिकार। इसके अलावा किसी दूसरे प्रबंधन से किसी संस्था को डीईसी के प्रबंधकर्ताओं की सलाह से खरीदने का अधिकार।
- डायोसिस के अंतर्गत संचालित किसी भी शैक्षिक संस्थान के वित्तीय प्रशासन की निगरानी का अधिकार।

जून 2012 के न्यूज लेटर में बिशप–अध्यक्ष की उच्च अधिकार प्राप्त शक्तियों की घोषणा इस रूप में की गई है।

कुंभकोनम डायोसिस सोसायटी के स्कूलों के अध्यक्ष और प्रबंधक पदों पर तैनात बिशप के पास सोसायटी और सोसायटी के संरक्षण में संचालित सभी शैक्षिक संस्थाओं के हित में किए जाने वाले किसी भी काम का अधिकार प्राप्त होता है। इस संबंध में जारी किए गए नियमों और निर्देशों या आदेशों में इसका उल्लेख किया गया है। उच्चाधिकार में मिली शक्तियों के आधार पर लिए गए सभी फैसले, सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

नियमों का प्रकाशन

इस तरह बनाए गए सभी नियम डायोसन न्यजू लेटर में प्रकाशित किए जाने चाहिए। अगर ये नियम नियत दिन लागू नहीं हो सके तो प्रकाशन की तिथि से उनको लागू करना अनिवार्य होगा।

ये तमाम निर्देश 1 जुलाई 2012 से लागू हो और इनपर 31 मई 2012 को कुंभकोनम डायोसिस सोसायटी के अध्यक्ष की हैसियत से रेवरेंड एफ एंटोनीसामी ने हस्तक्षेप किया जो कुंभकोनम डायोसिस सोसायटी के भी अध्यक्ष हैं। चर्च के कोष के संबंध में कुंभकोनम सोसायटी द्वारा कोष संग्रह के संदर्भ में लिए गए एहतियाती कदमों पर एक नजर डालना प्रासंगिक होगा।

चर्च से फंड

- किसी भी डायोसेस के अंतर्गत आनेवाले सभी केंद्रों के कैथोलिक परिवारों को हर साल 20 रुपए अपनी ओर से डायोसिस में जमा कराना होता है। यह व्यवस्था जून 2012 से अमल में लाई गई है। इस मद में मिलनेवाली राशि सभी केंद्रों द्वारा 31 मार्च से पहले शीर्ष संस्थाओं को भेज देनी होगी। टीएनपीसीआरआई (TNPCRI) ने यह तय किया है कि स्कूलों में काम करने वाले लोग जिनका वेतन सरकारी स्कूलों के वेतन के समान हो वे अपने मूल वेतन का 1 प्रतिशत डायोसेसन पैस्टोरल सेंटर को भेजेंगे।
- एक बार जब विदेशी मिशनरी हमारे देश में आ गए और उन्होंने ईसाईयत के प्रचार में हमारे लोगों की मदद कर दी तब अब यह कर्तव्य बनता है कि हम जरूरत और मांग के अनुसार दूसरे देशों को अपने मिशनरी भेजें। ऐसे मिशन के लिए जो लोग बाहर भेजे जाते हैं और उनको इसका आर्थिक लाभ भी होता है तो उनको हर माह एक निश्चित राशि डायोसेस में जमा करानी चाहिए।
- संडे कलेकशन, दान, पारिवारिक सदस्यता शुल्क और ऐसे ही दूसरे दानपात्रों से मिलने वाले राजस्व के साथ ही चर्च की भूमि, मकान, दुकानें और विवाह मंडपों से होने वाली आय स्कूलों के पैरिस एकाउंट में जमा कराई जानी चाहिए। पैरिस से उम्मीद की जाती है कि वह डायोसेस के लिए निर्धारित राशि उसके खाते में जमा कराए।

शैक्षिक संस्थाओं से फंड

- प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के लिए यह जरूरी है कि वे डायोसेस द्वारा तय की गई निश्चित राशि डायोसेस में जमा कराए। डायोसिस में निम्नलिखित अनुपात में जमा कराई गई राशि स्कूलों के उच्चीकरण के काम आएगी और इस मद में किए गए खर्च की भरपाई कुल आय से प्राप्त ब्याज की राशि से पूरी की जाएगी। स्कूलों के उच्चीकरण के लिए प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल में बदलने के लिए तीन लाख रुपए, मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में बदलने के लिए और हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में बदलने के लिए 15 लाख रुपए फंड के रूप में देना जरूरी है।

  इस विवरण से तीन तरह के आयाम नजर आते हैं। चर्च अपने सदस्यों से कई रूपों में कोष का संग्रह करते हैं। शिक्षा संस्थानों से मिलनेवाले फंड आमतौर पर चर्च से नियंत्रित होते हैं और बिशप पूर्ण अधिकार प्राप्त अधिकारी होता है।

विदेशी अनुदान

चूंकि कैथोलिक चर्च को मिलने वाली सहायता राशि सीधे उनके डायोसेस को चली

जाती है इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनकी राशि कम दिखती है। लेकिन अगर हम सामूहिक विश्लेषण की बात करें तो कैथोलिक चर्चों से जुड़े हुए 171 कैथोलिक डायोसेस और मान्यता प्राप्त संगठनों के नाम एफसीआरए की सूची में हैं। इन सभी को कुल मिलाकर 2 हजार 132 करोड़ रुपए वर्ष 2006–2011 के दौरान उपलब्ध हुए। CARITAS India नामक बड़ी संस्था जो भारत में कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकृत संगठन माना जाता है, ने इस अवधि में 318 करोड़ रुपए हासिल किए थे। उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कैथोलिक चर्च को मिलनेवाली विदेशी सहायता की रकम सर्वाधिक है। केरल में तिरूअनंतपुरम के सेंट जैरोंम कैथोलिक चर्च इस सूची में सबसे ऊपर है जिसने 2007 में जर्मनी के एक संगठन NEUES KERALA से 57 करोड़ की सहायता हासिल की थी। इस चर्च को यह सहायता राशि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, उत्सव जैसे अनेक समारोहों के आयोजन के लिए मिले थे। जर्मन भाषा में NEUES का मतलब नए से है। जाहिर है यह पूरी सहायता राशि विदेशों में फैले केरल के ईसाई समुदायों की संस्था की ओर से दी गई। हमने विभिन्न संगठनों द्वारा और विभिन्न चर्चों द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराई गई विदेशी सहायता राशि का उल्लेख आगे उचित स्थानों पर किया है।

अचल संपत्ति

ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत का हिस्सा होने के नाते कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही चर्चों के पास बड़े पैमाने पर अचल संपत्ति है। जो आज भी कई–कई शहरों में मौके की जगह पर अवस्थित हैं। ब्रिटिश सिपाहियों की सुविधा को देखते हुए गिरजाघरों का निर्माण सैनिक छावनियों के आसपास ही किया गया था और उनमें से कई रक्षा भूमि का ही हिस्सा हैं। आजादी के बाद भारत की नई स्वतंत्र सरकार ने चर्च को भूमि का आवंटन करना जारी रखा। लिहाजा चर्चों ने भी अपने शैक्षिक संस्थानों और उपासना स्थलों के लिए भूमि की खरीद जारी रखी। इसलिए आज की तारीख में यह पता लगा पाना मुश्किल काम है कि वास्तव में चर्च के पास कितनी अचल संपत्ति है?

ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो भूमि चर्च का एक अंतरंग हिस्सा मानी जाती है। उदाहरण के लिए केरल के वायनाद जिले की मुल्लन कोली पंचायत की मालनकारा कैथोलिक चर्च के लगभग 45 केंद्र (Parishes) हैं। इनमें हर एक केंद्र के पास तीन से पांच एकड़ जमीन अपनी है। केरल का कॉफी बोर्ड जिसको आदर्श कॉफी खेती मानता है ऐसी इस चर्च के पास नाम्बियारकुन्नु में है और कट्टीकुलम में 90 एकड़ क्षेत्रफल में कॉफी और काली मिर्च की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर स्थित सीएनआई के बड़े गिरजाघर ने 2011 में 20 एकड़ जमीन शैक्षिक कार्य के लिए खरीदी है। चर्च लगातार

जमीन के अधिग्रहण और अचल संपत्ति के फैलाव पर ध्यान दे रहा है।

नवंबर 1970 में बड़ी लम्बी बहस और चर्चाओं के बाद आधा दर्जन चर्चों के मिलन से चर्च ऑफ नार्थ इंडिया का गठन किया गया। इन चर्चों में भारत पाकिस्तान और श्रीलंका की एंगलीकन चर्च, काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट्स चर्चेज इन नॉर्थ इंडिया, द चर्च ऑफ द ब्रद्रेन इन इंडिया, द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, द मैथोडिस्ट चर्च (ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया कांफ्रेंस) और द यूनाइटेड चर्च इन नॉर्दन इंडिया ने मिलकर सीएनआई बनाई थी।

इससे पहले भारत, पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका के चर्च उत्तर भारत में बड़ी तादाद में जमीन के मालिक थे और सभी चर्च अपने–अपने स्वामित्व वाली जमीन का प्रबंधन अलग से किया करते थे। सीएनआई के बनने के बाद इन सभी चर्चों की एकीकृत स्वामित्व वाली भूमि के प्रबंधन के लिए सीएनआई ट्रस्ट एसोसिएशन का गठन किया गया।

हालांकि कुछ बिशप और पुरोहितों ने इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। जिसके चलते अचल संपत्ति के स्वामित्व को लेकर अदालती विवाद भी खड़े हो गए। एक ऐसे ही अदालती मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने रखे गए एक विवरण के मुताबिक सीएनआई के पास 50 हजार करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। हमारी जानकारी के मुताबिक यह अनुमान इसलिए भी सही है क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के बारे में सही जानकारी रखते हैं।

सीएसआई ट्रस्ट एसोसिएशन का गठन एक कानूनी संगठन के रूप में सितंबर 1947 में किया गया था। तत्कालीन कंपनी एक्ट के तहत यह एक धार्मिक और चैरिटेबल कंपनी के रूप में पंजीकृत है। जिसका कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है और जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। इस संस्था के गठन के बाद गिरजाघरों की संपत्तियों का हस्तांतरण सीएसआईटीए को कर दिया गया है। सीएसआई उत्तरी केरल की अधिकृत वेबसाइट svaecsi.net में दी गई जानकारी के मुताबिक सीएसआई की अचल–संपत्ति की कुल लागत एक लाख करोड़ से कुछ ज्यादा ही है। उनके ही द्वारा जुटाए गए एक उदाहरण के मुताबिक केवल बंगलौर शहर में सीएसआई के पास किसी संस्था के मुकाबले सबसे अधिक अचल संपत्ति है। दिलचस्प यह भी है कि सरकारी अचल संपत्ति को छोड़ दें तो बंगलौर की इस संस्था की तमाम अचल संपत्ति शहर के एकदम केंद्र में है। शहर के बीचों–बीच स्थित तेरह एकड़ का वह जमीन का टुकड़ा जिस पर बिशप कॉटन ब्वॉय स्कूल स्थापित है, का बाजार मूल्य आज की तारीख में 1,200 करोड़ रुपए से कम नहीं है। बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल कैथिड्रल, सेंट जोंस चर्च, सेंट मार्क्स चर्च, सेंट एंड्रयूज चर्च, ईस्ट परेड, ट्रीनीटी, सीएसआई जैसे अस्पताल व्यावसायिक परिसर

सरीखे तमाम महत्वपूर्ण संस्थान बंगलौर की चर्चित लेवले रोड, मिशन रोड जैसी जगहों पर स्थापित हैं। ऐसे अभिजातीय स्थानों में सीएसआई परिसर के होने से ही उसकी कीमत 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक की हो जाती है, वह भी केवल एक शहर में।

कैथोलिक चर्च के स्वामित्व में जो जमीन है वह सीएनआई और सीएसआई के स्वामित्व वाली जमीन से कहीं ज्यादा है। हाल ही में अप्रैल 2012 में केरल की यूडीएफ सरकार ने यह तय किया कि एरिनजालाकुड़ा के क्राइस्ट कॉलेज, सेंट थॉमस और सेंट मेरीज कॉलेज को त्रिचूर में लीज में लिए हुए प्लॉट हमेशा के लिए आवंटित किए जाएं। इसके लिए क्राइस्ट कॉलेज को लगभग 15 एकड़ जमीन के एवज में केवल एक लाख 54 हजार 700 रुपए का भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त 2 करोड़ रुपए सरकारी मद से इसलिए भी चुकाने पड़े क्योंकि इन प्लॉटों की लीज के एवज में ली जानेवाली राशि सरकार ने माफ कर दी। मजेदार बात यह है कि इस जमीन का बाजार भाव लगभग 40 करोड़ रुपए आता है। इसी प्रकार थॉमस कॉलेज की 70 लाख की राशि भी माफ कर दी गई। ये सारे फैसले राजस्व अधिकारियों की असहमति को नजरअंदाज करके लिए गए। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व निवेदिता पी. हारन) द्वारा तैयार किए गए एक नोट से यह पता चलता है कि राज्य सरकार ने ऐसा फैसला न लेने की हिदायतों को नजरअंदाज कर यह फैसला लिया है। अगर त्रिचूर जैसे एक शहर में कैथोलिक चर्च के आधिपत्य वाली जमीन का यह नजारा है तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि इस राज्य में कैथोलिक चर्च के पास और कितनी अधिक जमीन होगी।

विवाद

अचल संपत्ति के उपयोग को लेकर विवाद

इंडियन चर्च मापका कानून (Measure Act) 1927 तथा इसके बाद लिए गए कानूनी प्रावधानों के मुताबिक ब्रिटिश काल में जमीन का जो हिस्सा चर्च को दिया गया वह चर्च के ही स्वामित्व में रहेगा पर इसका मतलब ऐसी जमीन में चर्च का पूरा मालिकाना हक हो जाना नहीं है। इसका मतलब यही है कि ऐसी अचल संपत्तियों पर चर्च का प्रबंधकीय अधिकार होता है। 3 अगस्त 1965 को रक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को भेजे गए एक परिपत्र में भी यह खुलासा किया गया है कि इंडियन चर्च ट्रस्टीज के पास चर्च की जो संपत्ति है उस पर चर्च का ही अधिकार है और यह अधिकार प्रबंधन तक ही सीमित है पर हमारे अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि कई मामलों में चर्च उनके आधिपत्य वाली जमीनों को बेच रहे हैं और यह स्थिति पूरे भारत में है। जिसका विरोध करने के लिए कई स्थानों पर ईसाई लोगों ने आंदोलन भी किए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और लखनऊ डायोसेस ट्रस्ट एसोसिएशन (Lucknow Diocesan Trust Association) के बीच 22 एकड़ भूमि को लेकर एक विवाद पैदा हुआ। यह संपत्ति शहरी क्षेत्र में गोरखपुर नगरपालिका की सीमा में आती है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में यह व्यवस्था दी कि यह संपत्ति चर्च के आधिपत्य में है। लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल उसी काम के लिए होना चाहिए जिस काम के लिए यह जमीन चर्च को आवंटित की गई थी और वह काम है शिक्षा का प्रसार। स्पष्ट है कि चर्च इस जमीन का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करना चाहती थी जिसके कारण ही यह विवाद पैदा हुआ।

आयकर कानून 1961 के अंतर्गत धारा 12ए (ए) के तहत The Services Association of Seventh Day Adventists Pvt. Ltd. (SDA Pvt. Ltd) नामक एक संगठन का पंजीकरण किया गया। इसके अलावा कंपनी कानून 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक और कंपनी का पंजीकरण किया गया था। यह कंपनी Seventh Day Adventists की भूमि का रख–रखाव किया करती थी। जांच के दौरान आयकर विभाग को यह पता चला कि इंडिया फाइनेंशियल एसोसिएशन (आईएफए) नामक कोई दूसरा संगठन ही इस संपत्ति के साथ ही अन्य अचल संपत्तियों की भी देखरेख कर रहा है।

2007 में आयकर विभाग और कंपनी के बीच एक विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि The Services Association of SDA Pvt. Ltd ने अपने दस्तावेजों में यह दर्शाया था कि 16 करोड़

92 लाख 30 हजार 947 रुपए लागत की अचल संपत्ति आईएफए को स्थानांतरित कर दी गई। लेकिन आयकर अधिकारियों ने देखा कि आईएफए जो खुद भी आयकर कानून की धारा 12 ए (ए) के तहत एक पंजीकृत संस्था है ने अपने खातों में स्थानांतरित जमीन की लागत केवल तीन करोड़ 36 लाख 11 हजार 598 रुपए ही दर्शायी थी। लिहाजा आयकर विभाग और कंपनी के बीच एक विवाद आयकर न्यायाधीकरण तक पहुंचा। यों तो यह खातों में गड़बड़ी करने वाला एक सामान्य मुकदमा ही था पर खातों में यह गड़बड़ी एक धार्मिक कंपनी द्वारा की गई थी जो अपने आप में आश्चर्य करनेवाली बात थी। इसके बाद 1908 में आईएफए ने कुल 70 एकड़ जमीन में से 24.31 एकड़ जमीन बेचने का फैसला लिया। बंगलौर के सैलिस बरी पार्क एरिया स्थित मौके की जगह वाली इस जमीन की तब कुल लागत 10 करोड़ रुपया प्रति एकड़ आंकी गई थी। Seventh Day Adventists Church के सदस्यों ने इसके विरोध में एक प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, 'हम नहीं चाहते कि इस क्षेत्र की कोई भी जमीन विकास कार्यों के लिए बेची जाए। यह चर्च का क्षेत्र है और हम नहीं चाहते कि यह क्षेत्र किसी बाहरी पार्टी को बेचा जाए। विरोध प्रदर्शन का आयोजन करनेवाले चर्च के एक सदस्य सनातन रक्षे ने अपना पक्ष रखते हुए यह बात कही। पर शायद ये लोग असहाय हैं। क्योंकि 2008 में The Services Association of SDA Pvt. Ltd और आईएफए के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति, ईसाईयों के बड़े पादरी रॉन वाट्स ही इन सभी गतिविधियों के मुख्य सूत्रधार थे। 2006 से 2011 के बीच विदेशी सहायता के बल पर आगे बढ़नेवाली संस्था The Services Association of SDA Pvt. Ltd हमारे अध्ययन में उन संस्थाओं के रूप में उभरकर सामने आई जिसे 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी सहायता इस अवधि में मिली। जानकारी के मुताबिक 2006 से 11 के बीच में इस संस्था को 244 करोड़ रुपए का विदेशी अनुदान मिला था।

मार्च 2012 में सीएनआई के एक अवकाश प्राप्त बिशप उन तीन लोगों में एक थे जिनको मुंबई में रक्षा भूमि का एक प्लॉट अवैध रूप से बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बिशप बैजू गावित, वकील रजनीकांत साल्वी और उनके भाई शशिकांत साल्वी को एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया। यह शिकायत मुंबई के एक व्यापारिक समूह सपूर जी पलोन जी ग्रुप ने की थी। पुलिस को यह शिकायत व्यापारिक घराने के कानूनी विभाग से मिली थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि बिशप और उनकी टीम ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नजदीक हजारीमल सोमानी मार्ग में 4266 वर्ग गज का एक जमीन का टुकड़ा साढ़े पांच करोड़ में बेच दिया था।

1953 में सालाना एक रुपए प्रतिवर्ष की लीज पर 99 साल के लिए रक्षा मंत्रालय की जमीन का यह टुकड़ा Bombay Diocesan Trust Association को दिया गया था। इस प्लॉट में विरासत से जुड़े भवन बने हैं। पुलिस के मुताबिक यह जमीन महाराष्ट्र की उन अनेक अचल

संपत्तियों में से एक थी जिन्हें भारत सरकार ने एसोसिएशन को शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए लीज पर दिया था। जांच अधिकारी सीबी टटकारे ने बताया कि ऐसी संपत्तियों को कोई भी व्यक्ति खरीद और बेच नहीं सकता।

यही बिशप बैजू गावित संपत्ति के एक और विवाद से भी जुड़े रहे हैं। श्री गावित मुंबई की बाईकुला बस्ती में 77 हजार वर्ग फूट भूमि के एक टुकड़े और मुंबई की वाइडर चर्च मिनिस्ट्री के 6.8 करोड़ के एक अन्य मामले में भी विवाद में उलझे हुए हैं। इस विवाद में एक अन्य बिशप प्रकाश पटोले उनके प्रतिपक्षी हैं।

फंड के दुरुपयोग से संबंधित विवाद

मई 1911 में तमिलनाडु पुलिस की अपराध शाखा ने कोयंबटूर के चीफ मजिस्ट्रेट के सामने 500 पेज की एक चार्जशीट दाखिल की। जिसमें कहा गया था कि कोयंबटूर के सीएसआई के बिशप रेव. मनिकम दोरई, उनके दो भाईयों और चार अन्य सहयोगियों ने अपने डायोसेस को लेकर 4 करोड़ 25 लाख रुपए का घोटाला किया था। 17 मई को बिशप दोरई के खिलाफ अक्टूबर 2010 में हुए एक घोटाले की जांच के दौरान वित्तीय गड़बड़ी करने का दोषी पाया गया था। इस रिपोर्ट को तैयार करनेवाले टीम के सदस्यों का नेतृत्व कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस माइकल सलधाना, कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ए.जे. आनंदन और बैंक ऑडिटर सी.ई. सरासम कर रहे थे। इस टीम ने अपनी जांच में बिशप दोरई के खिलाफ अपराध की पुष्टि की थी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिशप दोरई ने अपने निजी स्वार्थ के लिए चर्च की हर तरह की सुविधा का बेजा इस्तेमाल किया और यह भी पता लगा कि बिशप ने 20 प्रतिशत के कमीशन की एवज में चर्च की संपत्ति को बेचने का अधिकार स्थानीय संपत्ति का व्यापार करने वाले स्थानीय व्यापारियों को बाजार की कीमत के हिसाब से बेचने के लिए दे दिया था। कमेटी का मानना है कि इसके एवज में संपत्ति के व्यापारियों से विशप को कमीशन के रूप में भारी रिश्वत दी। कमेटी का यह भी कहना है कि यह सौदे केवल कुप्रबंधन के नहीं हैं बल्कि बेईमानी और अपराधीवृत्ति के भी परिचायक हैं। इसी फैसले के अनुपालन में 9 जनवरी 2012 को सीएसआई के मध्यस्थ एस. बसंत कुमार ने एक लिखित पत्र के माध्यम से यह खुलासा किया कि बिशप दोरई किसी भी रूप में बिशप के पद पर बने नहीं रह सकते।

2009 में चेन्नई की केंद्रीय अपराध शाखा के गुप्तचरों ने सीएसआई के एक महासचिव और उनके तीन पारिवारिक सदस्यों को गिरफ्तार किया था। सीएसआई की महिला महासचिव डॉ. पॉलिन सत्यमूर्ति पर लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपए की चोरी का आरोप है। तकलीफदेह बात यह है कि यह पैसा अनुदान से मिली जिस राशि से चुराया गया था वह राशि सुनामी पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए भेजी गई थी। गौरतलब है कि सुनामी की यह घटना 2004 में हुई थी। डॉ. सत्यमूर्ति उनके पति, बेटी और भतीजे को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

जब 10 महीने की जांच के बाद पुलिस को इनके खिलाफ सुराग मिले थे। इस चोरी का पता 2007 में तब चला जब रेव. मॉसेस जय कुमार को डॉ. सत्यमूर्ति के स्थान पर सीएसआई का महासचिव नियुक्त किया गया था। जयकुमार ने अपना कार्यभार संभालने के बाद यह देखा कि डॉ. सत्यमूर्ति ने खातों की जांच करने के संबंध में की गई एक अपील पर लंबे अरसे से कोई ध्यान नहीं दिया था। जिसके चलते ऑडिट न हो पाने के कारण उस स्वैच्छिक संगठन ने सीएसआई को अनुदान देना बंद कर दिया।

सीएसआई ने मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे. कनग राज से मामले की जांच करने को कहा था। डॉ. सत्यमूर्ति ने जांच में सहयोग करने से इंकार कर दिया, लेकिन न्यायाधीश कनग राज ने पाया कि सत्यमूर्ति ने अपने पति को सुनामी प्रभावितों के लिए बनी मकानों की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया था। अपनी बेटी को चिकित्सा राहत कार्य का मुखिया बना दिया और अपने भतीजे को सुनामी राहत कार्यों की देखरेख के लिए लायजन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया और इन सभी को मोटी–मोटी पगार दी गई। दिसंबर 2008 में जय कुमार ने न्यायाधीश कनग राज की रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी। जिस पर पुलिस ने आपराधिक जांच का काम शुरू कर दिया। इसके आधार पर ही 2009 में पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकी। सीएसआई के पूर्व मॉडरेटर और तिरूचि थंजावुर के पूर्व बिशप डॉ. सोलोमन दोरईस्वामी की बेटी डॉ. सत्यमूर्ति और उनके सहयोगियों को पुलिस कस्टडी में मद्रास की पुझाल जेल में भेज दिया गया।

एक अन्य बिशप रेव. टी. सैमुअल कनक प्रसाद को मेडक के बिशप पद से सीएसआई की कार्यकारिणी समिति ने निलंबित कर दिया था। 9 जून 2012 को लिखे गए एक पत्र में सीएसआई के मॉडरेटर बिशप जी. देवका दसम ने लिखा था कि कार्यकारिणी समिति ने 24 अप्रैल को बिशप कनक प्रसाद के खिलाफ निलंबन का फैसला वोट देकर किया। मोटे तौर पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिले लेकिन अदालत के एक फैसले के कारण निलंबन के फैसलों पर अमल नहीं किया जा सका था। बताया जाता है कि बिशप प्रसाद ने कार्यकारिणी समिति के फैसले पर रोक लगाने के लिए अदालत में अपील की थी। लेकिन जब 5 जून को अदालत के इस आदेश की अवधि समाप्त हो गई तब कार्यकारिणी समिति अपने फैसले को लागू करने के लिए स्वतंत्र थी। इसीलिए बिशप प्रसाद को हटना पड़ा।

देश का सबसे संपन्न बड़ा गिरजाघर माना जानेवाला हैदराबाद स्थित मेडक का डोयोसेस भी कानूनी विवादों का गवाह रहा है। हालत यहां तक बढ़ गए थे कि बिशप और उनके विरोधियों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। 10 जून 2012 को डेक्कन क्रॉनिकल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बिशप के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से बिशप के आदमियों को अलग करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ गई थी।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है द चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन (सीएसआईटीए) सीएसआई की संपत्ति की निगरानी करती है। भारतीय कंपनी कानून 1956 की धारा 25 के अंतर्गत यह संस्था लाभ के लिए काम नहीं करती। इस संस्था को न्यूनतम अंश पूंजी दर्ज करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी संस्था केवल व्यापारिक कार्यों के लिए पिछले चार साल के व्यापार का रिकॉर्ड दर्ज करती है और सरकार की स्वीकृति के बिना भी कंपनी के निदेशकों की संख्या बढ़ा सकती है। इसकी एवज में इस संस्था को आय का उपयोग सीएसआई के मिशन और मिनिस्ट्री का विस्तार करने में धन की जरूरत होती है। यह संस्था अपने सदस्यों की आय में से किसी तरह का अंशदान नहीं ले सकती। एक फरवरी 2010 को सीएसआई ट्रस्ट एसोसिएशन की बेनिफिश्यरी एसोसिएशन के महासचिव डॉ. जॉन दोरई ने चर्च में एक एडवोकेसी ग्रुप की स्थापना की और कंपनी रजिस्ट्रार को लिखी एक शिकायत में सीएसआईटीए के खातों की जांच करने को कहा इस पर सीएसआईटीए ने अपने सचिव एम.एम. फिलिप के माध्यम से अदालत में यह मुकदमा लड़ा। बहरहाल 22 मार्च 2012 को मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस. राजेश्वरन ने फैसला दिया कि सीएसआईटीए एक कंपनी है इसलिए इसको अपने रिकॉर्ड की जानकारी कंपनी रजिस्ट्रार को देनी चाहिए। 22 मई 1912 को जारी एक रिपोर्ट के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार ने सीएसआईटीए प्रबंध समिति के सदस्यों को सूचित किया कि सीएसआईटीए की आय का उपयोग उद्देश्यों के अनुरूप कार्यों के लिए नहीं हो रहा है। कंपनी रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया था कि पिछले चार साल की जो आय और व्यय की बैलेंस सीट सीएसआईटीए ने तैयार की है वह कंपनी के मामलों की सही जानकारी नहीं देती। रिपोर्ट के मुताबिक न केवल खातों में की गई प्रविशिष्टयों का कोई रिकॉर्ड है और न ही कोई दूसरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मसलन, अचल संपत्तियों, संपत्ति की बिक्री, लिए गए ऋण, बिक्री के कारण, संपत्ति की खरीद, विदेशी अनुदानों की रसीद, आय और खर्च का विवरण जैसी जानकारियां बैलेंस सीट में सही रूप से नहीं दी गई है। रिपोर्ट ने सीएसआईटी के प्रबंधन और कामकाज में 27 तरह की अनियमितताओं को गिनाया है। जब तक सुधारों पर तुरंत कार्रवाई न की जाए, तबतक चर्च की संपत्ति की खरीद–फरोख्त नहीं की जा सकती।

अब जबकि हम यह जानते हैं कि सीएसआईटीए ने क्यों कंपनी रजिस्ट्रार को अपना काम करने से रोका उससे यह साफ होता है कि सीएसआईटीए बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन का शिकार है।

इंटरनेट में उपलब्ध अनेक उदाहरणों में से हमने केवल कुछ ऐसे ही मामलों को यहां उठाया है जो बिशप की या उससे ऊपर के अधिकारी की अनियमितताओं का खुलासा करते हैं। ये सब लोग वरीयता क्रम में उच्च पदों पर आसीन होते हैं और इनसे ऐसे आपराधिक कृत्यों की उम्मीद नहीं की जा सकती। इससे ऐसा आभास होता है कि चर्च और उसकी संस्थाओं में बड़े पैमाने पर काफी कुछ गलत हो रहा है।

भारत के ईसाई समुदाय के लिए यह एक गंभीर मसला है। गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न

एक बैठक में ईसाई समुदाय के कई जानेमाने लोगों ने इस पर खुल कर अपने विचार रखे।

देश की कुल आबादी में ईसाईयों की संख्या मात्र 2.5 प्रतिशत है। लेकिन चर्च को आज आवश्यकता से ज्यादा संसाधनों के कारण आने वाली समस्याओं ने त्रस्त किया है। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के अध्यक्ष रेमी डेनिस ने बड़े दुख के साथ यह स्वीकार किया।

चर्च प्रशासन लगभग उतने ही फंड का संचालन करता है जितना भारतीय नौसेना का सालाना बजट होता है। यह भी कहा जाता है कि सरकार के बाद चर्च सबसे बड़ा रोजगार देनेवाला संगठन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गोवा के एनआरआई कमिश्नर एडुआर्डो फैलेरियो प्रो. डेनिस की तरह उन कैथोलिकों में से एक हैं जो ऐसा मानते हैं कि चर्च की संपत्तियों का संचालन करने के लिए एक कानून की जरूरत है। यही नहीं इस पूरे मामले में पारदर्शिता की भी बहुत बड़ी जरूरत है। चर्च ताकत का प्रतीक नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक है और जनतांत्रिक कानून इस पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए। सभी धर्मों को कानून के सामने एक ही पायदान पर रखना जरूरी है। चर्च की संपत्तियों को राज्य के कानून के अंतर्गत लाने के संदर्भ में आयोजित एक सम्मेलन में एडुआर्डो फैलेरियो ने अपना यह बयान दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के.टी. थॉमस ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि भारत में सभी दूसरे धर्मों के अपने कानून हैं जिनके तहत संपत्तियों का प्रशासन किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन उनके द्वारा गठित न्यासों द्वारा किया जाता है और यह न्यास कानून के दायरे में आते हैं तथा इनकी कार्यशैली न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सबसे छोटे धार्मिक समूह सिखों के गुरुद्वारों का संचालन करने के लिए सिख गुरुद्वारा कानून है। इसी तरह मुस्लिम न्यास की संपत्ति वक्फ कानून के दायरे में आती है। श्री थॉमस ने कहा "मुझे ऐसा लगता है कि ईसाई समुदायों के कार्यक्रमों की न्यायिक जांच के खिलाफ जो भय की भावना बन रही है उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जिस तादाद में ईसाई संगठनों के पास संसाधन इकट्ठा हुए हैं, कहीं इस तरह की जांच से उसका खुलासा न हो जाए।"

योहानन साम्राज्य

जब हमने पहली बार यह जानने की शुरूआत की कि ईसाईयत के संगठनों को लेकर FCRA के आंकड़े क्या कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से वर्ल्ड विजन ही विजेता के रूप में सामने दिखाई दिया। पर, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, विदेशी सहायता लेने के नाम पर कैथोलिक चर्च ही अग्रणी रहा। कैथोलिक चर्च को न केवल सबसे ज्यादा रकम विदेशी सहायता के नाम पर मिली बल्कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसे मदद दी। एक अन्य जानकारी इस बारे में यह भी मिली कि जिन संस्थाओं की स्थापना ईसाई धर्म के प्रचारक के. पी. योहानन ने की है या जिन संस्थाओं की स्थापना में उनका हाथ रहा है उनको वर्ल्ड विजन जैसी संस्थाओं से भी कहीं

अधिक विदेशी सहायता के रूप में मिली है। गॉस्पल फॉर एशिया, बिलीवर्स चर्च, लव इंडिया मिनिस्ट्री (Gospel for Asia, Believers Church, Love India Ministry) जैसी तमाम संस्थाओं ने अपने पत्र व्यवहार का एक ही पता Manjadi Kerala, Pin 689105 या इसके आसपास का ही दिया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सभी विदेशी सहायता एक ही स्रोत से प्राप्त करते हैं। वह स्रोत अमेरिका स्थित Gospel for Asia है। इस अवधि के दौरान संगठनों के इस समूह को जो राशि विदेशी दान के रूप में मिली वह 1,145 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार यह समूह कैथोलिक चर्च के बाद दूसरा ऐसा बड़ा संगठन बन गया जिसे विदेशों से अपार धनराशि मिली।

लास्ट आवर मिनिस्ट्री (Last Hour Ministry) और लव इंडिया मिनिस्ट्री (Love India Ministry) जैसे संगठनों की गतिविधियों के बारे में इंटरनेट से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली लेकिन उनका मकसद एकदम साफ हैं। ये सभी संगठन एक ही काम करते हैं और वह यह कि Gospel को उन लोगों तक लेकर जाओ जो पहुंच के बाहर हैं और उनको यह याद दिलाया जाए कि जीसस ही उनका एक मात्र सहारा है। गॉस्पल फॉर एशिया (Gospel For Asia) 54 कॉलेजों के माध्यम से मिशनरीज को 3 साल का प्रशिक्षण देने का काम करती है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनको मिशनरी काम के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे ही इन लोगों को मिशनरी काम करते हुए वांछित संख्या में अनुयायी मिल जाते हैं वहां एक बिलीवर्स चर्च (Believers Church) की स्थापना कर दी जाती है। मौजूदा समय में ये 54 कॉलेज 9 हज़ार छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आत्मीय यात्रा नामक एक ऐसी संस्था है जो Believers Church के आधीन काम करता है। इस संगठन के तत्वावधान में रेडियो और टीवी उपदेशों की श्रंखला तैयार करने, किताबों का प्रकाशन, आध्यात्मिक समागमों का आयोजन, जन–जागरण, राहत और पुनर्वास जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। फिलहाल 110 भाषाओं में रेडियो संदेश देने और 24 भाषाओं में साहित्यिक योगदान का प्रसारण किया जा रहा है।

ईसाई धार्मिक संगठनों को समर्पित एक संस्था ईसीएफए (ECFA) के मुताबिक 2011 में अमेरिका की एक संस्था जीएफए यूएस (GFA USA) का कुल राजस्व 289 करोड़ रूपए था। GFA को दूसरे देशों से होने वाली आय की अमेरिका से होने वाली आय से तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए UK Charity कमिश्नर की साइट में जीएफए यूके (GFA UK) की 2010 की आय मात्र 11.9 करोड़ रूपए दर्शायी गई है।

GFA USA अमेरिका के एरिजोना प्रान्त की एक धार्मिक संस्था है। एरिजोना प्रांत के कॉरपोरेशन कमीशन की वेबसाइट में बताया गया है कि के. पी. योहानन GFA के निदेशक हैं और उनकी पत्नी, गिसेला पुन्नोस और पुत्र डेनियल पुन्नोस इसके उपाध्यक्ष हैं। तिरूवेला

मंजारी स्थित GOSPEL FOR ASIA नामक एक ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी भी योहानन हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि योहानन और उनका परिवार ही अमेरिका में दानदाता हैं और भारत में वो और उनका परिवार ही दान की राशि लेने वाला है। 2010 में योहानन के चार संगठनों ने 242 करोड़ रूपए की दान राशि ली थी जो GFA USA की कुल आय का 84 प्रतिशत बनती है। इस पर भी यदि वो पूरे ऐशिया में ईसाईयत के प्रचार का दावा करें तब भी यह आसानी से समझा जा सकता है कि इसकी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र भारत ही है।

वेबसाइट का कमाल

GFA ने हमेशा से ही यह दावा किया है कि जिस भी व्यक्ति ने GFA के माध्यम से ईसा को अपनाया है उसके साथ चमत्कार हुआ हैं। यह चमत्कार उनकी वेबसाइट से ही होता दिखाई देता है। भारत से GFA की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए www.gfa.org पर जाना होता है इसके बाद आप केवल एक पेज की वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं जहां शिक्षा और सेवा के कार्यों की जानकारी आपको मिलती है।

इसी साइट तक जब भारत के अलावा आप किसी दूसरे देश से पहुंचें तो आपको एकदम दूसरी ही जानकारी इसमें मिलती है और साइट भी एकदम अलग। इस साइट में ऐशिया के दूसरे हिस्सों में ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की ऐसी ऐसी रोमांचक कहानियां आपको मिलेंगी जिन्हें पढ़ कर आप आश्चर्य चकित रह जाएंगे। इस साइट में यह भी बताया गया है कि GFA के माध्यम से ईसाईयत का अनुयायी बने लोगों के साथ कैसे–कैसे चमत्कार हुए हैं। इसमें GFA प्रायोजित योजनाओं में डालर में दान करने की अपील की गई है।

अपने अध्ययन में हमने यह पाया कि धर्मांतरण के अलावा GFA व्यापक पैमाने पर अचल सम्पत्ति के कारोबार में भी संलग्न है। अगस्त 2005 में GFA ने हैरिसन मलयालम लिमिटेड नामक एक फर्म से रबड़ की खेती का 2,263 एकड़ क्षेत्रफल वाला भूखंड 63 करोड़ के कथित मूल्य पर खरीदा था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन्होंने केरल का बेहतरीन चेरूवेली रबड़ फार्म भी खरीदा। इसके अलावा सेन्ट्रल केरल के कई इलाकों में चर्च के पास इतनी अधिक जमीन है जिसमें अनाज़ उगाए जाते हैं। इसके साथ कई द्वीप भी इसके स्वामित्व में हैं। ये सभी भू–क्षेत्र उन ट्रस्टों के माध्यम से खरीदे गए जिनके मुखिया योहानन हैं। Believers Church के केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारी जैकब पठान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि "यह सही है कि 1990 से लेकर अब तक चर्च ने 1040 करोड़ रूपए लिए हैं लेकिन इसमें केवल 144 करोड़ रूपए ही केरल में अचल सम्पत्ति के कारोबार की मद में खर्च किए गए हैं।" इसलिए उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि योहानन से संबंध रखने वाले न्यासों के पास केरल में 4,500 एकड़ भूमि है।

वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल

वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी दुनिया के अनेक स्वैच्छिक संगठनों और भागीदारों में गहरी पैठ है। विभिन्न देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल असंख्य सामाजिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल 18 स्वतंत्र और 34 अर्द्धस्वायत्त संस्थाओं का एक परिसंघ है जिसका जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 2010 तक यह संस्था दुनिया के लगभग 100 देशों के लोगों के बीच काम कर रही थी। इनमें अमेरिका भी शामिल है और इस संस्था के अंतर्गत 40 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल के 2010 के 2.5 बिलियन डॉलर के बजट में वर्ल्ड विजन यूएस ने एक बिलियन फंड एकत्र किया। इसमें से 75 फीसदी की राशि निजी दान से प्राप्त हुई। वर्ल्ड विजन के समर्थकों में अमेरिका के राज्यों और जिलों से एक मिलियन दानदाता शामिल हैं।

वर्ल्ड विजन इंडिया की स्थापना 1976 में एक कानूनी संस्था के रूप में की गई थी। तमिलनाडु सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के तहत यह एक पंजीकृत सोसायटी है। अप्रैल 2010 तक यह संस्था पूरे देश में 174 स्थानों और 5306 समुदायों के बीच काम कर रही थी। ये सभी लोग कई सरकारी संस्थाओं और समितियों के सदस्य भी हैं। वर्ल्ड विजन के कई कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 2 लाख 50 हजार बच्चों को फायदा भी पहुंचा है। इस संस्था में काम करनेवाले कर्मचारियों की संख्या 1584 है। ये सभी लोग देश भर में स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इनका मासिक औसत वेतन तब तक 28,800 रुपए था। इस संस्था ने लगभग 135 लोगों को ठेके पर भी नौकरी दे रखी थी। जिनका औसत मासिक वेतन 13200 रुपए था। आयकर आयुक्त की ओर से इस संस्था को 1 जुलाई 1985 को मान्यता दे दी गई थी ताकि वह अपना खुद का प्रोविडेन्ड फंड ट्रस्ट शुरू कर सके। ये लोग मुख्य तौर पर विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। यह इसी क्षेत्र में 15 साल तक चलनेवाला कार्यक्रम है। इसके अलावा बालकों को प्रायोजित करने के कार्यक्रमों का संचालन भी यह संस्था करती है।

एक एकल संगठन के रूप में वर्ल्ड विजन हमारे अध्ययन में ऐसे सौ शीर्षस्थ संस्थानों में उभरकर सामने आया जिसे ज्यादा से ज्यादा विदेशी मदद मिली। इस अवधि में इस संस्था को 1 हजार 102 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता मिली।

वर्ष 2011 में वर्ल्ड विजन इंडिया ने लगभग 232 करोड़ रुपए विदेशी सहायता के रूप में हासिल किए जबकि 22 करोड़ रुपए स्थानीय प्रायोजन से मिले। यह राशि संस्था को मिलनेवाली कुल सहायता का लगभग 9 फीसदी है। इससे पता चलता है कि वर्ल्ड विजन इंडिया, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल की एक सहयोगी संस्था के रूप में काम करती है।

वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड विजन हमेशा से ही एक धार्मिक और ईसाईयत का प्रचार करनेवाली

संस्था रही है। अमेरिका में वर्ल्ड विजन को ऑफिस ऑफ जस्टिस प्रोग्राम से 1.5 मिलियन डॉलर की राशि का अनुदान मिल चुका है। इस अनुदान की एक शर्त यह है कि जिस किसी भी संस्था को यह आर्थिक सम्मान दिया जाता है वह कार्यक्रमों के संबंध में नियुक्त किए गए लोगों के बीच धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव न करे। हालांकि वर्ल्ड विजन यूएसए एक धार्मिक संगठन होने के कारण यह चाहता था कि अपने ही संप्रदाय के ईसाई लोगों को ही कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया जाए। इसलिए उन्होंने एक कानूनी प्रावधान के तहत अमेरिकी सरकार से यह मांग की कि उन्हें धार्मिक आधार पर नियुक्ति करने की अनुमति दी जाए। 29 जून 2007 को ऑफिस ऑफ जस्टिस प्रोग्राम की साधारण परिषद ने इस बारे में अपना फैसला सुनाते हुए कहा 'द रिलीजियश फ्रीडम रेस्टोरेशन एक्ट के तहत वर्ल्ड विजन को, जो कि एक धार्मिक संस्था है और जिसे ऑफिस ऑफ जस्टिस प्रोग्राम के तहत बाल अपराध न्याय के संदर्भ में अनुदान दिया गया है, इस प्रतिबंध से मुक्त किया जाता है।

इस मामले को भारत में आश्चर्य के साथ देखा जाता है, जहां सरकार के छोटे से छोटे कार्यक्रमों की शुरुआत भी अगर दीप जलाकर की जाती है, तो इससे धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुंचती है पर आज अमेरिका में यह एक सच्चाई बन चुका है।

2010 में वहां के ninth circuit court of appeals ने वर्ल्ड विजन के विकास कार्यक्रमों में धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण तरीके से नियुक्ति करने के फैसले को सही करार दिया था। इस अदालती फरमान के आधार पर वर्ल्ड विजन ने सिलविया स्पेंसर टेड यंगबर्ग और विकी हुल्स को दूसरे धर्म का अनुयायी होने के नाम पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अमेरिका में हालांकि Title VII of the Civil Rights Act. Sec. 42 के तहत धर्म के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है। लेकिन यह प्रतिबंध धार्मिक निगमों, परिषदों, शिक्षा संस्थाओं या समितियों पर लागू नहीं होता। जहां तक इन संस्थाओं में रोजगार देने की बात है अमेरिका के इसी कानून का सहारा लेकर ही वर्ल्ड विजन ने अपने आप को इस प्रतिबंध से मुक्त रखने की अपील की थी। कोर्ट ने वर्ल्ड विजन का कहना सही माना और स्पेंसर और हूल्स को 10 साल बाद अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।

लूसाने कमेटी यह एक ईसाई धर्म प्रचार के लिए बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो दुनिया भर के ईसाई मिशनरियों को सभी प्रकार से समर्थन और सहयोग पहुंचाता है। वर्तमान में वाल्दीर सुरनागेल और साराह पलमर ये वर्ल्ड विजन के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी लूसाने कमेटी के भी शीर्ष संचालन समिति के सदस्य है। लिहाजा वर्ल्ड विजन अमेरिका में धार्मिक संगठन है तो वैश्विक रूप में धर्म प्रसारवादी संगठन है। वही वर्ल्ड विजन भारत में सामाजिक मानवतावादी संगठन है जिसे भारत सरकार अपने बड़े–बड़े कार्यक्रमों में भागीदारी देती है।

फिलहाल वर्ल्ड विजन भारत में क्षय रोग की रोकथाम के कार्यक्रम में लगा है। इस कार्यक्रम में

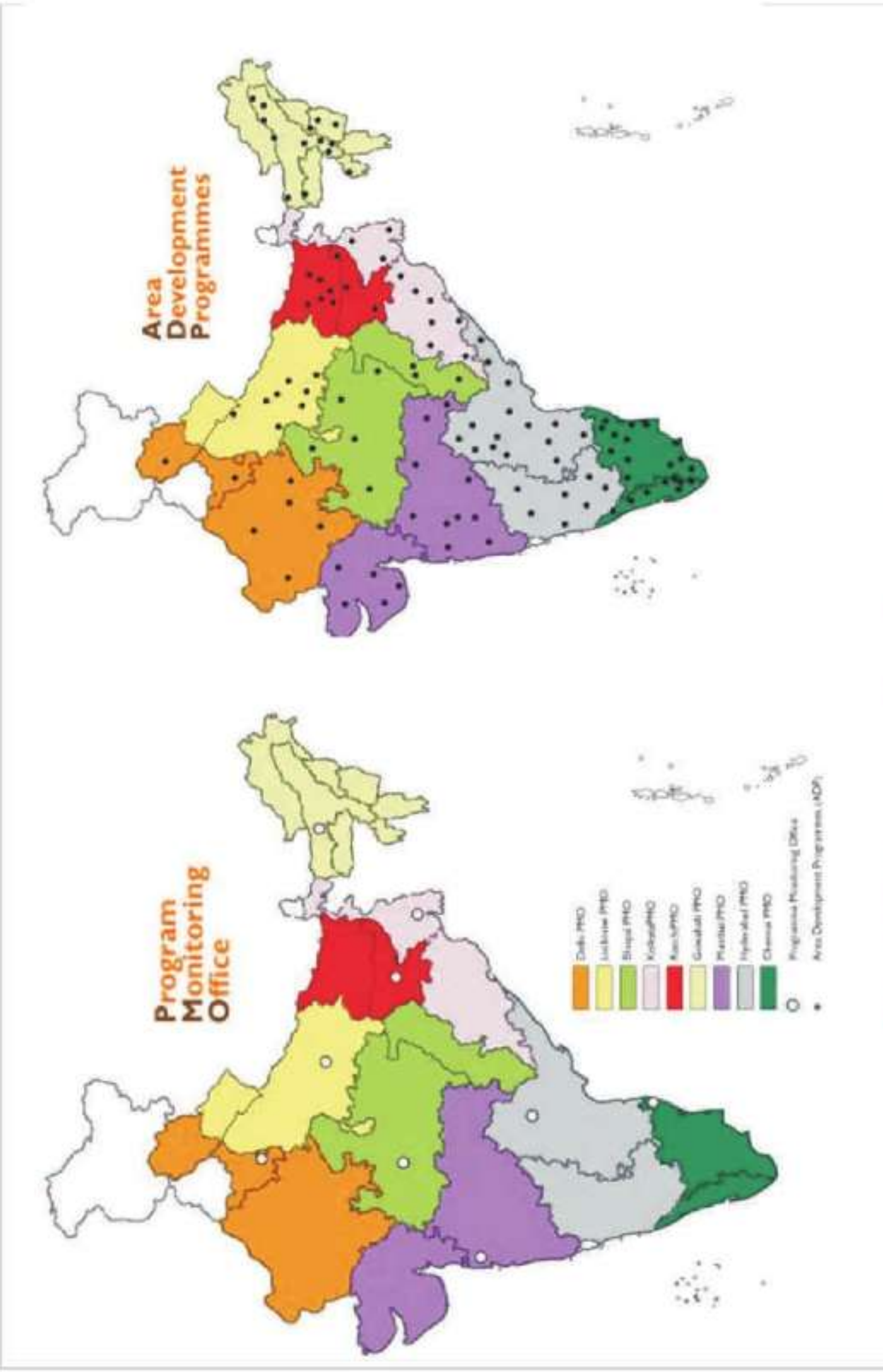

World Vision area development program

कई एजेंसियां शामिल हैं। The Global Fund round nine TV Project (Akshay India) नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत देश के पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में प्रादेशिक स्तर पर की गई थी। इस कार्यक्रम को वर्ल्ड विजन, राज्य सरकारों और संयुक्त राष्ट्र की विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी एजेंसियों और स्वैच्छिक संगठनों की मजबूत भागदारी के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था। इस परियोजना के निदेशक सुबोध कुमार वर्ल्ड विजन की ओर से नियुक्त किए गए हैं।

वर्ल्ड विजन के फंड से लगभग पूरा पैसा या उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पॉन्सर ए चाइल्ड के माध्यम से आता है। वर्ल्ड विजन की वेबसाइट के हर पन्ने पर एक बच्चे का फोटो होता है और उस बच्चे को स्पॉन्सर करने की अपील। भारत में इस समय बच्चे को प्रायोजित करने की राशि 800 रुपए प्रतिमाह या 9600 रुपए सालाना है। इस प्रकार मोटा–मोटा कम–से–कम 20 हजार लोगों ने 2011 में चाइल्ड स्पॉन्सर प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड विजन को दान दिया है। आमतौर पर दान करने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जब वह किसी बच्चे को प्रायोजित करता है तब वह बच्चा उनके पैसे से सीधे लाभान्वित होगा। वर्ल्ड विजन बच्चे और प्रायोजकों के बीच पत्रों के माध्यम से होने वाली बातचीत के आधार पर ऐसा ही भाव पैदा करता है और कई बार यह अहसास दिलाने के लिए प्रायोजक की बच्चे के साथ मुलाकात भी कराई जाती है। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। वर्ल्ड विजन का पूरा ध्यान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर होता है।

वर्ल्ड विजन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के तहत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए स्थान का चयन करता है। इस अध्ययन के द्वारा हमने पता लगाया कि वर्ल्ड विजन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत भारत में किस तरह की गतिविधियों का संचालन करता है। उनमें से कुछ का ब्यौरा इस प्रकार है–

- जलागम विकास, समुदाय उत्प्रेरण और जल प्रबंधन जैसे कार्यक्रमों के तहत किसानों को एकजुट किया जाता है और समितियों के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है कि जमीन से किस तकनीक के जरिए पानी निकाला जा सकता है। जल संरक्षण के लिए चेक डैम का निर्माण तथा वर्षाजल संग्रहण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण की जानकारी दी जाती है।

- पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता, स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, स्कूलों में पढ़ाई का माहौल पैदा करने के लिए डेस्क और कुर्सियां उपलब्ध कराना, खेल के संसाधन उपलब्ध कराना, सीखने के साधन जुटाना और अतिरिक्त कमरों का निर्माण करवाना, स्कूल जाने वाले बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराना, उनके लिए शाम को कोचिंग क्लास लगाना, शिक्षा सूचना केंद्रों की स्थापना और सौर ऊर्जा समुदायों की स्थापना

करना।

- सहायता समूहों का संचालन, बाल मजदूरी की रोकथाम और हतोत्साहित करना, कुपोषण की रोकथाम खासतौर पर बच्चों के संदर्भ में।
- एड्स जागरूकता अभियान का संचालन, शिक्षा का महत्व, बालिका शिक्षा, बच्चों के लिए मासिक कार्यशालाओं का आयोजन खासतौर पर व्यावसायिक सेक्स वर्कर के बच्चों के लिए, आपदा के समय राहत और पुनर्वास कार्य के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती, आपदा की पूर्व सूचना देना और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों का संचालन। ग्राम्य विकास समितियों के माध्यम से स्थानीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन।

कहना गलत नहीं होगा कि ये तमाम गतिविधियां ऐसी हैं जिनमें संसाधनों की बड़े पैमाने पर जरूरत होती है और वर्ल्ड विजन वास्तव में अपने बजट का काफी बड़ा हिस्सा इस तरह के कामों में खर्च करता है। तर्क यह दिया जाता है कि इस तरह के क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से बच्चों को भी फायदा होता है।

यह एक ऐसा मुद्दा है जिसपर बहस की जा सकती है। पश्चिमी देशों में यह एक ऐसा मुद्दा है जो कई दानदाताओं को उलझन में डाल देता है। ऐसे दानदाता जो प्रायोजित बच्चे के साथ एक दूसरे के आपसी संबंधों की वकालत करते हैं जैसा कि वर्ल्ड विजन शुरू में दावा करता है। एक उदाहरण देखा जा सकता है शनिवार, 29 नवंबर 2008, समय दोपहर 1 बजे, एबीसी टीवी ऑस्ट्रेलिया का प्रसारण अपने एक रिपोर्टर एंड्रयू ज्योग हेगेन के माध्यम से करता है। कार्यक्रम का शीर्षक है– इथोपिया का अंतहीन सूखा। इस त्रासदी का जायजा लेने के लिए जब एबीसी टीवी ऑस्ट्रेलिया का अफ्रीका स्थित संवाददाता एंड्रयू ज्योग हेगेन इथोपिया की यात्रा पर एक चौदह वर्षीय बच्ची से मिलता है। इस बच्ची को उसने पूरा पिछला दशक वर्ल्ड विजन के माध्यम से प्रायोजित कर दिया था। उस बच्ची से मुलाकात के बाद एबीसी टीवी ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि वास्तव में जितना भी पैसा उसने अभी तक बच्ची को प्रायोजित करने के लिए दान में दिया है उसका एक भी हिस्सा प्रायोजित बच्चों के परिवार को नहीं मिलता है। तब तक बच्ची को यह भी पता नहीं होता कि उसे किसी ने प्रायोजित किया है। वर्ल्ड विजन से उसको जो कुछ भी मिला है वह है बस एक जैकेट और एक पैंट। उस बच्ची का परिवार बहुत गरीब है। वह भोजन के रूप में नकली केले की जड़े खाता है। जब एंड्रयू ज्योग हेन ने वर्ल्ड विजन को इस बात के लिए चेतावनी दी तो वर्ल्ड विजन ने बताया कि दान की राशि शिक्षा जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों को दे दी जाती है। एंड्रयू को वर्ल्ड विजन ने यह भी बताया कि वह बच्ची अंग्रेजी सीख रही है और उसमें काफी सुधार भी आया है। पर जब एंड्रयू इस बच्ची को मिला तो वह बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं जानती थी।

क्योंकि यह कहानी ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने प्रसारित की थी इसलिए इस समाचार को कई वेब पेजों में स्थान भी दिया गया था और इससे एक गरमा–गरम बहस पैदा हुई थी। उदाहरण के लिए www.boboy.net जैसी साधारण सी साइट में भी इस खबर पर 78 लोगों ने अपना वक्तव्य लिख दिया। इनमें से अधिकांश लोगों ने एबीसी संवाददाता के अनुभव से सहमति व्यक्त की। जिन लोगों ने वर्ल्ड विजन का समर्थन किया था उन सभी ने उस बच्चे से मुलाकात वर्ल्ड विजन के अधिकृत टूर के माध्यम से की थी। इस बाबत वर्ल्ड विजन ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक अधिकृत जवाब में कहा था 'पत्रकार को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके द्वारा प्रायोजित बच्चे के परिवार को प्रायोजित राशि में से कुछ नहीं दिया गया। वर्ल्ड विजन बिना माफी मांगे हुए यह कहना चाहता है कि वे विकास की समुदाय आधारित परिकल्पना पर विश्वास करता है और अपना यही विश्वास हम सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखते हैं। वर्ल्ड विजन ने आगे कहा कि प्रायोजित बच्चों के परिवारों को सहायता राशि सीधे पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है। चाहे मामला कितना ही गंभीर क्यों न हो? सीधा लाभ पहुंचाने की तरकीब समुदाय के सदस्यों में द्वेष की भावना पैदा करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को क्यों प्रायोजित नहीं किया?

पर वर्ल्ड विजन का यह कहना कही भी उन विसंगतियों का खुलासा नहीं करता जो एंड्रयू जैसे रिपोर्टर ने अपने समाचार में उठाई थी। वर्ल्ड विजन का एंड्रयू को यह जवाब देना कि बच्चा स्कूल में अंग्रेजी सीख रहा है और उसमें सुधार हो रहा है और बच्ची को कुछ भी अंग्रेजी न आना यह एक अनुत्तरित विसंगति है। इससे और कुछ स्पष्ट हो या न हो पर एक जरूर साफ होती है कि वर्ल्ड विजन बच्चे को प्रायोजित करने की अपील तो इस अंदाज में करता है कि प्रायोजक से मिलनेवाला पैसा सीधे प्रायोजित बच्चे के परिवार तक पहुंचेगा पर वास्तव में वह पैसा वर्ल्ड विजन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में लगा देता है।

शायद बाल प्रायोजन अपील से दान के रूप में पैसा एकत्र करना कहीं आसान है। हमने अपने अध्ययन में पाया कि कम से कम तीन बडे संगठन दान लेने के लिए इस तरह के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा एकत्र करनेवाले सौ से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वर्ल्ड विजन कंपैसन इंडिया और एक्शन एड ऐसे संगठन हैं जो करते कुछ और है पर वे दिखलाना कुछ और चाहते हैं। वर्ल्ड विजन इंडिया की वेबसाइट www.worldvision.in अपने केवल एक पेज से बच्चे को प्रायोजित करने की अपील करती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप कभी भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं जान पाएंगे। ऐसी तमाम दूसरी जानकारियों के लिए आपको भारत के बाहर से वर्ल्ड विजन की साइट तक पहुंचना होगा या फिर गुगल सर्च के माध्यम से आप यह जानकारी हासिल कर सकते हैं।

एक्शन एड

एक्शन एड एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। 2001 में इसकी आय 578 करोड़ रुपए थी जो 2010 में बढ़कर 1617 करोड़ रुपए हो गई। 2001 में इसने वैश्विक स्तर पर 9 मिलियन लोगों तक अपनी पहुंच का दावा किया था जबकि 2010 में अकेले एक्शन एड इंडिया ने लगभग 8 मिलियन महिलाओं, बच्चों और पुरुषों तक अपनी पहुंच की दावेदारी कर दी थी। इसकी यह पहुंच भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक है। इसकी सीमा में भारत के 281 जिले आते हैं और यह अपने 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अपनी पहुंच बना सका है। 2001 में ही एक्शन एड के 1 लाख 20 हजार व्यक्तिगत समर्थक थे।

एक्शन एड का प्रभाव

एक्शन एड के आभामंडल का अंदाजा दो उदाहरणों से लगाया जा सकता है। 2010 में इसकी दानदाताओं की सूची में कई सरकारों का नाम है। सबसे महत्वपूर्ण दानदाता सरकार डेनमार्क (28 मिलियन यूरो) है। दूसरा बड़ा दानदाता इंगलैंड (12 मिलियन यूरो) की सरकार है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (7 मिलियन यूरो) और यूरोपीय यूनियन (7 मिलियन यूरो) भी दानदाताओं की सूची में शामिल हैं। जब अमेरिका की संसद के सदन हाउस रिप्रेजेंटेटिव के सामने कश्मीर मुद्दे को लेकर एक भारत विरोधी कार्यकर्ता अंगना चटर्जी ने अपना पक्ष रखा तो उनकी शिकायत थी कि केवल कुछ खास अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ही कश्मीर जाने की इजाजत दी जाती है। इनमें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, मेडे सिंस, सेंस, फ्रंटियर, ह्यूमन राइट्स वाच, सेव द चिलड्रन और एक्शन एड इंटरनेशनल जैसे संगठन ही शामिल हैं जबकि एमेनेस्टी इंटरनेशनल जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कश्मीर जाने की इजाजत नहीं है। इससे जाहिर होता है कि एक्शन एड की पहुंच वहां तक है जहां तक एमेनेस्टी इंटरनेशनल की भी नहीं है।

बुनियादी रूप से एक्शन एड इंडिया भागीदारी के सिद्धांत पर अपनी पसंद के स्वैच्छिक संगठन के साथ मिलकर काम करता है। इसलिए एक्शन एड का अपना स्टाफ तो बहुत कम है। 31 दिसंबर 2010 तक इसके पास केवल 166 लोगों का ही स्टाफ था। इनमें 64 महिलाएं और 102 पुरुष थे। एक्शन एड का कहना है

'एक्शन एड जो कुछ भी है वह अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं और भागीदारों की वजह से ही है। हमारा कंट्री ऑफिस नई दिल्ली में है, 12 क्षेत्रीय और 2 फील्ड ऑफिस जिनकी कुल क्षमता 166 लोगों की है। हमारे 300 से अधिक भागीदार स्वैच्छिक संगठनों और समुदायों के बीच अच्छा तालमेल है।

एक्शन एड का आगे यह कहना है कि वह जनाधार वाले ऐसे संगठनों के साथ भागीदारी करता है जो अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हों। एक्शन एड की भागीदारी वाले संगठन प्राकृतिक

संसाधनो, लोकतंत्र और प्रशासन, महिला और बालिका अधिकार, बाल अधिकार, शांति और एकता के प्रयासों, न्याय और धर्मनिरपेक्षता और सीमाओं के बाहर कार्य के प्रति निष्ठा जैसे विषयों को लेकर अपने–अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

पूरे देश में ऐसे जन संगठनों के साथ एक्शन एड काम कर रहा है वह सभी स्थानीय स्तर पर काफी मजबूत हैं और ऐसे संगठनों को स्थानीय स्तर पर गरीबों, सीमांत व्यक्तियों और ऐसे ही दूसरे समुदायों के लोगों का समर्थन हासिल है।

एक्शन एड इंडिया लम्बी अवधि की 129 परियोजनाओं पर स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के माध्यम से काम कर रहा है जिनमें नेटवर्क पार्टनर जैसी परियोजना भी शामिल हैं। ऐसी परियोजनाओं के अंतर्गत किसी विशेष समुदाय के लोगों के बीच एक से दस साल तक काम किया जाता है। इसके अलावा एक साल की अवधि वाली 341 अल्प अवधि की योजनाओं पर भी एक्शन एड भागीदारी प्रथा के अनुरूप काम कर रहा है। लम्बी अवधि की परियोजनाएं एक्शन एड के 122 भागीदार स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से पूरी की जा रही है। 341 अल्प अवधि योजनाओं में 222 परियोजनाएं हैं इसके अलावा 130 भागीदार संगठनों, एक्शन एड का स्टाफ अल्प अवधि की 119 परियोजनाओं को पूरा करने में संबंधित भागीदारों को विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है।

एक्शन इंडिया 2010 की वार्षिक रिपोर्ट

इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी इस संस्था को मुख्य रूप से ब्रिटेन, इटली, ग्रीस, स्पेन और स्वीडन से संचालित 54 हजार 60 बाल समर्थकों से आर्थिक मदद मिलती है। 2010 के दौरान एक्शन एड ने भारत में अपना आधार मजबूत करते हुए 2383 बाल समर्थक बना लिए हैं जो बच्चों को प्रायोजित करते हैं और इस माध्यम से एक्शन एड की मदद भी। एक्शन एड के बाल प्रायोजित कार्यक्रम से कुल आय का 73 प्रतिशत रही। जबकि 27 फीसदी आय DFID, EC, ECHO, UNDP, DIP, ECHO, UNFPA, Intel और अन्य दूसरे व्यक्तिगत दानदाताओं से प्राप्त की गई। 2010 में एक्शन एड इंडिया का कुल खर्च लगभग 88 करोड़ रुपए था। कुल परियोजना लागत 73 करोड़ थी। जिसमें से 77 प्रतिशत अनुदान और अन्य कार्यों में खर्च हुआ। 21 फीसदी पैसा स्थानीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की नीतियों की एडवोकेसी में खर्च हुआ जबकि 2 प्रतिशत पैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एडवोकेसी तथा इससे जुड़े कामों पर खर्च किया गया।

यह देखते हुए कि 2010 में एक्शन इंडिया को 86 करोड़ रुपया विदेशी अनुदान से मिला और वह भी एक्शन एड इंटरनेशनल से, ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि एक्शन एड इंडिया, एक्श्न एड इंटरनेशनल की सहायक एजेंसी के रूप में काम करती है। ध्यान देने योग्य बात यह

है कि 2010 में एक्शन एड ने उड़ीसा सरकार से एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दो करोड़ 32 लाख रुपए लिए थे। एक्शन एड इंडिया ने हमेशा से विशिष्ट व्यक्तियों को आकर्षित कर अपनी गवर्निंग बॉडी में रखा है। 2006 की गवर्निंग बॉडी का स्वरूप कुछ इस प्रकार है।

1. डॉ. एल.सी. जैन, अध्यक्ष, 2. डॉ. शांता सिन्हा, उपाध्यक्ष 3. प्रो. बाबू मैथ्यू, सचिव और कार्यकारी निदेशक 4. श्री वीके सुंगलु, कोषाध्यक्ष 5. सुश्री कमला भसीन 6. श्री पी. चेन्नैया 7. सुश्री रथ मनोरमा 8. श्री शंकर वेंकटेश्वरन 9. सुश्री रीता सरीन 10. डॉ. सईदा हमीद 11. सुश्री शबाना आजमी

एक्शन एड की 2010 की गवर्निंग बॉडी का विवरण इस प्रकार है:–

1. शबाना आजमी, अध्यक्ष 2. प्रो. शांता सिन्हा, उपाध्यक्ष (अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिकार आयोग) 3. श्री विजय सुंगलु, कोषाध्यक्ष (भारत के पूर्व ऑडिटर जनरल) 4. सुश्री कमला भसीन, सदस्य (महिला अधिकार कार्यकर्ता, जागोरी संस्था की संस्थापक। एफसीआरए के आंकड़ों से पता चलता है की जागोरी एक्शन एड समेत कई विदेशी ईसाई संगठनों से आर्थिक मदद लेता है) 5. श्री पी. चेन्नैया, सदस्य 6. रीता सरीन (हंगर प्रोजेक्ट इन इंडिया की कंट्री निदेशक), सदस्य 7. डॉ. रथ मनोरमा, सदस्य (अध्यक्ष, नेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमन, एडवोकेट ऑफ दलित वुमन इशूज) 8. श्री शंकर वेंकटेश्वरन, सदस्य 9. डॉ. सईदा हमीद, सदस्य (सदस्य, भारतीय योजना आयोग) 10. मिस्टर संदीप चाचरा, सदस्य, निवर्तमान पदाधिकारी (कार्यकारी निदेशक)।

संदीप चाचरा से पहले श्री हर्ष मंदर और प्रो. बाबू मैथ्यू इसके कार्यकारी निदेशक थे। एक्शन एड चूंकि व्यापक पैमाने पर स्वैच्छिक संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य संचालन करता है। इसलिए यह पता लगाना मुश्किल काम है कि इसके काम करने के मुद्दे क्या–क्या होते हैं।

फिर भी पिछले एक दशक के दौरान एक्शन एड द्वारा भारत में जिन मुद्दों पर काम किया। उनका विवरण इस प्रकार है:–

- एक्शन एड ने वर्ल्ड सोशल फोरम, द इंडिया सोशल फोरम और स्थानीय स्तर पर द गुजरात सोशल फोरम की मदद की है।
- आंध्र प्रदेश में स्पंदन, इसके भागीदार समुदायों (दलित, पीड़ित, प्रवासी मजदूर, बाहर से लाए गए लोग, बच्चे, मछुआरे, एचआईवी पीड़ित और सेक्स वर्कर) के लोगों को एक मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से ये लोग अपने वंचित अधिकारों की बहाली की मांग उठाते हैं।

- एक प्राचीन आदिवासी समूह बैगा के साथ काम करते हुए एक्शन एड ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमांत छोरों में रहनेवाले पीड़ित लोगों को दिशा दी है।

- एक्शन एड द्वारा स्थापित किए गए जन संगठनों की संख्या में दिन–प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रही है। सामुदायिक समूहों से लेकर सहकारी, व्यापार, यूनियनों तक सभी तरह के संगठन इसकी परिधि में आते हैं। (चांद मारी डेली वेज, वर्कर यूनियन असम), महिला स्वसहायता समूह, ऑल वुमैन डोमेस्टिक वर्कर फेडरेशन दिल्ली और ट्राइबल वुमैन वेल्फेयर सोसायटी तमिलनाडू, मध्यप्रदेश शिक्षा अभियान ऑन एजुकेशन भोपाल जैसे अनेक जनसंगठनों का आधार तैयार करने में एक्शन एड की निर्णायक भूमिका रही है।

- मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वहां की प्राचीन आदिवासी जातियों के समूहों के साथ काम करने का अनुभव भी एक्शन एड को है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी की सहारिया, राजस्थान में बारान और छत्तीसगढ़ के कवर्धा और बिलासपुर जिलों में बेगास जनजाति के बीच में रहकर एक्शन एड ने काम किया है। असम में ग्रामीण स्वयंसेवक केंद्र, वहां के छात्र संघों, ग्रामीण विकास समितियों और स्वैच्छिक संगठनों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर बननेवाला बोगी बिल पुल और ऐसी ही अन्य परियोजनाएं खतरनाक हैं। एक्शन एड इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को इसके खिलाफ तैयार कर रहा है। SPREAD उड़ीसा का एक ऐसा भागीदार संगठन है जिसे भूमि अधिकार को लेकर स्थानीय लोगों के बीच में अभियान तेज करने का काम दिया गया है। इस अभियान के तहत विस्थापितों को मुआवजा दिलवाने का काम किया जा रहा है। 2006 में एक बांध से विस्थापित हुए 245 आदिवासियों को जमीन के पट्टे दिलवाने में मदद दी गई। अगस्त 2006 में एक्शन एड ने उड़ीसा में ही वेदान्ता बॉक्साइट खनन और लैंगीगढ़ में विकास के लिए स्थानीय लोगों को विस्थापित करने के कदम का विरोध करनेवाले स्थानीय कार्यकर्ताओं की एक्शन एड ने मदद की। बड़े पैमाने पर वन कटाव नदियों को होनेवाले नुकसान और ऐसे ही दूसरे विस्थापन के कारणों के खिलाफ नियाम गीरी के आसपास रहनेवाले आदिवासियों ने इसका विरोध किया और सड़कों पर आ गए।

- गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्द्ध घुमंतु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होने के बाद इस क्षेत्र में सक्रिय संगठनों (एक्शन एड का एक भागीदार संगठन, भाषा) ने गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सम्मेलनों का आयोजन किया। इन सम्मेलनों में घुमंतु समुदायों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की गई।

- एक्शन एड ने एक ऐसे अभियान को भी इस देश में हवा दी जिसका तात्पर्य यह था कि

संपन्न संसाधन, गरीब आदिवासी लोगों का विस्थापन, भारत के लोगों की पहचान समाप्त करने का खतरा जैसे विषय शामिल किए गए थे। इस अभियान में एक्शन एड इंडिया के साथ ही इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और आंध्र प्रदेश के लय जैसे संगठनों का भी योगदान रहा है। इस अभियान में विस्थापितों के पुनर्वास को भी मुद्दा बनाया गया था। प्रो. बाबू मैथ्यू कंट्री डायरेक्टर एक्शन एड इंडिया इंटरनेशनल, डॉ. जिम्मी दाभी, कार्यकारी निदेशक, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और डॉ. नफीसा गोगा डिसूजा कार्यकारी निदेशक लय आंध्रप्रदेश के नामों का उल्लेख करते हुए इस पूरे अभियान की भूमिका लिखी गई थी।

यह शोध 2007 में तैयार किया गया था और इसका प्रकाशन 2008 में हुआ। एफसीआरए से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लय को 2008 में एक्शन एड से 2 लाख 26 हजार रुपए दिए गए थे और 2009 में इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट को एक्शन एड ने 40 लाख रुपए दिए।

2008 में एक्शन एड ने सरकार की रिपोर्ट के विरोध में एक छाया रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयुक्त को सौंपी। एक्शन एड का कहना है कि उसकी रिपोर्ट भारत के 152 स्वैच्छिक संगठनों और एक्शन एड की भागीदारी के साथ तैयार की गई है। इसी रिपोर्ट की भूमिका में कहा गया है 'आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में एक्शन एड एक परामर्शदाता संगठन की हैसियत रखती है और उसने अपनी इसी हैसियत का लाभ उठाते हुए एक छाया रिपोर्ट रखने का अवसर हासिल किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह एक अवसर है उन लोगों की आवाज को एक मंच देने का जो मानवाधिकार हनन के मामलों को लेकर अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय मंच से विरोध प्रकट करते हैं। हमने दिसंबर 2007 से मार्च 2008 तक व्यापक पैमाने पर परामर्श करने के बाद मानवाधिकार से संबंधित हर पहलुओं की जांच की और इस मुहिम में लगे सामाजिक समूहों की पहचान की। ऐसे समूहों में मछली पालन, दलित, भारतीय स्थानीय समुदाय, अल्पसंख्यक मुस्लिम, एचआईवी और एड्स से पीड़ित लोग और शहरी गरीब जैसे सभी लोग और उनके संगठन शामिल हैं। इन संगठनों के और उनके प्रतिनिधियों के साथ तमाम मुद्दों पर परामर्श किया गया। कई मामलों में समूह से सीधे भी संपर्क स्थापित किया गया और कई बार एक्शन एड का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवियों की सलाह भी ली गई। हमने भारत सरकार की रिपोर्ट का पूरी तरह अध्ययन किया और इसके आर्थिक–सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की भी पड़ताल की। 2006 में यह काम पूरा करने के बाद 1 अप्रैल 2008 को यह छाया रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के संबंधित संगठन को सौंपी गई।

बच्चों के नाम पर

सूची का यह सिलसिला अंतहीन हो सकता है लेकिन यह स्पष्ट है कि एक्शन एड ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रहा है,

जिन संगठनों का अपना एक निश्चित राजनीतिक एजेंडा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एक ऐसा संगठन है जो बाल प्रायोजक के नाम पर पैसा लेता है लेकिन करता कुछ और है।

ऐसा लगता है कि एक्शन एड अपने इस विरोधाभास से पूरी तरह परिचित है। 2010 में टाइम पत्रिका ने इस बाबत एक सवाल खड़ा किया था। पत्रिका की रिपोर्ट यह कहती है '2004 में जब जेरी अल्मेदा भारत में एक्शन एड की चंदा वसूल करने वाली निदेशक थीं तब उनको यह जानकर बड़ा धक्का लगा कि बंगलौर में उनके मुख्यालय के पीछे गैराज में एक ऐसा ऑफिस चल रहा है जहां स्टाफ के कुछ सदस्य बच्चों के हस्ताक्षर में कुछ लिख रहे हैं। ऐसे लिखे हुए पत्र पूरी दुनिया के दानदाताओं को यह कहकर भेजे गए कि ये उन्होंने प्रायोजित किए हुए बच्चों के लिखे हुए पत्र हैं।

इस पर एक्शन एड ने संदीप चाचरा के माध्यम से एक कमजोर सा प्रतिवाद भिजवाया। जबकि जेरी अल्मेदा ने आज तक टाइम की रिपोर्ट का कोई खंडन नहीं किया। एक साक्षात्कार में इस संबंध में उन्होंने एक्शन एड इंडिया के कार्यकारी निदेशक संदीप चाचरा के कथन के संदर्भ में यह कहा कि उन्होंने एक नए तरीके से इस पूरे परिदृश्य को सामने रखा है और वह नया दृष्टिकोण यह है आय की वृद्धि करने में सफलता कैसे हासिल की जाए? इसी दृष्टिकोण के चलते एक्शन एड पहले नौ महीनों के दौरान 40,000 व्यक्तिगत दानदाताओं से तीन लाख यूरो की राशि एकत्र करने में सफल रहा है। अल्मेदा ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से बच्चों को प्रायोजित करने को लेकर दबाव था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड एकत्र करने का एक्शन एड का यही एक तरीका है। हम व्यक्तिगत रूप से लोगों से पैसा लेना चाहते थे उनको यह बताकर कि वास्तविक मुद्दा समुदायों के विकास का है।

नया तरीका

एक्शन एड इंडिया ने एक तरीका और खोज निकाला और वह तरीका था फिल्म के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का। इसके लिए 20 मिनट की एक फिल्म बनाई गई जिसका शीर्षक था– 'द जॉय ऑफ गिविंग' इस फिल्म में उन आठ समुदायों को प्रस्तुत किया गया है जिनके साथ एकशन एड काम करता है। ये समुदाय हैं सेक्स वर्कर, दलित, शहरी बेघर, दंगा प्रभावित, गली के बच्चे, विकलांग लोग, आदिवासी और मैला ढोने वाले लोग।

उन्होंने संसाधनों को सीधे बेचने का एक नया तरीका इजाद किया। इस नए तरीके के तहत 12 शहरों में ऐसी एजेंसियों को शामिल किया गया जो बड़े पैमाने पर बिक्री के व्यावसायिक लोगों नौकरी पर रखती हैं और जिन्हें एक्शन एड इंडिया सोशल गिविंग कंसलटेंसी कहती हैं। ये एजेंसियां अपनी सेवाएं देती है और पैसा एकत्र करने की एवज में एक निश्चित प्रतिशत का कमीशन वसूल करती हैं। ये सोशल गिविंग कंसलटेंट्स एमबीए कॉलेज या स्कूल से निकले हुए नौजवान बच्चे होते हैं और इन लोगों को सबसे पहले एक्शन एड यह प्रशिक्षण देता है कि एक्शन

एड समुदायों के बीच किस तरह काम करता है और कैसे काम करता है? कंपनियों के माध्यम से व्यक्तिगत दानदाताओं की पहचान की जाती है। सोसल गिविंग कंसलटेंट उनके कार्यालयों में जाते हैं, फिल्म दिखाते हैं और फिल्म के माध्यम से लोगों से बात करते हैं। जिन समुदायों के बारे में शहरी भारत के लोगों ने इससे पहले कुछ सुना भी नहीं होता और फिल्म देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिल्म में यह भी दिखाया जाता है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए एक्शन एड इंडिया क्या कर रहा है? संक्षेप में यह सब करके निजी दानदाताओं को दान देने के लिए आसानी से राजी किया जा सकता है। जेरी अल्मेदा के दावों और बाजार के इस तरह के तमाम व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के बावजूद एक्शन एड बड़े पैमाने पर बच्चों के प्रायोजन से मिलनेवाली राशि पर ही निर्भर करता है।

2006 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है '2006 के दौरान हमारी 56 प्रतिशत आय निजी दान से हुई और इसमें भी मुख्य रूप से बच्चों को प्रायोजित करने वाली योजना के माध्यम से और 30 फीसदी आय संस्थागत भागीदारी से हुई। जबकि 8 प्रतिशत आय अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता से हुई।

2006 की तुलना में क्या कहती है एक्शन–एड की 2010 की रिपोर्ट–

"बच्चों को प्रायोजित करने की योजना के माध्यम से एक्शन एड इंडिया को उसकी सलाना आय का 73 फीसदी हासिल हुआ। जबकि 27 फीसदी की आय उसे DFID, EC, ECHO, UNDP, DIPECHO, UNFPA, Tntel और ऐसी ही दूसरे व्यक्तिगत दानदाताओं से हुई।"

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक्शन एड इंडिया को पिछले चार साल के दौरान बच्चों को प्रायोजित करने की मद में 56 से 73 प्रतिशत की आय का इजाफा हुआ। इसके बावजूद 2006 और 2010 की किसी भी रिर्पोट में बच्चों को प्रायोजित करने से हुई आय का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा शायद इसलिए किया गया है क्योंकि चर्च के उद्देश्यों को पूरा करने की जिस योजना का उल्लेख एक्शन एड की वेबसाइट में किया गया है वो अब अंतिम दौर में है। इसीलिए अपनी एक पेज की वेबसाइट में अब उसने बच्चों को प्रायोजित करने की योजना का हवाला देना शुरू कर दिया है।

कासा (CASA)

चर्च्स आक्जीलरी फॉर सोशल एक्शन यानी कासा CASA भारत में 24 प्रोटेस्टेन्ट और ऑर्थोडोक्स गिरजाघरों के लिए राहत और विकास कार्य करने वाला एक संगठन है। अपने 350 भागीदार संगठनों के साथ CASA देश के 4 हजार 500 गांवों में सक्रिय है। 1860 को इसका पंजीकरण कराया गया था। इसका पंजीकरन मुख्यालय दिल्ली में है। इसके मुंबई, कोलकाता

और चेन्नई में तीन क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। इसके अलावा CASA के देश में 18 सेक्टर ऑफिस हैं। इसके ये सेक्टर ऑफिस गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, दीमापुर, शिलांग, भुवनेश्वर, रांची, लखनऊ, इंदौर, रायपुर, उदयपुर, नागपट्टिनम, कुडडालोर, तिरूनवेली, अलापुझा, बपतला, पोर्टब्लेयर और शिमला में हैं जहां से इसके राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का संचालन होता है और इन पर निगरानी की जाती है। इस काम में 500 से अधिक लोग रोजगार पर हैं।

2010 में CASA का वार्षिक बजट 74 करोड़ रूपए का था। इसी वर्ष CASA को लगभग 44 करोड़ रूपए की विदेशी सहायता मिली थी। मतलब यह कि CASA ने इस अवधि में 30 करोड़ रूपए की राशि अकेले भारत से ही जुटाई थी। CASA तीन तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। इनमें एक कोर प्रोग्राम यानी सीधे CASA द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्य हैं। दूसरी श्रेणी के काम वो हैं जो भागीदारी प्रथा पर आधारित है यानी जन सहयोग वाले कार्यक्रम और तीसरी श्रेणी के तहत आपातकालीन सहायता कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। CASA के व्यवस्थित होने का अंदाजा सन् 2000 में अमेरिकी सेना की एक शोध संस्था फॉरेन मिलिट्री स्ट्डीज ऑफिस (एफएमएसओ) द्वारा कराए गए एक अध्ययन से लगाया जा सकता है। इस अध्ययन में कहा गया है–

"CASA का पीपुल्स एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (पीएटी) कार्यक्रम, ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले, ग्रामीण विकास एसोसिशन, युवा समूहों और आर्थिक समूहों जैसे संगठनों को शामिल कर आम लोगों को अधिकार सम्मत बनाते हैं। सतत विकास की प्रक्रिया को जारी रखने के क्रम में CASA से जुड़े जनाधार वाले संगठन लोगों को पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव, अवैध वन कटाव, सूखा, पलायन, बाल मजदूरी, जातिवाद, अवैध कब्जा, अशिक्षा, बेरोजगारी, कर्ज, प्रदूषण और ऐसी अनेक विषमताओं के खिलाफ एक मंच देने के साथ ही उनको जागरूक भी करते है। गांव के बाहर CASA इन सारे कार्यक्रमों का संचालन कई गांवों के समूहों के बीच करते हैं। मोटे तौर पर CASA 70 से लेकर 300 गांवों का एक ऐसा समूह तैयार करता है जिसे स्रोत केन्द्र (Resource Center) कहा जाता है। इस केन्द्र की देखभाल CASA का PAT संचालक करता है। इसके साथ तीन–चार और लोगों को भी इस काम में लगाया जाता है उनमें एक लेखा अधिकारी और एक केअरटेकर भी होता है। इस स्रोत केन्द्र का मुख्य काम आम लोगों को जरूरी सूचना प्रदान करना और गांव के स्तर पर सतत विकास के लिए जरूरी प्रशिक्षण तथा तकनीकी प्रशिक्षण देना होता है। ये केन्द्र चार क्षेत्रीय कार्यालयों से दिशा–निर्देश प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर CASA , ने 7048 ग्रामीण स्तरीय संगठनों के माध्यम से प्रत्यक्ष विकास, शिक्षा और आपदा प्रबंधन का भी एक अभियान अलग से चला रखा है।"

CASA हर साल आपदा प्रबंधन के लगभग 70 से 80 मामलों पर कार्रवाई करता है। इस मामले

में सिद्धांततः CASA आपदाओं की भविष्यवाणी करने, लोगों को संभावित आपदाओं के प्रति जागरूक करने और बचाव के लिए शिक्षित करने, आपदाओं से निपटने के लिए योजना बनाने और आपदा के दौरान उपयोग में आने वाली खराब न होने वाली सामग्री का पहले से भंडारण करने की सलाह भी देता है। CASA का मानना है कि आपदा के समय संचालित किए जाने वाले काम तो फौरी (तुरंत) जरूरत के होते हैं लेकिन आपदा से पहले कुछ जरूरी काम एहतियात बरतते हुए कर लिए जाए तो बड़े संकट से बचा जा सकता है। आपदा के बाद राहत और पुनर्वास के काम काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसके लिए आपदा प्रभावितों में विश्वास पैदा करना भी सबसे जरूरी होता है जो आसान काम नहीं हैं इसके साथ ही विकास की दीर्घकालीन योजना बनाना भी आपदाग्रस्त लोगों की सबसे बड़ी जरूरत होती है।

स्वैच्छिक संगठनों की पहुंच सरकारी आपदा प्रबंधन के तौर तरीके जैसी नहीं हो सकती। इसके लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन जुटाने होते हैं लिहाजा अब संवाद का एक नया तरीका CASA जैसे संगठनों ने ईजाद कर लिया है जिसे विकास संवाद या अंग्रेजी में डवलपमेंट कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके माध्यम से CASA के Coordinators लोगों से संवाद करते हैं। यह तरीका CASA के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए उसका जनाधार वाले समूहों और इन समूहों के जरिए गांव के आम लोगों तक निरंतर संपर्क बना रहता है। इसके लिए UHF और VHF तकनीकी का इस्तेमाल किसा जाता है। CASA के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि वो लोगों की जरूरतों को समझने और जरूरतों के अनुरूप सामग्री का वितरण करने के लिए जमीनी धरातल पर बनाए गए अपने ही संजाल (network) पर निर्भर है।

CARITAS

भारत के कैथोलिक बिशपों की कांफ्रेंस (कैथोलिक विशपस कांफ्रेंस ऑफ इंडिया) के अपने ही एक राष्ट्रीय संगठन का नाम है CARITAS। वैश्विक स्तर पर यह CARITAS International से भी जुड़ा है जिसे वेटिकन से चलाया जाता है। संगठन सामाजिक मुद्दों और मानव विकास के लिए काम करता है। सीबीसीआई यानी कैथोलिक बिशपस कांफ्रेंस ऑफ इंडिया ने अपनी आम सभा में एक प्रस्ताव पारित कर 1960 में इसकी स्थापना की थी। पहले इसका नाम कैथोलिक चैरिटीज इंडिया (सीसीआई) था, जिसने 1 अक्टूबर 1962 से दिल्ली स्थित सीबीसीआई के मुख्यालय से अपना काम करना शुरू किया था। यह एक ऐसा संगठन है जिसके स्थानीय स्तर पर 152 अनुषंगी संगठन हैं। ये सभी अनुषंगी संगठन या तो चर्च की सेवा में लगे समाज सेवा से जुड़े संगठन हैं या फिर दूसरे स्वैच्छिक संगठन जो इसके भागीदार हैं।

CARITAS India की 2011 की वार्षिक रिर्पोट में बताया गया है कि उक्तवर्ष (2010–2011 के दौरान) CARITAS 366 परियोजनाओं पर काम कर रहा था। इन परियोजनाओं पर 34 करोड़ 74 लाख, 34 हजार 380 रूपये (347434,380) खर्च किए गए थे। इसी संस्था की 2010 की रिर्पोट में यह भी कहा गया था कि CARITAS India की जड़ें पूरे भारत में बड़ी गहराई से जुड़ी हैं। यह संगठन अपने 350 भागीदार संगठनों की मदद से अपनी गतिविधियों का सफलता पूर्वक संचालन करता है। इसके भागीदार संगठनों के बीच इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय समन्वय स्थपित करते हैं। 2011 में CARITAS India को भारत से ही 9 करोड. 74 लाख 11 हजार 19 रूपए की आर्थिक संहायता मिली थी जबकि तब CARITAS India को विदेशों से करीब 36 करोड रूपए का अनुदान मिला था।

CARITAS India की वेबसाइट में 58 पेज के एक लंबे पर्चे में मौजूदा समय में चल रही प्रक्रियाओं को लेकर एक व्यापक विवरण दिया गया है। इसके मुताबिक 2004 से लेकर अब तक CARITAS India ने 1995 से 2000 के बीच किए गए कार्यों की समीक्षा करने का बीड़ा उठाया है। इस समीक्षा के केन्द्र में संगठनात्मक विकास प्रक्रियाओं को रखा गया है। इसके मुताबिक पूरी प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। (1) आंकड़ों का संक्षिप्त संग्रहण (2) विकास प्रक्रिया की दिशा (क्षेत्रीय और चर्च के स्तर पर) (3) चर्च क्षेत्र और CARITAS India की भूमिका का निर्धारण (4) समीक्षा का तरीका, उन्हें अमल में लाने की कोशिशें।

2006 से 2011 के बीच CARITAS India की प्रमुख गतिविधियों का दायरा इस प्रकार है–

(अ) स्थानीय लोगों, दलितों, पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों और दूसरे सीमांत लागों के अधिकारों की चिंता सार्वजनिक करना।

(ब) एच आई वी / एड्स पर विशेष ध्यान देते हुए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना

(स) शिक्षा का अधिकार (द) लैंगिक समानता (क) प्राकतिक संसाधन प्रबंधन (ख) विकास और पुनर्वास के बीच संबंध स्थापित करना (ग) शांति की स्थापना और साम्प्रदायिक सद्भाव (घ) संसाधन उपलब्धता की रणनीति।

CARITAS ने स्वःसमीक्षा के लिए तैयार किए अपने ही शोध पत्र में इसके बैनर तले कार्यरत संगठनों के प्रोफाइल का भी अध्ययन किया। चर्च की समाज सेवा सोसायटियों में 146 और ऐसे ही दूसरे 149 संगठनों के प्रोफाइल्स का अध्ययन करने के बाद समीक्षा इस नतीजे पर पहुंची कि इस दौरान संगठन के काम–काज ने आठ साल के दौरान 3,671 परियोजनाओं पर सकारात्मक

प्रभाव डाला है। इसमें केरल को सर्वाधिक 18.1 प्रतिशत का फायदा हुआ है। इसकी 663 परियोजनाएं प्रभावित हुई। इसके बाद तमिलनाडु 458 परियोजनाओं के साथ 12.5 प्रतिशत का लाभ उठाने में कामयाब रहा जबकि उत्तरी क्षेत्र के खाते में ऐसी 386 परियोजनाएं आई जिससे वहां 10.6 प्रतिशत का ही लाभ पहुचा। उड़ीसा और पष्चिम बंगाल जैसे राज्य ऐसे थे जिनको इन परियोजनाओं से बहुत कम लाभ मिल सका था। कुल 164 परियोजनाओं के साथ उड़ीसा को 4.5 प्रतिशत का और 181 परियोजनाओं के साथ पष्चिम बंगाल 4.9 प्रतिशत के लाभ का भागीदार बना। इसी अवधि में आपदा प्रबंध से जुड़ी 182 परियोजनाओं पर भी समानान्तर रूप से काम चलता रहा।

मई 2012 में CARITAS International ने नए नियमों को स्वीकार किया है, जिसमें वेटिकन के अधिकारों को बढ़ाया गया है। अब इसके सात सदस्यीय संचालन समिति के तीन सदस्य वेटिकन द्वारा नियुक्त बिशप होंगे। इसके अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष अब पोप की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं होंगे। इन बदलावों का CARITAS India पर क्या असर होगा यह भविष्यकाल ही बताएगा।

ईसाईयत और धर्मांतरण

साम्राज्य का उदय

संप्रदायों और संगठनों की भूमिका

बपतिस्म (बैप्टिजम), आत्मा बचाओ (सेविंग द सोल), ईसाईयत का प्रचार (इवेंगेलाइजेशन), ये चार ऐसे करिश्माई या जादूई शब्द हैं जो संप्रदायों, संस्थाओं, कैथोलिकों और प्रोटेसटेंस के बीच के अंतर को एकदम खत्म कर देते हैं, धो देते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो फंडिंग विशेषकर विदेशों से मिलनेवाली आर्थिक सहायता से जुड़ा है। हमारे अध्ययन में पता चला कि ऐसी कई कहानियां और उदाहरण हैं जो हमारे भारत में आमतौर पर ईसाई धर्मांतरण के रूप में जाने जाते हैं। हमारे अध्ययन में यह जानकारी भी मिलती है कि ईसाई धर्म के प्रचार के न केवल नए मिशन बने हैं बल्कि इस धर्म के सभी संप्रदायों में भारतीयों का धर्म बदलने की प्रबल लालसा है।

कैथोलिक चर्च, सीएनआई और सीएसआई

15 जुलाई 2009 को बोंगई गांव की कैथोलिक चर्च के बिशप ने अमेरिका में मोंटाना स्थित ग्रेट फलास की बड़ी चर्च के पादरी को एक पत्र लिखा। पत्र में वहां की मौजूदा स्थिति और कई जरूरतों का खुलासा किया गया है जो इस प्रकार है:– हमारी दृष्टि और हमारे भावी कदम समय की जरूरत के हिसाब से सेवा की नई शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। वर्ष 2009–10 के लिए हमने अपने कार्यक्रमों को ईसाईयत के प्रचार तक केंद्रित रखा है। सर्वसम्मति से यह सोचा गया और निश्चय किया गया कि हमारे स्कूल, छात्रावास, अस्पताल इत्यादि जैसे संस्थान ईसाईयत के प्रचार में एक चैनल की तरह काम करेंगे और निश्चित ही इसके लिए पैसे की जरूरत होगी। जैसा कि इस पत्र में कहा गया है इस काम के लिए तुरंत करीब एक लाख 75 हजार रुपए की जरूरत है।

सीएनआई के संविधान के कुछ अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है:

अनुच्छेद 6– बिशप की जिम्मेदारियां और जवाबदेही इस प्रकार है।

ईसाईयत का प्रचार: बिशप का यह कर्तव्य है कि वह चर्च में ईसाईयत के प्रचार के कामों को प्रोत्साहन दे। इसके लिए उसे खुद अपना उदाहरण पेश करते हुए दूसरों का हौसला भी बढ़ाना चाहिए और बिशप लगातार लोगों को इस संबंध में उनके कर्तव्यों की याद दिलाता रहे।

सीएसआई ने ईसाईयत के प्रचार और मिशनरी कार्यों के लिए एक बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड के पदाधिकारी इस प्रकार हैं– निदेशक, डॉक्टर जेबराज सैमुअल, सह निदेशक, आई.

इस बोर्ड के घोषित उद्देश्य एकदम स्पष्ट हैं–

1. अपने भाईयों और बहनों को प्रार्थना के लिए प्रशिक्षित करना।

2. हर साल सौ से अधिक गांवों में ईसाईयत का प्रसार करना।

3. हर साल साठ नए सम्मेलन स्थलों की स्थापना करना।

4. अपने मिशन के क्षेत्र में हर साल 20 नए गिरिजाघरों के भवन का निर्माण करना।

5. धर्म के प्रचार में छोटे गिरजाघरों की सीमा पार करके बड़े गिरिजाघर तक आगे बढ़ना।

6. अपने बड़े गिरिजाघरों के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अधिक से अधिक सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी के लिए लोगों को तैयार करना। मिशन फील्ड में सक्रिय 125 मिशनरियों का सुपरविजन करना।

वर्ल्ड विजन

लूसाने कमेटी की वेबसाइट पर लूसाने ओकेजनल पेपर्स श्रंखला के तहत प्रकाशित एक शोध पत्र 'क्रिश्चियन विटनेस टू हिंदूज' का उल्लेख किया गया है। इस में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर ईसाईयत के प्रचार के साथ ही हमको हिंदुओं तक कैसे पहुंचना होगा। एक मिनी परामर्श के तहत ईसाईयत के प्रचारकों को यह सलाह दी गई है। इसमें यह भी खुलासा किया गया है कि इस मुद्दे पर थाईलैंड के पटाया नामक स्थान में 16 से 27 जून 1980 के बीच एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी को ईसाईयत की वैश्विक मामलों की लूसाने कमेटी ने प्रायोजित किया था। इसकी भूमिका के आरंभिक नोट में कहा गया है कि यह रिपोर्ट इस अनुरोध और उम्मीद के साथ जारी की जा रही है कि चर्च और उसके व्यक्तिगत सदस्य विश्व की बड़ी आबादी वाले लोगों तक पहुंचकर ईसाईयत की दिशा को गति प्रदान करेंगे। इस रिपोर्ट की विषय सूची से ही इसमें अंतर्निहित सामग्री और हासिल किए जाने वाले उद्देश्यों का खुलासा हो जाता है। यह सूची इस प्रकार है–

1. समकालीन स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
2. ईसाईयत के हिंदुत्व बहुल क्षेत्र में बाइबिल से जुड़े कार्यक्रम
3. हिंदुओं को ईसाई बनाने के काम में आने वाली रूकावटें
4. हिंदुओं के बीच काम करनेवाली ईसाई मिशनरियों के लिए त्वरित कार्यक्रम की केस स्टडी। 5. ईसाईयत से प्रभावित हिंदुओं के लिए रणनीतिक योजना
6. कार्य संचालन के लिए संसाधन और उपकरण
7. निष्ठा

8. निष्कर्ष

9. समापन

इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति और इसके परामर्शदाता इस प्रकार हैं–

अध्यक्ष– पी. सत्यकृति राव, इवेंगेलिकल फैलोशीप ऑफ इंडिया के सचिव, एम. अल्फोंसे, मैथोडिस्ट तमिल चर्च, सिंगापुर इसके संचार सलाहकारों में शामिल हैं। डी. एडम्स, इंटरनेशनल प्रोगाम कंसल टेंट्स, ट्रांस वर्ल्ड रेडियो यूएसए, मिस येनी एडिगर, इवेनगेलिकल फैलोशीप ऑफ इंडिया और एम.एम. मैक्सटोन, इंडिया एवरी होम क्रूसेड। इस रिपोर्ट को तैयार करनेवाली कमेटी के परामर्शदाताओं में डॉ. डबल्यू. ड्यूवेल, ओरिएंटल मिशनरी सोसायटी इंटरनेशनल अमेरिका, पी. मैकनी, वर्ल्ड विजन न्यूजीलैंड, डॉ. एस. कमालेसन, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल यूएसए और एस.के. परमार, मेथोडिस्ट चर्च दक्षिण एशिया इंडिया।

हमारे अध्ययन से पता चला कि उक्त रिपोर्ट में सम्मिलित ज्यादातर उपायों को अमल में लाया जा चुका है। जिसका एक उदाहरण है रेडियो मिनिस्ट्री। इससे यह पता चलता है कि वर्ल्ड विजन भारत में ईसाईयत के प्रचार–प्रसार की रणनीतिक योजना बनाने में सहभागी है।

कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो यह बताते हैं कि वर्ल्ड विजन जमीनी धरातल पर वास्तविक धर्मांतरण कराने के मामलों में भी सक्रिय रहा है। डेनमार्क के एक नागरिक विग्गो सौगार्ड जो संचार विशेषज्ञ और एक मिशनरी भी हैं इस काम में लगे हुए हैं वे सांचार से संबंधित दोनों ही कार्यसमूहों के सदस्य हैं। और इसके साथ ही एक रणनीति कार्यसमूह के भी सदस्य हैं। यही नहीं श्री सौगार्ड वैश्विक स्तर पर ईसाईयत का प्रचार करनेवाली संस्था यूरोपियन लूसाने कमेटी के निदेशक भी हैं। www.lussane.org में प्रकाशित अपने एक पत्र में उन्होंने अपने अनुभवों का खुलासा कुछ इस प्रकार किया है 'एक दिन मैं वर्ल्ड विजन के एक मूल्यांकन दल के साथ दक्षिण भारत के श्रीपेरंबदुर के एक गांव में था। हमें भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया और एक महिला अपने जवान बच्चे का हाथ पकड़ कर हमारे सामने आई। उसने बड़े गर्व के साथ अपने बच्चे को दिखाया और कहा कि देखो यह कितना खुबसूरत और स्वस्थ है। पर उसने कहा यह बच्चा हमेशा बीमार और कमजोर रहता है। उसके बाद हमने पानी के बारे में उसका टेप सुना, और उसमें कहा गया था हम जीसस से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की, और देखो जीसस ने क्या कर दिया।'

वर्ल्ड विजन इंडिया के लिए काम करनेवाले और इसकी एक विकास परियोजना के प्रभारी रह चुके फ्रैंकलिन जोसफ के साथ अपने एक इंटरव्यू में भी सौगार्ड ने इस तरह के चमात्कार का दावा किया था। अपने अध्ययन के लिहाज से उपयोगी समझे जाने वाले उस साक्षात्कार के कुछ अंश हम यहां दे रहे हैं।

प्रसंगवश उल्लेखनीय यह है कि फ्रैंकलिन जोसफ ने वर्ल्ड विजन इंडिया के साथ एक कैसेट परियोजना पर काम किया था। उनका साक्षात्कार करनेवाले विगो सौगार्ड ने जब उनसे इस परियोजना पर काम करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा 'हमने जिनलोगों की मदद की उनकी कई परेशानियां थीं। माताएं अपने बीमार बच्चों को इलाज के लिए लेकर आती थीं, और युवक रोजगार के लिए हमारे पास आते थे और दूसरे शराब के नशेड़ी थे। वे कई समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास आते थे। हमारे पास शिक्षा, चिकित्सा से संबंधित कार्यक्रम थे जिनसे उनकी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति होती थीं पर हमने देखा कि हमें अपने सामाजिक कार्यक्रमों में चर्च को शामिल करना चाहिए। लोगों की सामाजिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक जरूरतें जो थी उन्हें हल करने के लिए बाइबिल की शिक्षा (गॉस्पेल) का भी समावेश करना चाहिए।

विगोः क्या आप उनलोगों को जानते थे जिनके लिए आप काम कर रहे थे?

फ्रैंकलिनः अपने लोगों और उनकी जरूरतों को समझने के लिए मैं उनके साथ रहने लगा। उनके साथ रहने से कई बार मुझे ऐसे विश्वासों का पता चला जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बनते थे। उदाहरण के लिए मुझे पता चला कि ज्यादातर औरतें यह सोचती हैं कि उनके बच्चों को डाइरिया किसी बुरी आत्मा की वजह से हुआ है। वे औरतें अपनी उस बीमारी से लड़ने के लिए अपने बच्चे की बांह के चारों ओर धागा बांध दिया करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी बच्चों को दवा देने की जरूरत नहीं समझी।

विगोः क्या स्थानीय चर्च भी इसमें शामिल थीं?

फ्रैंकलिनः हां, पहाड़ियों वाले आदिवासी क्षेत्र में एक बैपटिस्ट चर्च ऑडियो कैसेट का वितरण और बाद के कामों में शामिल रहता है।

विगोः क्या अपनी चर्च की मिनिस्ट्री का ऐसा कोई वाकया बयां करेंगे?

फ्रैंकलिनः कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा। एक दिन शराब की बुराईयों पर हमने अपना कैसेट चलाया। स्थानीय गांव का नेता हमारे पास आया और उसने वह कैसेट सुना। वह उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने गांव के लोगों को बुलाकर उनसे यह कैसेट सुनने को कहा। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे शराब बनाना बंद कर देंगे और अगर कोई शराब बनाते हुए पकड़ा गया तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब पूरा ही गांव जीसस क्राइस्ट की ओर आ रहा है।

धर्मांतरण के तरीके

बाल प्रायोजन

एडवेंटिस्ट न्यूज वेबसाइट के एक साक्षात्कार में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के रॉन वाट्स ने एडवेंटिस्ट

चाइल्ड इंडिया प्रोग्राम के तहत बच्चों को प्रायोजित करने की अपील की है, जबकि उनके सहयोगी पेस्टर जॉन ने दक्षिण भारत के पेस्टर्स और शिक्षकों से बाल प्रायोजन को प्रभावशाली तरीके के साथ लागू करने पर जोर दिया है। "हमारे 50 फीसदी से अधिक कार्यकर्ता, शिक्षक और पेस्टर बच्चों के रूप में प्रायोजित किए गए थे, उन्होंने कहा और हमारे पास दक्षिण पूर्व भारत में 300 कार्यकर्ता हैं।"

निश्चित ही इन प्रायोजित बच्चों में कुछ बपतिस्मा कराए हुए ईसाई हो सकते हैं। पर इनमें से कुछ दूसरे धर्मों से होंगे और जो पेस्टर बन गए।

एक अन्य संगठन कंपैसन इंटरनेशनल भी बच्चे प्रायोजित कराने की योजना के तहत पैसे उगाहने की योजना पर काम करता है। इस संस्था की भारतीय शाखा, कंपैसन ईस्ट इंडिया, हमारे सौ से अधिक संस्थाओं वाले उस क्लब का हिस्सा है जिन्होंने 201 करोड़ रुपए इस मद में अर्जित किए हैं। कंपैसन इंडिया हमारे देश में करूणा बाल विकास, की भागीदारी के साथ काम करती है। करूणा बाल विकास के भागीदारों में से एक तमिलनाडु के मदुरई जिले की आईपीसी चर्च भी है। इस चर्च ने करूणा बाल विकास के साथ काम करते हुए अपने अनुभवों का खुलासा करते हुए एक जगह कहा है 'हम इस टीम वर्क के लिए ईश्वर के प्रति आभारी हैं। 220 से अधिक बच्चों और उनके परिवारों को इस महान कार्य से लाभ हुआ। क्राइस्ट फॉर टोटल पर्सन (ईसा सभी के लिए है) हमारा मूल मंत्र है। हम शारीरिक शिक्षा, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान इन चार क्षेत्रों में काम करते हैं। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन और निरंतर निगरानी की सुविधा दी जाती है, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। हमारा कार्य संचालन इस सिद्धांत पर काम करता है कि बच्चे परिवार के दूसरे सदस्यों की मदद करते हैं। सिलाई, बकरी पालन जैसे आय के दूसरे कार्यक्रमों से इनकी मदद की जाती है। कई बच्चों ने बपतिस्मा लिया। कई माता–पिताओं ने अपना जीवन जीसस क्राइस्ट की सेवा में अर्पित कर दिया है। आनेवाले दिनों में हम और अधिक बच्चों को इस परियोजना में शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं।'

कृपया हमारे भागीदार बनें। एक केंद्र की स्थापना में 14 हजार 225 रुपए की लागत आएगी और इसके संचालन का खर्च प्रति माह 14 हजार 660 रुपए आएगा।

स्पष्ट है कि इस तरह की अपील कर विदेशी पैसे का कंपैसन इंडिया, करूणा बाल विकास और आईपीसी चर्च को स्थानान्तरण किया जाता है और यह सब उनकी बाल प्रायोजक परियोजना के लिए किया जाता है। इसी के परिणामस्वरूप कुछ बच्चों का बपतिस्मा किया जाता है और कुछ मां–बाप अपना जीवन जीसस क्राइस्ट की सेवा में समर्पित कर देते हैं।

हमने यह देखा कि गॉस्पल पार्टनर्स मूवमेंट नामक एक अभियान के तहत देश के अनेक हिस्सों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया गया है। इस अभियान का दावा है कि अपने दस साल के सफर

में उन्होंने 10 हजार लोगों को धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाया है। इसी कड़ी में तमिलनाडु के तूतीकोरिन के शेयरिंग लव मिशन ने भील जाति के 620 गांवों के हजारों लोगों के धर्म परिवर्तन का दावा किया है। उसका यह भी दावा है कि उनके कार्यक्षेत्र में सक्रिय ईसाई संगठनों के 430 पदाधिकारी भील हैं। गोरखपुर का हिमालय मिशन, तिरूनवेली का पीस ट्रस्ट और ऐसे कई संगठन हैं जो आमतौर पर अपने ही तरीकों से धर्म परिवर्तन में लगे रहते हैं। इन सभी संगठनों को करूणा बाल विकास से मदद मिलती है।

प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, बाल शिक्षा और व्यावसायिक कक्षा

कहानी विलियम स्कॉट की

12 से 14 अक्टूबर 2010 को भारत के विभिन्न भागों से आए चर्च के नेता विलियम स्कॉट को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए थे। वजह यह थी कि विलियम स्कॉट ने उस दिन भारत की भूमि में अपनी मिशनरी सेवा के साठ साल पूरे कर लिए थे। अपने आप में अनोखी इस सभा का रहस्य स्कॉट के आंदोलन के इतिहास में छिपा है।

डॉ. विलियम स्कॉट और उनकी स्वर्गीय पत्नी डॉ. जॉइसी स्कॉट ने 1950 में भारत में अपने मिशनरी काम की शुरुआत की थी। भारत में रहते हुए उन्होंने द इंडिया बाइबिल लिटरेचर नामक एक संस्था का गठन कर इसके माध्यम से देश में बाइबिल का प्रचार किया था।

1972 में वर्ल्ड होम बाइबिल के साथ मिलकर एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जिसे स्कूल्स ऑफ इवेंगेलिज्म का नाम दिया गया था। इस स्कूल के माध्यम से गांव के स्तर पर कक्षाओं का आयोजन किया जाता था। गांव में लगाई जानेवाली इन कक्षाओं में शिक्षकों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। 1985 से 6200 से अधिक भारतीय प्रचारकों को चर्च की स्थापना के लिए प्रशिक्षित किया गया और उन्होंने 18 हजार से अधिक गिरिजाघरों का निर्माण किया और 20 हजार से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया।

1984 में जॉयसी स्कॉट ने एक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया। इसी दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो बाइबिल के वैश्विक स्तर पर प्रचार का काम करती है, ने जॉइसी स्कॉट से भारत के अंदर विभिन्न भाषाओं में बाइबिल के साहित्य के प्रचार का काम करने को कहा। जॉयसी की पहल से ही इंडिया बाइबिल लिटरेचर सोसायटी का गठन हुआ और अब इसकी भागीदारी से 600 से अधिक गिरजाघरों और सामाजिक संगठनों को इसके दायरे में लाया जा सका। आलम यह है कि आज यह संस्था देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल चुकी है और देश की 17 प्रमुख भाषाओं में बाइबिल का प्रचार कर रही है।

बाद के वर्षों में बच्चों तक बाइबिल की पहुंच बढ़ाने के लिए चिल्ड्रन्स बाइबिल स्कूल भी शुरू किए गए। जिनके उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आए। चूंकि शुरुआत में बाइबिल स्कूलों के पास

प्रचार के लिए बहुत ज्यादा साधन और सामग्री नहीं थी इसलिए बाद में भागीदार बने चर्च और दूसरे भागीदारों ने इस काम के लिए प्रशिक्षण और संसाधन जुटाने की मांग की। इंडिया बाइबिल लिटरेचर नामक संस्था ने अच्छे लेखकों को इसके लिए तैयार किया और बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतरीन पाठ्यक्रम विकसित किया। इस योजना के तहत छह से सोलह वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों को बाइबिल की शिक्षा देने की व्यवस्था थी। मौजूदा दौर में हर साल लगभग 10 लाख बच्चों की इस कार्यक्रम तक पहुंच बन गई है। इन तमाम गतिविधियों के परिणामों की भूरि–भूरि प्रशंसा करने के साथ ही डॉ. स्कॉट का भारत में ईसाईयत का प्रचार करने के साठ साल की सेवा के लिए आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर एक ईसाई नेता का यह कहना था 'मैने 1986 में इस कोर्स के लिए आईबीएल में आवेदन किया था। मेरा चयन भी हो गया और यह कोर्स करने के बाद मुझे काफी ज्ञान भी हुआ। इसी से मैं यह भी सीख सका कि अनुयायी कैसे बनाए जा सकते हैं? चर्च का निर्माण कैसे किया जाता है? और किस तरह ईसाईयत का प्रभावशाली तरीके से प्रचार किया जा सकता है? चर्च के नेता का यह कथन अपने आप में इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि अगले दस वर्ष की अवधि में इस चर्च नेता ने 290 पेस्टर्स और ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रशिक्षित भी कर लिया था। उनके मुताबिक यह सबकुछ आईबीएल की मदद से पूरा हो सका। इस कथन में यह भी कहा गया है कि चर्च नेता ने जितने भी लोगों को प्रशिक्षण दिया उन सभी ने आने वाले समय में 290 गिरजाघरों की स्थापना की और यह सब विलुपुरम, पांडिचेरी, कुड्डालोर और कोयंबटूर के चार जिलों में संपन्न हो सका। इन सबके आधार पर 8000 लोगों को ईसाई बनाया गया।

इसी तरह से ऐसे ही दूसरे लोगों ने भी इस अवसर पर भाषण दिए और अपने–अपने अनुभव बांटे। इन भाषणों के उल्लेखों को अगर जोड़ दें तो 53,400 लोगों को धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाने के उल्लेख मिलते हैं। सेंवेंथ डे एडवेंटिस्ट भी धर्मांतरण के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का प्रभावशाली तरीके से संचालन करता है। यह संगठन भी दक्षिण एशिया समेत विश्व के सभी भागों में धर्मांतरण को लेकर काफी सक्रिय है।

अध्ययन केंद्र

एडवेंटिस्ट चर्च की होप फॉर ह्यूमैनिटी नामक संस्था द्वारा प्रायोजित साक्षरता कक्षाओं ने बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन को बदला है और भारत में महिलाओं के प्रति समुदाय के सम्मान को भी बढ़ाया है। देश के पांच दक्षिण भारतीय राज्यों में फिलहाल 200 से अधिक ऐसी साक्षरता कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। यह उस देश के लिए बड़े आश्चर्य की बात है जो 200 से अधिक साल तक ब्रिटेन की दासता वाली शिक्षा प्रणाली का शिकार रहा है। वहां की साठ प्रतिशत महिलाए साक्षर हैं। एक ऐसे देश में जिसका जनसंख्या घनत्व अमेरिका से एक दर्जन गुणा ज्यादा है वहां शिक्षा को लेकर अभिरुचि कम ही देखी जाती है। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड की एक

न्यूज रिपोर्ट के हवाले से एक विदेशी का यह कथन भी महत्वपूर्ण है 'मैं अपने पश्चिम के आरामदायक क्लास रूम के काफी निकट महसूस करता हूँ।

साक्षरता कार्यक्रम की इन शिक्षाओं में पढ़नेवाले लोग तो गैर ईसाई थे लेकिन उनको पढ़ानेवाले शिक्षक ईसाई थे। तमिलनाडू के एक ऐसे ही स्कूल में शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर कुछ बनाते हुए देखा। और यह भी देखा कि वहां पढ़ रहे लोग उसको जैसे का तैसा अपनी स्लेट में उतार रहे थे। इसी बीच ऐसे भी मौके आते रहे जब पढ़ाई के बीच शिक्षक बाइबिल से लिए गए ईसाई धार्मिक गीत सुना रहे थे। ये गीत उस पढ़ाई का प्रतीकात्मक माध्यम बन जाते थे। ऐसे प्रतीकों को देख और सुन कर वहां पढ़ने वाले हर इंसान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा जाती थी। मैं एक नौजवान महिला के बगल में बैठा जिसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उस महिला ने कहा कि मेरी जिंदगी में यह सबसे अच्छा समय है। मैं समाचारपत्र और किताबें पढ़ना शुरू कर रही हूं। मैं अपने बच्चों को उनके गृह कार्य में मदद कर सकती हूं। मेरे पति को मुझपर गर्व है। स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद उस महिला को उसकी जिंदगी की पहली किताब मिली जिसे वह अपना कह सकती थी और वह किताब थी बाइबिल की तमिल प्रति।

इस तरह के उदाहरणों से यह अच्छी तरह से समझ में आ सकता है कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट ने किस तरह अपने साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े ही सालीन तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार करने के साथ ही लोगों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाने में भी मदद की। न केवल तमिलनाडु बल्कि देश के आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के कमोबेश सभी राज्यों में धर्म परिवर्तन का काम साक्षरता कार्यक्रमों की आड़ में किया गया।

स्कूल बने धर्मांतरण का माध्यम

विभिन्न मिशनों द्वारा संचालित स्कूलों का धर्म परिवर्तन के लिए बड़े प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जानकारी ये स्कूल अपने विदेशी दानदाताओं को भी देते हैं जिनकी दिलचस्पी शिक्षा से ज्यादा धर्म परिवर्तन में होती है। 2009 में www.iowamissions.com ने अमेरिका के इवोवा राज्य के ब्रुश मोर मेंसन में संपन्न एक क्रिसमस पार्टी का हवाला देते हुए कहा–

पिछले रविवार की रात 6 दिसंबर को हमने ब्रुश मोर मेंसन को अपने वर्ष समाप्ति के अवसर पर आयोजित किए जानेवाले क्रिसमस समारोह के लिए चुना था। इस पार्टी में हमने उन सभी लोगों को सम्मानित किया था जिन्होंने पिछले वर्ष हमको मिशन के कार्यों में मदद की थी। शाम को साढ़े सात बजे के आसपास हमने भारत में फुगोटो को जगाया और टीम फिलिप्स ने उनका इंटरव्यू लिया। फुगोटो ने स्कूल की प्रगति की ताजा जानकारी दी। उसमें हैरत करने वाली बात यह थी कि जो गांव पहले पहुंच के बाहर थे वहां अब स्कूल के माध्यम से साठ से अधिक नए ईसाई अनुयायी बन गए।

सिलिगुडी के नेतृत्व प्रशिक्षण मिशन ने जो एक स्वतंत्र मिशन है अपनी रिपोर्ट में कहा 'नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्र ने पांच अंशु एकेडमी शुरू की है। संस्कृत भाषा में अंशु शब्द का मतलब रोशनी की एक किरण है। सिलिगुडी में बाबू बासा की अंशु एकेडमी में एक चाय बागान के मजदूरों के 180 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहां नर्सरी से पांचवी कक्षा की पढ़ाई होती है और हम उन्हें निःशुल्क शिक्षा देते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक हमारे स्कूल के बच्चों का उनके परिवारों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल में ईश्वर का प्रताप उन्हें बचाता है और उसका प्रभाव वह अपने परिवार के सदस्यों पर छोड़ते हैं ताकि उन बच्चों के परिवारों और गांवों के माध्यम से दूसरे गांवों में भी ईसाईयत को बढ़ावा दिया जा सके। जैसा मैने कहा इस मिशन के स्कूल में बच्चों और शिक्षकों के बीच सदभाव का माहौल है।

इसी क्रम में एक अन्य उदाहरण यह भी दिया गया कि जब एक छात्रा अवकाश के मौके पर अपने छात्रावास से घर गई तब उसके पिता ने उससे कहा कि उसे अपने हिंदू भगवान के सामने दिया जलाकर पूजा करनी चाहिए। इस पर शोभा नामक उस बच्ची ने कहा मैं जीसस की पूजा करती हूं। मैं कोई पापी काम नहीं करूंगी। शोभा के पिता ने उसको डांटा और कहा कि उसे वही करना चाहिए जैसा बताया जा रहा है। लेकिन उसकी मां ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि करने दो उसे जीसस की पूजा। उसको अकेला छोड़ दो। ऐसे ही अनेक घटनाओं के माध्यम से ईसाई मिशनरियां और उनके कार्यकर्ता यह साबित करने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरह उनके द्वारा किए जा रहे कामों के एवज में लोग बड़े पैमाने पर स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं।

धर्म परिवर्तन संबंधी ऐसी ही एक कहानी के हवाले से कहा गया है कि मेरे लिए यह बड़े उत्साह की बात है कि मैंने चार ऐसे लोगों का बपतिस्मा करवाया जो कट्टर हिंदू परिवारों से हैं। उन्होंने यह माना कि उन्होंने पहली बार जीसस का नाम हमारी मिशनरी से ही सुना। अपने धर्म परिवर्तन को लेकर वे बहुत गंभीर हैं। इसके अलावा पांच और ऐसे हैं जो बपतिस्मा कराने की इच्छा रखते हैं लेकिन उनको डर है कि उनके परिवार वाले ऐसा नहीं करने देंगे। हमने उनके लिए प्रार्थना की कि ईश्वर करे वह जल्दी से ही धर्म परिवर्तन कर लें। इसी कहानी में चर्च के एक ब्रदर अय्यप्पन के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने सब कुछ मुफ्त शिक्षा देकर शुरू किया है और इससे उनको गांव में पहचान भी मिली और सम्मान भी। मैं बच्चों से मिला। ऐसे 40 बच्चे जो कट्टर हिंदू परिवारों से आते हैं और प्रार्थना की कि वे भी एक दिन ईसाई धर्म स्वीकार कर लें।

रेडियो से ईसाईयत का प्रचार

ईसाई रेडियो मिशनरीज द्वारा किए जा रहे ईसाई धर्म के प्रसार को लेकर क्रिश्चियन विटनेस नामक एक पत्र में www.laussane.org में एक रिपोर्ट प्रसारित की है जिसमें कहा गया है कि जहां कही भी साक्षरता की दर बहुत ज्यादा है। ईसाई धर्म के प्रचार से संबंधित साहित्य का

बहुत कम असर दिखाई देता है। इसलिए रेडियो के माध्यम से यह प्रचार करना वास्तव में वरदान साबित हुआ है, रेडियो जो कि पहले धनी पुरुष की विलासिता का माध्यम समझा जाता है अब आम आदमी का साथी बन गया है। लोग सुनने को आतुर हैं। जब किसी देश में कोई कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित किया जाता है तब उस देश की पृष्ठभूमि में वहां के धर्म और संस्कृति का भी बहुत बारीकी से भी ध्यान रखना चाहिए। भारत के लिए कोई भी अंगरेजी प्रोग्राम आमतौर पर शहरों में रहनेवाले लोगों को ही अपील करेगा। केवल वही कार्यक्रम नतीजा देने वाला होगा जो स्थानीय जनजीवन के धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश का सोच समझकर अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया हो। उदाहरण के लिए ट्रांसवर्ल्ड रेडियो द्वारा तैयार किए गए वर्नाकुलर कार्यक्रम जो मीडियम वेब पर प्रसारित किए गए, उन्होंने भारत में प्रसारण जगत में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में लोग जैसे ही अपने रेडियो को मीडियम वेब पर ट्यून करते हैं तो इन ईसाई प्रसारणों पर आकर ठहर जाते हैं। चूंकि यह कार्यक्रम प्रभावकारी होते हैं, साफ होते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं। लिहाजा वे श्रोता को आकर्षित करते हैं और श्रोता आखिर तक उनको सुनता है। विशेष रूप से प्रयोग की जानेवाली तेलगू और हिंदी भाषाएं असरकारी और साफ होती हैं। यही कारण है कि लोगों ने इन कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। रेडियो प्रोग्राम ऐसी भाषाओं में तैयार किए जाने चाहिए जो लोगों की वास्तविक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करनेवाले हों और उनकी शैली ऐसी हो जिसके माध्यम से वे आसानी से उनपर अमल भी करने लगें। इस तरह के तरीकों का प्रभाव व्यावहारिक धरातल पर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए टाइड रेडियो मिशनरी के ऐसे कार्यक्रमों ने भारत में बपतिस्मा को काफी बढ़ावा दिया है।

इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। टाइड मिशन के एक अंग के रूप में तैयार किए जाने वाले एक कार्यक्रम के तहत लोगों को जीसस क्राइस्ट के करीब लाने की कोशिश करने के साथ ही उनसे अपने धार्मिक विश्वास को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। द टाइड पूरी दुनिया के कई इलाकों में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करता है जहां ऐसे श्रोता हो जिनका जीसस के साथ परिचय कराया जा चुका हो, एकत्र होते हैं और अपने विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। फरवरी 2012 के दौरान टाइड मिशन के भारतीय भागीदारों ने ऐसे ही एक सम्मेलन का आयोजन किया था। यह सम्मेलन उन आदिवासी लोगों के लिए किया गया था जो अपेक्षाकृत रूप से ईसाईयत की पहुंच के बाहर थे। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे शहरी थे जो स्थानीय आदिवासी भाषा बोलने वाले थे। इस बैठक के माध्यम से कुल 96 लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए राजी कर लिया गया और 42 लोगों का बपतिस्मा किया गया।

ऐसे चार सम्मेलनों में से एक सम्मेलन पठाराई गांव में आयोजित किया गया था। इस बैठक में 80 लोग आए और सबने बड़े ध्यान से स्थानीय पेस्टर द्वारा दिए गए प्रवचन को सुना। बैठक के

अंत में 25 लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और 9 लोगों ने बपतिस्मा कराने का फैसला लिया। ऐसा ही दूसरा सम्मेलन भारत के फतेहपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 65 लोगों ने हिस्सा लिया था। सभी ने पेस्टर के ईश्वर के बारे में दिए गए उपदेश को ध्यान से सुना। सभा के अंत में 18 लोगों ने अपने रक्षक के रूप में क्राइस्ट को अपना लिया। पर दुर्भाग्य से उस क्षेत्र की किसी समस्या के चलते बपतिस्मा की कार्रवाई उस दिन रद्द कर देनी पड़ी। जिस कारण ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले लोगों का उस दिन बपतिस्मा नहीं हो सका था।

इसी तरह का तीसरा सम्मेलन उडारी गांव में हुआ। 160 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। पादरी अमर कुमार ने भगवान के शब्दों को लोगों तक पहुंचाया और बपतिस्मे की शिक्षा उनको दी। अंत में 18 लोगों ने ईसाई धर्म अपनाते हुए अपना जीवन जीजस को समर्पित कर दिया। इनके अलावा 11 लोगों का बपतिस्मा हुआ।

इस तरह का अंतिम सम्मेलन अंबिकापुर से 30 मील की दूरी पर स्थित लुचकी ग्राम में सम्पन्न हुआ इसमें 85 लोगों ने भाग लिया। सभी लोगों ने स्थानीय पेस्टर की धार्मिक बातों को ध्यान से सुना और अंत में 35 लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। सम्मेलन में आए 22 लोगों ने ईसा के प्रति अपने समर्पण का भाव प्रदर्शित करते हुए अपना बपतिस्मा करवाया।

www.normission.no नॉर्वे की साइट है। इस साइट के एक पेज 'अबाउट अस' (About Us) में कहा गया है कि नॉर्वे के लोग एक Evangelical Luthern Organization के सदस्य हैं और ईसाइयत के प्रचार के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। वहां का एक संगठन यह काम करता है और वहां के बच्चों से लेकर महिला और पुरूषों के बीच जाकर यह काम करता है।

इस संगठन को भारत में दुमका स्थित रेडियो दुमका हर वर्ष रेडियो दुमका अपना रिपोर्ट भेजता है। 2006–2007 के रिपोर्ट के कुछ अंश इस प्रकार है–

असम जन अभियान कार्यक्रम

फरवरी के महीने 2 से 13 तारीख तक चार अनुयायी कार्यकर्ताओं ने असम का दौरा किया। वहां उन्होंने हैरत अंगेज काम किया। एक ही गांव के लोगों ने एक ही उपदेश में अपनी गलती का अहसास कर लिया और अपना बपतिस्मा करवा लिया। 20 फरवरी को हुए इस पहले बपतिस्मा समारोह के कुछ ही दिन बाद 44 और लोगों का भी बपतिस्मा हो गया। कुल मिलाकर 73 लोगों ने उपदेशों से प्रभावित होकर बपतिस्मा करवा लिया। बपतिस्मा कराने के इच्छुक व्यक्ति नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं और बपतिस्मे के लिए तैयार हैं। कई बार तो इस टीम को देर रात तक इस काम में लगा रहना पड़ता है और वो सुबह 3 बजे तक काम करते रहना पड़ता है। इस क्षेत्र में कई और लोग भी धर्म परिवर्तन के इच्छुक हैं।

राख जन अभियान कार्यक्रम

राख क्षेत्र के कीराबानी सर्किल में 13 से 24 मार्च के बीच एक जन अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुमका की बड़ी चर्च के तत्वाधन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान हर सर्किल से एक प्रचारक को इस समागम में आमंत्रित किया था। इसके लिए दुमका के बड़े गिरजाघर ने 6 हजार रुपए दिए थे। उनका यह आर्थिक सहयोग धन्यवाद योग्य है। ईश्वर ने हम सभी के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। इससे इस क्षेत्र की कई आत्माएं पाप मुक्त हो जाएंगी। कीराबनी सर्किल के सहयोग से राख समागम सेवा पुनर्जीवित हो गई और इसी समागम में 8 लोगों ने बपतिस्मा करवाया। ईसाई धर्म की दीक्षा लेने के इच्छुक अनेक व्यक्ति चर्च में आ रहे हैं।

बपतिस्मा– ईश्वर की कृपा से इस वर्ष कुल 192 लोगों को ईश्वर के साम्राज्य में अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया। ऐसे 15 लोग हैं जो बपतिस्मे के लिए तैयार हैं और लगभग 45 व्यक्ति चर्च की सेवा में लगे हुए हैं।

इसी प्रकार के रिपोर्ट 2006 से 2010 तक भेजे गए हैं। संभवतः आर्थिक सहायता के लिए ही ऐसे रिपोर्ट भेजे गए हैं।

बाइबिल पत्राचार पाठ्यक्रम

इस साल कुल मिला कर 243 छात्रों को बाइबिल पत्राचार पाठ्यक्रम (बी. सी. सी.) में प्रवेष दिलाया गया। इनमे से 37 छात्रों ने संथाली और हिन्दी दोनों ही भाषाओं के पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिए।

ईसाई मदरसे और बाइबिल संस्थान

कुछ ईसाई संगठनों द्वारा लोगों को बाइबिल स्कूल और मदरसों में प्रशिक्षण देने का काम सफलतापूर्वक शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को शिक्षा के साथ ही रोजगार से भी जोड़ा जाता है। कोटा राजस्थान के आर्क विशप डॉ. एम.ए. थॉमस यह काम कई सालों से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आईएमए की 2004 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मदरसे के माध्यम से 5 हजार 961 पेस्टर्स को प्रशिक्षित करके फील्ड में भेजा गया। इन लोगों ने 2004 में ही एक लाख 58 हजार 610 लोगों को ईसाई धर्म पर विश्वास करने वाला बना दिया है।

चमत्कारी दावों का उपयोग

इंटरनेट पर चमत्कार के दावों की कहानियां इतनी बड़ी तादाद में हैं कि एकायक उन पर ईसाई धर्म के अनुयायियों के रूप में विश्वास कर पाना आसान नहीं होगा। जीएफए की वेबसाइट ऐसी चमात्कारी कहानियों से भरी पड़ी है।

'लंगड़ा चलने लगा और अंधा देखना लगा'

यह कहानी बिसरी और नमिता की है। जिन्होने गॉस्पेल फॉर एशिया समर्थित महिला ईसाई मिशनरियों से ईश्वर की प्रार्थना सुनने के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया।

बिशरी का चमत्कार

बिशरी कभी चल नहीं सकता था। सात वर्षीय यह लड़का जन्म से ही लंगड़ा था। उसके मां–बाप ने उसके ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्होंने जीएफए समर्थित महिला मिशनरियों, मलाई राव और मीता जाधव जैसे लोगों की दैवीय आवाज सुनी जो अपने गांव की एक गली में जीसस की प्रार्थना करते हुए कोई गीत गुन–गुना रही थी। बिशरी के परेशान माता–पिता ने ध्यानपूर्वक उस गाने को सुना और अपनी फरियाद सुनाई। उन्होंने उन औरतों से कहा कि वे उनके जवान बेटे के लिए भी प्रार्थना करें। इस पर मलाई और मीता ने वैसा ही किया। पूरे तीन महीने तक मिशनरियों ने लगातार ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना की और एक दिन अचानक ही बिशरी चमत्कारी रूप से चलने लगा। बिशरी के माता–पिता ने उस ईश्वर का आभार व्यक्त किया जिसने उनके बेटे का जीवन बदल दिया था। अपने बच्चे पर ईश्वर की कृपा और दया को देखते हुए उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। आज वे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के आज्ञाकारी अनुयायी हैं और बिशरी पहले की तरह विश्वास के साथ चल रहा है।

नमिता का चमत्कार

मलाई और मीता ने 65 वर्षीय नमिता के लिए भी प्रार्थना की जिसकी आंखें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि वह देख भी नहीं पाती थी। मिशनरियों ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने उसकी आंखें देखने के लिए खोल दीं। ऐसा होने पर नमिता ने अपना जीवन क्राइस्ट को समर्पित कर दिया।

ईसाई अनुयायियों द्वारा चमत्कार की ऐसी घटनाएं यहीं तक सीमित नहीं है। मई 2012 में ऐसे ही एक ईसाई संगठन की मासिक वेब पत्रिका में एक और कहानी दी गई है। यह कहानी पपईया नामक एक ऐसे सरकारी बस के ड्राइवर की है जो शराबी था और सिगरेट भी पीता था। यही नहीं वह अपनी पत्नी और बच्चों को गालियां भी देता था। सामान्य रूप से वह एक अच्छा इंसान नहीं था। एक दिन उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। यह सिलसिला तीन साल तक चला। अंत में वह एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि उसे एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। पपईया को मरने के लिए घर भेज दिया गया। पपईया का भाई जो एक एडवेंटिस्ट है उसके पास आया और उसके लिए प्रार्थना की। अचानक ही पपईया को ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे ठीक कर रही है। उसने यह वादा किया कि अगर उसे भगवान ने ठीक कर दिया तो वह अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर देगा। प्रार्थना का असर हुआ और पपईया के स्वास्थ्य में धीरे–धीरे आश्चर्यजनक ढंग से सुधार होने लगा। उसके डॉक्टरों की आंखें फटी की फटी रह गई। कई लोग ऐसे होते हैं जो मृत्यु शैय्या पर पड़े हुए

भगवान को दिए हुए वायदे को भूल जाते हैं मगर पपईया ने अपना वादा नहीं भूला। स्वास्थ्य में सुधार होने के दौरान वह धीरे–धीरे ईश्वर की शरण में जाने लगा। उसे अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी और वह गॉस्पेल का कार्यकर्ता बन गया। चमत्कारों की ऐसी असंख्य कहानियों को सुनकर ऐसा लगता है कि अगर हम इन पर विश्वास करने लगें तो देश के सारे अस्पताल एक दिन बंद हो जाएंगे।

सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के कार्यक्रम

सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अपने 10 गांव, 25 गांव या 100 गांव के कार्यक्रमों की सफलता को लेकर बहुत उत्साहित है। इन कार्यक्रमों का संचालन पिछले एक दशक में किया गया। कार्यक्रमों का विवरण अलग–अलग है लेकिन गांवों के समूहों को लेकर काम करने का केंद्रीय बिंदु एक ही है। इसके विवरण वास्तव में आंखें खोलने वाले हैं। पांच साधारण से लोगों का एक समूह दो–दो करके बाहर जाता है। अपने स्थानीय पेस्टर के दिशा–निर्देशों पर ये लोग जिले के एक ग्रामीण इलाके में संभावनाएं तलाशते हैं। योजना के मुताबिक 25 ऐसे गांव का चयन किया जाता है जो एक दूसरे के करीब हों, जहां एक ही पारिवारिक समूहों और जातियों के लोग सामाजिक संबंध स्थापित कर सकें और जीवन साथी चुन सकें। जब ऐसे 25 गांवों का चयन कर लिया गया तब सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के दलों ने हर गांव का दौरा किया। गांवों के मुखियाओं से मुलाकात की और उनको अपने क्षेत्र के आसपास होनेवाले दस दिन के सेमिनार के लिए अपने गांव से दो–दो लोगों को भेजने का आग्रह किया। गांवों के ये नेता एडवेंटिस्ट चर्च के खर्चे पर ही आते थे और उनको अपने साथ ही रखा जाता था। विचार यह था कि उन लोगों के साथ घुल–मिलकर उनको यह अहसास कराया जाए कि हम गांव में उनके साथ उनकी ही तरह रहने को तैयार हैं अगर वे उन्हें अपने गांव बुलाएं तो। इस योजना के सफल होते ही गांवों के नेता उन्हें अपने यहां बुलाते थे। परिणामस्वरूप अगले समागम के लिए हर गांव से 25 के स्थान पर 50 या 100 लोगों के आने की उम्मीद बन जाती थी और इस तरह धर्मांतरण किया जाता रहा। धीरे–धीरे ऐसी स्थितियां बनने लगीं कि धर्मांतरित लोग दूसरे 24 गांव में जाकर अपने लिए वैवाहिक साथी ढूंढने लगे।

एक सोची समझी योजना

रॉन वाट्स जो भारत में कई सालों से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के पीछे की बड़ी ताकत रहा है ने वर्ल्ड चर्च के संचार निदेशक रे डॉबरोवस्की को दिए अपने एक इंटरव्यू में 21 दिसंबर 2004 को जो कहा वह एक अलग सी कहानी है। वाट्स के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में एक अलग तरह का घटनाक्रम देखने को मिलने लगा है। ईसाईयत के प्रचार के लिए आनेवाले दलों में उत्तरी अमेरिका, के विभिन्न जिलों के स्थानीय गिरजाघरों के लोग इसमें शामिल होते हैं। इनमें से कई लोग 10 गांवों का कार्यक्रम करते हैं और कुछ 50 गांवों का कार्यक्रम करते हैं। जहां वे एक के

बाद एक 10 या 50 नए गिरजाघरों का एक ही समय में निर्माण करते हैं। चर्च भवन के निर्माण के साथ ही अपने शिष्यों को लोगों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए छोड़ देते हैं। विदेशी मिशनरियों और धर्म प्रचारकों की नजर भारत के राजनीतिक ढांचे पर भी लगी रहती है। ये लोग भारत में समय–समय पर होनेवाले राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण को लेकर होने वाले परिवर्तनों पर नजर गड़ाए रहते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि विदेशी दलों की इन गतिविधियों को यूरोप के बड़े गिरजाघरों का संरक्षण मिलता है।

खुद वाट्स ने ही 2004 के आम चुनाव पर कड़ी नजर रखने के बाद ही चर्च की सेवा की ओर ध्यान दिया था। वाट्स का कहना है कि भारत में चुनाव के बाद एक दूसरा ही माहौल है। जिसमें एक ऐसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है जो अल्पसंख्यक समुदाय का है। इसलिए भारत के सभी अल्पसंख्यक समुदाय इससे बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले ही बयान में उन्होंने कहा कि वे यह देखेंगे कि अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार अतीत में किए गए हैं वह दोबारा न हो। आंध्र प्रदेश में जहां हमको बहुत बड़ा काम करना है वहां के नए मुख्यमंत्री एक ईसाई हैं और एक ईसाई डॉक्टर हैं और यह व्यक्ति ईश्वर और लोगों के प्रति समर्पित है और लोगों को इस बात की प्रसन्नता है कि उसने कई ईसाई अस्पतालों में काम किया है। लोग उनको इस रूप में जानते हैं जो गरीबों को प्यार करता है। वह बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आया है।

"हम प्रसन्नता का एक बिल्कुल अलग वातावरण महसूस करते हैं। (ये मुख्यमंत्री, स्वर्गीय वाई. सेमुअल राजशेखर रेड्डी थे) ये मुख्यमंत्री जिनके खेती पर 350 एडवेंटिस्ट काम करने के लिए थे, ने आंध्र प्रदेश में ईसाईयत का बड़ा काम किया है। चर्च के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए ऐसा लगता है कि दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में बपतिस्मा और व्यावसायिकता के संदर्भ में दक्षिण एशिया का चर्च क्षेत्र वृद्धि दर के प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर है। भारत में कार्यरत भारतीय और विदेशी दोनों ही मिशनरियां बड़ी तादाद में हुई वृद्धि की वजह से जनता के व्यापक दबाव का सामना कर रही हैं। इन बढ़े हुए लोगों की देखभाल के लिए नए मिशन और नए ढांचे स्थापित किए गए हैं। हमने मरांथा के सहयोग से पिछले छह साल में अपने इलाके में 850 गिरजाघरों का निर्माण किया है और मार्च 2005 से पहले इनकी संख्या 1000 तक करने की योजना है।

ग्लोबल मिशन के तहत चर्च की योजना नए क्षेत्रों में समागम करने, दूसरे मिशनों को संचालित करने और नए स्वयंसेवक तैयार करने की है जो हर गांव में काम कर सकें। ये कार्यकर्ता प्रतिदिन उपासना सेवा करते हैं और प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं का संचालन करते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यक्रम भी ये कार्यकर्ता संचालित करते हैं। चर्च की भूमिका भवन निर्माण की ही नहीं है। इसके पीछे भी एक घोषित एजेंडा है और इस संदर्भ में भारत में जातिभेद की भावना का लाभ

उठाने की भी योजना चर्च की रही है और अब तो कई मिशनरी और चर्च कार्यकर्ता खुलेआम इसके बारे में बात भी करने लगे हैं। खुद रॉन वाट्स ने इस बारे में कहा है।

"चर्च के विकास के संदर्भ में चर्च भवनों का निर्माण ही अपने आप में आश्चर्यजनक है पर आपको यह समझना होगा कि पिछले दो हजार सालों में भारतीय आबादी के 85 प्रतिशत लोगों को हिंदू मंदिरों में पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई थी और उनके लिए पूजा का स्थान इतना अधिक कीमती हो जाता है कि वे इससे अधिक न सोच पाते हैं और न कुछ मांग ही सकते हैं। पूजा के स्थान पर जाना उन्हें अपने जीवन में स्थायित्व बोध कराता है, इससे उन्हें प्रसन्नता होती है, इससे उनके जीवन में एक रौनक आती है और उन गांवों में जहां गिरजाघरों का निर्माण किया गया वे गांव का केंद्र बिंदु हैं और वहां जाना उन्हें अच्छा लगता है। चर्च उनके जीवन और उनके परिवार का केंद्र बन गया है।

मरांथा और ग्लोबल मिशन के आपसी संबंध का एक अनोखा पहलू यह भी है कि वे दोनों मिल कर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। किसी और के पास ऐसा पैकेज नहीं है। यहां और दूसरे भी ईसाई समूह हैं जो भारत में काम कर रहे हैं और मैंने उनका साहित्य पढ़ा है। वे यह कहते हैं कि जब तुम पहली बार किसी गांव में जाओ तो अलग से चर्च भवन मत बनाओ। तुम एक घर से चर्च का काम शुरू करो और उसके नतीजे देखो। बिहार के एक गांव में लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने 20 लोगों का एक समागम तैयार कर लिया है। पर जब मरांथा ग्लोबल मिशन में जब यह पैकेज दिखाया तब से 300, 400, 500 और 1000 लोगों के समागम होने लगे हैं और इस तरह धर्म प्रचार के नए–नए तरीके इजाद कर ईसाई समाज ने भारत के कोने–कोने में अपनी पैठ जमा ली है। तरीका चाहे जो हो पर मकसद एक ही है और वह मकसद यही है कि धर्म, क्षेत्र, ऊँच–नीच जैसी तमाम सामाजिक विषमताएं, जो भारतीय समाज में फैली हैं उनका लाभ उठाते हुए जितनी बड़ी तादाद में हो सके गैर ईसाई लोगों को ईसाई धर्म का अनुयायी बनाना चाहिए।

संख्या में वृद्धि

12 महीने, 500 गांव, 1 लाख नए सदस्य

वर्तमान में भारत के आंध्रप्रदेश राज्य के 500 गांवों में जीसस के प्रति प्यार नाम से एक परियोजना 12 महीने से चल रही है जो ईसाई धर्म का आलिंगन करनेवालों में हो रही बेतहाशा वृद्धि की कहानी कहती है।

गॉस्पेल आउट रीच के उपाध्यक्ष वैलेस मेंडिंगो के अनुसार करीब 50 दल जिसमें 20 का नेतृत्व जाने–माने प्रचारक मार्क फिंडले करेंगे, आनेवाले समय में आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर ईसाईयत का प्रचार करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणामस्वरूप चर्च के एक लाख से अधिक

नए सदस्य बनेंगे। दक्षिण एशिया डिविजन के विशेष सहायक रॉन वाट्स का कहना है कि इतनी अधिक संख्या में एडवेंटिस्ट चर्च द्वारा इतने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ग्लोबल आउट रीच के साथ मिलकर एडवेंटिस्ट के संगठन और दक्षिण एशिया डिविजन इस योजना को यथार्थ में बदलना चाहते हैं। योजना के मुताबिक 500 गांवों में मरांथा एक दिनी चर्च का निर्माण और फंडिंग करेगी।

इसी बीच ग्लोबल आउट रीच 200 कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी ताकि बहुत जल्दी स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जा सके। एक छोटी सी टीम पांच पड़ोसी गांव में काम करेगी। इन कार्यकर्ताओं को ग्लोबल आउट रीच कम से कम तीन साल के लिए मदद करेगी और यह रकम 450 हजार डॉलर की होगी। ग्लोबल आउट रिच के अध्यक्ष का कहना है कि जीसस के नाम पर लाखों की तादाद में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश और दूसरी जगहों के लोग अच्छी खबर सुनने के लिए लालायित हैं। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह जानते हुए कि समय बहुत कम है।

2000 से लेकर 2012 तक सफलता के जिन विवरणों की चर्चा हम करते आए हैं उससे हम बदलाव की एक बयार आसानी से देख सकते हैं। पहला विवरण एक सावधानीपूर्वक लिया गया कदम लगता है। दूसरा विवरण 2004 का है जिसमें रॉन वाट्स को पूरा भरोसा है कि पहले कदम के रूप में चर्च का निर्माण कर वे अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे। वे यह भी कहते हैं कि वाईएसआर के मुख्यमंत्री बनने से उनके अभियान को फायदा पहुंचा। अंतिम अपील खुलेआम गॉस्पल आउट रीच की वेबसाइट में की गई है। जिसमें यह खुलासा किया गया है कि वह एक मिशनरी पर कम से कम एक लाख 12 हजार 500 रुपए पूरे तीन साल के लिए या 3125 रुपए प्रतिमाह खर्च करने जा रहे हैं ताकि योजना के अंत तक एक लाख नए सदस्य बनाने का मुकाम हासिल हो सके। इस संबंध में ताजा अपील 22 अप्रैल 2011 को एक वेबसाइट के जरिए की गई है जिसमें मिशनरियों की भावी योजनाओं का जिक्र है।

इंडिया प्रोजेक्टः ताजा हालात

दक्षिण–पूर्वी आंध्रप्रदेश के 50 गांवों से आनेवाली खबरें सुखद हैं। इनके मुताबिक अब तक चर्च के 10 हजार 400 नए सदस्य बन चुके हैं। लक्ष्य एक लाख नए सदस्य बनाने का है जो संभवतः साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के 10 गांव कार्यक्रम की योजना की सफलता को लेकर आ रही खबरों से आंध्र प्रदेश के सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में शुरू से ही धन और बल का खुलकर उपयोग हुआ है। 25 अगस्त 2002 को हिंदू में छपी एक रिपोर्ट इस तरह का खुलासा करती है। इसके मुताबिक जांच से यह पता चलता है कि गांवों के लोगों को जिनमें अधिकांश गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं, को

बपतिस्मे के लिए इस प्रलोभन के साथ बुलाया गया कि उन्हें भरपूर पैसा दिया जाएगा। हिंदू में '250 विलेजर्स कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी' शीर्षक से प्रकाशित और मदुरई डेटलाइन से छपी इस खबर के मुताबिक पेरिया सामी, विरेनन और हरि कृष्णन सभी 20 साल के युवा अब अपने ईसाई नामों से पुकारे जाएंगे। उन्हें सेंवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की पेस्टर्स की एक टीम ने बपतिस्मा कर ईसाई बना दिया। इस खबर में दक्षिणी जिलों के ऐसे कई इलाकों के उदाहरण देकर यह बताया गया है कि किस तरह ईसाई धर्म के प्रचारक 250 लोगों को ईसाई बना चुके हैं। इस खबर में यह भी कहा गया है कि 2001 में यहां 1500 हिंदुओं को ईसाई बनाया गया था और इसके लिए उन्हें कपड़ा और रुपए बांटे गए थे तथा रोजगार और बच्चों को मुफ्त शिक्षा का आश्वासन दिया गया था।

धर्मांतरण का संख्यत्मक लेखा जोखा

पूर्व के अध्ययन और हमारे निष्कर्ष

हम भारतीयों के लिए यह सोच पाना कल्पना से परे है कि कुछ धर्म, दूसरों को अपने धर्म में लाने के लिए, हजारों की तादाद में पूर्णकालिक या अंशकालिक वेतन भोगियों की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसी कोई बात सुनने पर उनको धक्का भी लग सकता है। पर इन्ही आशंकाओं के बीच कुछ लोगों ने इस बारे में गहरा अध्ययन कर इस वास्तविकता को सबके सामने रखा है। इस बारे में बी. श्रीप्रकाश का कहना है "दिसंबर 1998 की बात है। मैं अपने एक प्रसिद्ध डॉक्टर के यहां उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी नजर नेशनल मिशनरी इंटेलिजेंसर पत्रिका के एक अंक पर पड़ी जिसे देखकर मुझे कुछ और जानने की जिज्ञासा हुई। पत्रिका के कवर पर छपी जंगल के झरने की एक फोटो देखकर मेरा मन हुआ कि मैं पूरी किताब पढ़ जाऊँ। वह छोटी सी किताब मेरे जैसे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के लिए आंखे खोलने जैसी थी। मैं दुविधा में था। अगर मैं अपने धर्मनिरपेक्ष मीडिया पर भरोसा करता हूं तो मुझे यह किताब नहीं देखनी चाहिए और अगर मैं इस किताब पर भरोसा करूं तो मुझे अपने धर्मनिरपेक्ष मीडिया के दोहरेपन को स्वीकारना चाहिए। धर्मांतरण पर धर्मांतरण किताब के अंदर यही सब कुछ था, इसके बाद भी धर्म निरपेक्ष मीडिया चुप था और हिंदू कट्टरपंथ को कोस रहा था। ऐसा क्यों होता है? मुझे लगा, मेरे सवालों के जवाब मुझे ही ढूंढने होंगे। इस खोज के परिणामस्वरूप एक अच्छा रिपोर्ट निकला, जिसका शीर्षक था – 'कंवर्जन्स इन इंडिया, इलोक्वेन्ट एविडेंस' (मिशनरी रिपोर्ट पर आधारित एक अध्ययन)"

बंगलौर से वी.वी.एस. सरमा लिखते हैं "कुछ साल पहले मैंने वाईडबल्यूसीए दिल्ली में एक बैनर देखा था जिसका मतलब था चर्च गरीब से गरीब व्यक्ति को लेकर चिंतित। वहां मैंने देखा कई बिशप कांजीवरम की सिल्क साड़ियों में लिपटी अपनी महिला साथियों के साथ तेलुगु में बात

कर रहे थे। स्वागत कक्ष में पूछताछ करने पर पता चला कि ये सभी कोडप्पा, परोद्दुतुर, नडियाला के बिशप हैं और आंध्र प्रदेश के दूसरे शहरों से यहां आए हैं मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि वह खास चर्च कैसी होगी जो इतने बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग एजेंसियों के साथ मिलकर गरीब से लेकर गरीब लोगों की सेवा कर रही है। अगस्त 2003 में मैं विशाखापट्टनम गया और वहां एक महंगे होटल में ठहरा और वहां मैंने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च द्वारा उस होटल में एक हफ्ते तक चलनेवाले सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसका बजट 10 लाख से ऊपर था।"

वीवीएस सरमा का यह अध्ययन इंटरनेट में 'क्रिश्चियन इनवेजन इन आंध्रप्रदेश' शीर्षक से उपलब्ध है।

बी. श्रीप्रकाश ने पत्राचार के जरिए कई ईसाई संगठनों के साथ संपर्क किया, उनकी पत्रिकाओं को पढ़ा और मिशनरीज के साथ संवाद किया। लिहाजा उनके विश्लेषण से मिलनेवाली तमाम सूचना का स्रोत ईसाई संगठन ही रहे हैं। उन्होंने तीन संगठनों की पत्रिकाओं के माध्यम से धर्मांतरण के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। ये पत्रिकाएं हैं नेशनल मिशनरी सोसायटी ऑफ इंडिया की, नेशनल मिशनरी इंटेलिजेंसर, फ्रेंडस मिशनरी प्रेयर बैंड की पत्रिका फ्रेंड्स फोकस और विश्व वाणी की विश्व वाणी समर्पण। हमने इन तीनों पत्रिकाओं के संबंध में ताजा स्थिति जानने की कोशिश की। द कन्वर्जन्स इन इंडिया का अध्ययन बताता है कि फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड ने जनवरी 2000 से दिसंबर 2000 तक 18 हजार 433 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। इन धर्मांतरणों में ध्यान देने योग्य धर्मांतरण झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में कराया गया। 1822 मालतो लोगों का धर्मांतरण था। डीनो टोन थांग जो ईएफआईसीओआर नामक एक ईसाई संगठन के कार्यकारी निदेशक हैं, ने 2007 के बाद की अपनी किसी रिपोर्ट में कहा है–

"एफएमपीबी में मालतो समुदाय के बीच जो काम किया था वह गजब का था। आज वहां लगभग 49 हजार ईसाई हैं, 560 उपासना स्कूल हैं, 170 गिरजाघर हैं एक नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान है, एक बाइबिल स्कूल है, 7 बाल आवास हैं और मालतो क्षेत्र में 7 स्कूल हैं। एफएमपीबी ने टीम 2010 के नाम से एक दीर्घकालीन योजना विकसित की है।"

यह देखते हुए कि मालतो समुदाय के 75 हजार की कुल आबादी में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को धर्मांतरण के बाद ईसाई बना देना एक बहुत बड़ी और सफल घटना है। एफसीआरए के आंकड़े बताते हैं कि 2006 से 2011 के बीच एफएमपीबी ने 18 करोड़ 99 लाख की विदेशी सहायता हासिल की थी।

एक और पत्रिका नेशनल मिशनरी इंटेलिजेंसर ने बताया है कि 1999 जून से 2001 जून के बीच की 15 महीने की अवधि मे 2366 लोगों का धर्मांतरण किया गया इस लिहाज से हर महीने 157 लोगों का धर्मांतरण किया गया। हमारे अध्ययन से यह भी पता लगा कि नेशनल मिशनरी

इंटेलिजेंसर आज इंटरनेट पर उपलब्ध है और अभी भी धर्मांतरण के आंकड़े उपलब्ध कराती है। ताजा जानकारी के मुताबिक मई 2012 के अंक में दी गई जानकारी के अनुसार कुल 135 धर्मांतरण हुए इनमें 27 उड़ीसा मे, 3 उत्तराखंड में, 32 पंजाब में, 27 आंध्र में, 6 गुजरात में और 20 कर्नाटक में हुए। इस पत्रिका को प्रकाशन करनेवाली संस्था आईएमए की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मिशनरी सोसायटी की देश के 20 राज्यों में 739 मिशनरी थे। 54 धर्म प्रचारक और 3000 प्रार्थना समूह आईएमएस की 300 शाखाओं में तैनात थे। यह पूरा ढांचा देश के 138 जिलों में फैला था। उनका उद्देश्य 2026 से पहले देश के हर जिले में एक मिशनरी स्थापित करने का है। इनकी 120 महिला मिशनरियां हैं। 15 सीबीएसई स्कूल हैं, 28 छात्रावास हैं जहां 1750 से अधिक बच्चे रहते हैं।

बी श्रीप्रकाश ने जो तीसरा स्रोत उपयोग किया है। उसके मुताबिक विश्व वाणी में 2002 में 640 मिशनरी कार्यरत थे। विश्व वाणी की वेबसाइट के मुताबिक 2012 में इसके फील्ड वर्कर्स की संख्या 2537 हो गई जो भारत के सभी राज्यों में फैले हैं। तमिलनाडु और केरल में विश्व वाणी का अच्छा प्रभाव है। विश्व वाणी के तमिलनाडु के अनुयायी 47000 गांवों को गोद लेने की तैयारी कर रहे हैं और ये सभी गांव दूसरे राज्यों के हैं। इसी तरह केरल के अनुयायी दूसरे राज्यों के 31000 गांवों को गोद लेने की योजना बना रहे हैं।

पिछले एक दशक के दौरान किए गए इस तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है कि ईसाई धर्म के प्रचारक संगठनों का फैलाव दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनको मिलनेवाली सहायता राशि भी बढ़ रही है और धर्म परिवर्तन के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं।

आंध्र प्रदेश केस स्टडी

ईसाई धर्म से संबंध रखनेवाले सभी समुदायों के धर्मांतरण संबंधी दावों का अध्ययन करने के बाद यह समझ में आता है कि इस राज्य में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का दावा सबसे मजबूत है। हमने आंध्र प्रदेश में धर्मांतरण संबंधी दस्तावेज को दो अलग–अलग तरीकों से समझने की कोशिश की। एक तरीका यह कि विभिन्न संप्रदायों ने जो दावे किए हैं उनका अध्ययन किया जाए और दूसरा विशेष इंटरनेट खोज के द्वारा।

तमाम तरह के अध्ययन के बाद सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के दावे मजबूत साबित हुए। दशक की शुरुआत में प्रकाशम जिले के ओंगोल स्थान पर एक कार्यक्रम हुआ जिस पर बाद के वर्षों में गरमा–गरम बहस हुई। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट न्यूज नेटवर्क ने 23 जनवरी 2001 को रेव डॉब्रोस्की वेंडी रोजर्स की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है।

भारत में हजारों की तादाद में लोगों ने ईसाई संदेश पर अमल किया है

पूर्वी भारत में सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च का 50 गांवों तक पहुंचने वाला कार्यक्रम ओंगोल शहर और

आसपास के क्षेत्रों में प्रभावशाली तरीके से सफल रहा। मरांता वालेंटियर्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष डॉन नोबेल ने भारत से अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक सप्ताह के इस कार्यक्रम के अंतिम दिन 20 जनवरी को कुल 15 हजार 18 लोगों ने बपतिस्मा कराया। उनका यह भी कहना है "ओंगोल में हमने जो कुछ भी देखा वह हमारी उम्मीदों से कही अधिक था। जब हम इस प्रचार के अंतिम दौर में थे तब शनिवार की शाम जो लोग वहां मौजूद थे उनकी संख्या 40 हजार से अधिक थी।" सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के ग्लोबल मिशन कार्यक्रम के निदेशक पेस्टर माइकल रियान के मुताबिक सितंबर 2000 की शुरुआत में ओंगोल और आसपास के 50 गांव में 100 ग्लोबल मिशन कार्यकर्ताओं ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। ग्लोबल मिशन के स्थानीय लोगों के एक समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा "अपने जीवन में मैंने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया कि इतनी बड़े तादाद में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कोई अभियान चलाया गया हो।"

आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में एक और सनसनीखेज कहानी सुनने को मिली। यू ट्यूब के एक वीडियो में यह दिखाया गया है कि पेस्टर लोगों को झील की तरफ एक कतार में खड़ा कर गिनती कर रहे थे। उस वीडियो क्लिपिंग के नीचे यह लिखा था "11 अप्रैल 2010 को करीब 2000 आत्माओं का समीरपेठ झील में बपतिस्मा कराया गया। इन लोगों को पवित्र दीक्षा गॉड ब्रदर के श्याम किशोर ने दी। बपतिस्मा की रस्म के दौरान कई लोग भावुक हो गए।"

रोनाल्ड वाट्स की 2005 की एक रिपोर्ट पूरे भारत में हर जगह भारी वृद्धि का जिक्र करती है। रिपोर्ट के मुताबिक नए अनुयायियों के लिए लगभग 2500 साधारण गिरजाघरों का निर्माण कराया गया। इनमें से 1000 का निर्माण मरांथा इंटरनेशनल ने कराया। इस काम में लगे दानदाताओं ने 305 पूजा घर उपलब्ध कराए। इसके अलावा कई अन्य दानदाताओं ने जिनमें व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों तरह के दानदाता शामिल हैं। गिरजाघर उपलब्ध कराए। भारतीय मूल के विदेशों में रह रहे अनेक लोगों ने गिरिजाघरों के निर्माण में सहायता की। हालांकि इसके बाद भी हमारे पास 3000 समागम ऐसे भी हैं जिनमें एक भी पूजा घर नहीं है। यहां हर दानदाता की प्रशंसा की गई। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी जरूरत पूरा करने के लिए मदद करें।

हमारे अध्ययन से पता चला है कि www.adventiststatistics. org वेबसाइट में इस संबंध में विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराए हैं जो पूरी दुनिया के अनुयायियों से संबंधित हैं। उनके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट संप्रदाय के 108021 अनुयायी थे जो 2011 में बढ़कर 8,28,834 हो गए। इसका मतलब यह है कि कम से कम 7 लाख लोगों को इस कालावधि में धर्मांतरित करके ईसाई बनाया गया।

गॉस्पेल आउट रीच जैसे दूसरे संगठनों के समाचारों और आंकड़ों को देखें तो यह अभियान आज भी बड़े जोर–शोर से चल रहा है।

गुगल खोज

आंध्र प्रदेश में हुए धर्मांतरण का संख्यात्मक और सापेक्ष अनुमान लगाने के लिए हमने गुगल सर्च की विशेष तकनीकी का इस्तेमाल किया। इसे समझने के लिए तकनीकी सूचना की कुछ पंक्तियों की जानकारी यहां प्रासंगिक होगी। क्योंकि इंटरनेट गुगल या दूसरे सर्च इंजन बड़ी तादाद में ऐसे आंकड़े समेटे हुए हैं जो नए और पुराने कई पेजों में फैले हुए हैं। इस वजह से और दूसरे कई कारणों से यूजर अलग–अलग समय पर अलग–अलग तरह की जानकारियां हासिल करता है। हालांकि, अगर हम सर्च के लिए एक समय निश्चित करें और लगातार इसे अमल में लाएं, वह भी लम्बे समय तक के लिए, तो हमें वास्तविक परिणाम मिल सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि धर्मांतरण के जनसंख्या घनत्व को समझने के लिए इंटरनेट के कौन से पन्ने वास्तविक हैं?

इस अध्ययन को ध्यान में रखते हुए बैप्टिज्म टर्म को सर्च टर्म में फिक्स कर दिया, आंध्र प्रदेश के जिलों के नामों को बैप्टिज्म टर्म के साथ क्रमवार उपयोग किया। गुगल वेब सर्च के बजाय हमने सर्च को गुगल इमेजेज में रख दिया। इस प्रकार बैप्टिज्म गुंटुर सर्च टर्म के साथ जोड़ने से इससे संबंधित सारी इमेजेज वेबसाइट में दिखाई देने लगीं, जिनको क्रमवार स्कैन कर लिया गया। इसके बाद सर्च टर्म को बैप्टिज्म अनंतपुर में बदल दिया गया। हमने आंध्र प्रदेश को मिली विदेशी सहायता के साथ ही फंड के नक्शों को परिणाम के नक्शों के साथ मिला दिया। इस तरह नक्शों में दिखाई गई जानकारी और धर्मांतरण का घनत्व जो सामने आया वह इस राज्य को जिलेवार मिली विदेशी सहायता के आंकड़ों से मेल करती दिखाई दी। दूसरे राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश के जिलों के पन्ने बड़ी तादाद में पाए गए। इससे यह पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में पिछले एक दशक के दौरान धर्मांतरण की गतिविधियां बड़ी तेजी से हुई।

धर्मांतरण का अखिल भारतीय एजेंडा

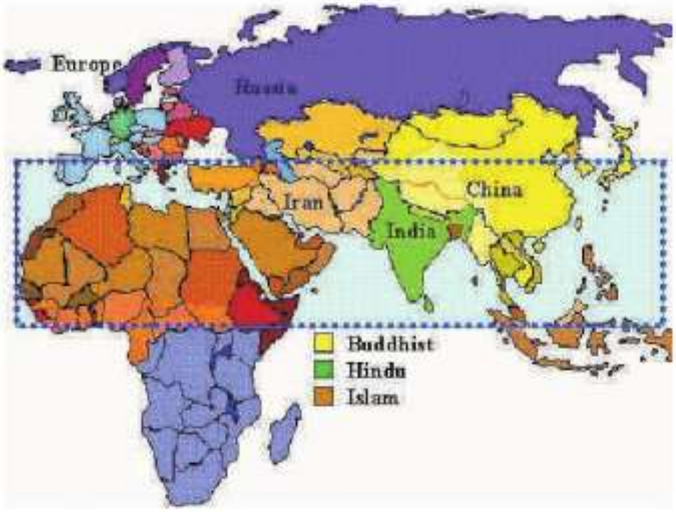

ईसाईयत के प्रचार के संदर्भ में भारत 10–40 विंडोज में दिखाई देता है। 10/40 विंडोज उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया और एशिया की ईसाईयत की गतिविधियों का नजारा देते हैं। अंदाजन 10 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यह सब मिल जाता है। फिर वह 10/40 विंडो को आमतौर पर द रेसिसटेंस बेल्ट कहा जाता है और इसमें दुनिया के मुस्लिम, हिंदू और बौद्धों का बहुमत है।

भारत को मिशनरियों के संदर्भ में देखने पर यह पता चलता है कि 953 जाति समूहों के लोग यहां रहते हैं और वह भी 10 हजार की आबादी के ऊपर गॉस्पेल की पहुंच ऐसे 750 समूहों तक है जबकि 50 हजार की आबादी से ऊपर वाले 250 समूह अभी भी अध्ययन से बाहर हैं। आमतौर पर ईसाई धर्म के प्रचारक जल समूह के आधार पर अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं लेकिन भारत के बहुस्तरीय समाज की स्थितियों को देखते हुए लोगों तक पहुंचने का तरीका क्षेत्रीय पिन कोड से तय किया जाता है। इसमें अनेक समूहों को शामिल किया जाता है। इससे दूसरे लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम आसान हो जाता है। भाषाई या भौगोलिक समूहों की भी पहचान हो जाती है। पिन कोड से मिशन को चर्च की स्थिति का आसानी से पता चल जाता है और इस तरह लोगों तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। 1995 से लेकर 1998 के बीच आईएमए ने एक सर्वे कराया था जिसका आईएमए के सदस्य उपयोग करते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 27,000 पिन कोड क्षेत्रों में से लगभग 9,000 पिन कोड क्षेत्रों में कम से कम एक पेस्टर या एक ईसाई कार्यकर्ता उस इलाके में रहता है।

ईसाई धर्म के प्रचारक हों या मिशनरियों के लोगों तक पहुंच का एक पैमाना बाइबिल की स्थानीय भाषा में उपलब्धता भी है। बाइबिल सोसायटी ऑफ इंडिया बंगलौर ने इस आधार पर ईसाईयों की संख्या को मापने के तरीके का नेतृत्व किया। आज की तारीख में बाइबिल अंशों में 204 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। संपूर्ण बाइबिल इनमें से 65 भाषाओं में उपलब्ध है।

सेंवेंथ डे एडवेंटिस्ट हर साल बड़े व्यवस्थित तरीके से एक वार्षिकी का प्रकाशन करता है। इसमें ईसाई धर्म के अनुयायियों का आंकड़ा दिया जाता है। 2000 और 2011 की वार्षिकी में उपलब्ध आंकड़े इसके तुलनात्मक अंतर को स्पष्ट करते हैं। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के 2000 और 2011 में उपलब्ध कराए गए आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

राज्य	2000	-2011
गुजरात	3,650	33,140
महाराष्ट्र	20,261	92,915
अरूणाचल	24	405
असम	3,250	4,796
मेघालय	9,400	16,505
मिजोरम और त्रिपुरा	9,582	14,747
मणिपुर और नागालैंड	6,383	9,372
बिहार और झारखंड	8,072	24,525
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़	3,490	22,447
पश्चिम बंगाल	4,787	53,921
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर	12,297	33,278
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली	5,683	72,598
कर्नाटक और गोवा	32,473	73,230
केरल	29,133	34,855
तमिलनाडू	42,645	1,21,489
उड़ीसा	10,397	48,868
कुल	3,10,475	1,49,7189

दूसरे संप्रदायों ने भी अपने–अपने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं पर सभी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को याद रखना संभव नहीं है। हम ऐसे कम से कम 100 मिशनरी संगठनों के बारे में बात कर सकते हैं जो धर्म परिवर्तन के व्यवसाय में सक्रिय हैं। तमाम तरह की जानकारियों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि धर्मांतरण की वृद्धि दर दक्षिण भारत में अधिक सघन है। उत्तर भारत से भी कमोबेश सभी संगठन धर्मांतरण संबंधी अपनी रिपोर्ट भेजा करते हैं। आंकड़े चाहे कम दर्शाएं पर धर्मांतरण की वृद्धि दर महत्वपूर्ण है। यह वृद्धि दर भी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट से कुछ कम नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जितनी बड़ी तादाद में संगठन धर्मांतरण में लगे हुए हैं उस हिसाब से सन 2000 से अब तक कम से कम 20 लाख लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं।

District wise distribution of money with reference to map 2 Amount in Cr. Rs.

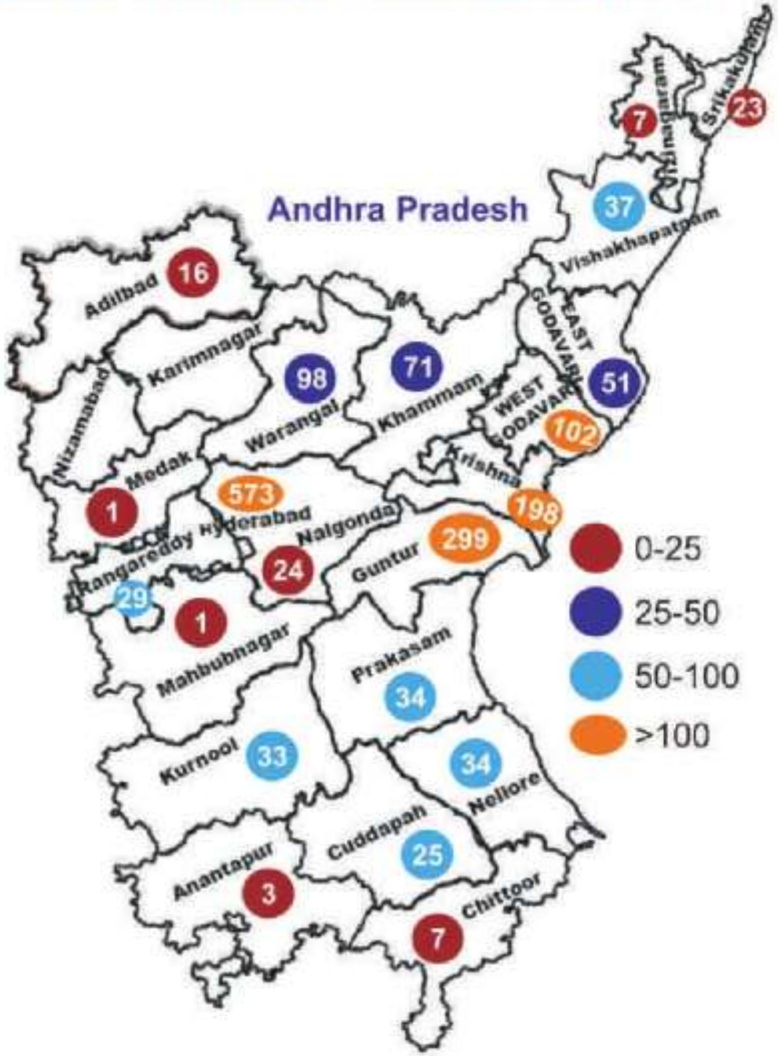

District wise conversions found by the search term baptism in image search of google

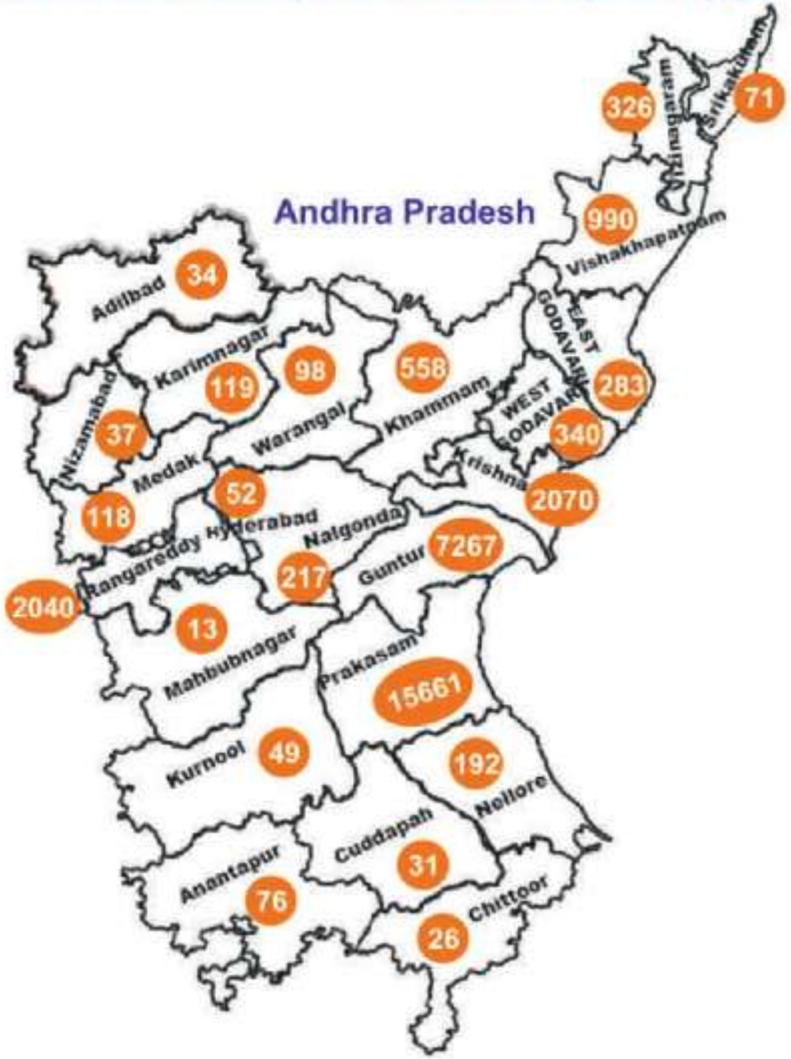

अजीबोगरीब और परेशानी का मामला

अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी (यूएसएड) एक ऐसी संस्था है जो दुनिया की अनेक देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का काम देखती है। लाइबेरिया के 14 साल तक चलने वाले गृह युद्ध के बाद इस संस्था ने 2005 में कैथोलिक मिशन के राहत कार्यों के तहत वर्ल्ड विजन को 1.9 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया था। दो साल के लिए दिया जाने वाला यह अनुदान लाइबेरिया में मानवीय परियोजनाओं के लिए दिया गया था। पर किसी कारणवश यह धनराशि लाइबेरिया के गरीबों तक नहीं पहुंच सकी जो इस परियोजना का उद्देश्य था। 16 नवंबर 2010 को लाइबेरिया निवासी वर्ल्ड विजन के दो कर्मचारी मौरिस बी फेन्ह बुल्लेह और जॉय ओ. बोन्दो जिनकी उम्र क्रमशः 40 और 39 साल थी। गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ही आरोपियों को जो लाइबेरिया के मोनरोविया के निवासी थे, अमेरिका के कोलंबिया जिले की जिला अदालत ने अमेरिका को बदनाम करने की साजिश रचने और बड़ा घपला करने का दोषी साबित कर दिया। दोनों ही अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था। इनमें फेन्हबुल्लेह पर तो साजिश रचने का भी आरोप था जबकि बोन्दो पर गवाहों को धमकाने का अतिरिक्त आरोप था। 2009 को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ये दोनों अभियुक्त हिरासत में थे।

मुकदमें के गवाहों का कहना है कि अभियुक्तों ने लाइबेरिया के गरीबों को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की रकम अपनी जेब के हवाले कर दी। इसके बाद वर्ल्ड विजन के कर्मचारियों को धमका कर नकली खाते तैयार करवा लिए। ताकि कागजों में यह दर्ज हो जाए कि इस मद में भेजी गई रकम का वास्तव में उपयोग हो चुका है। यही नहीं, फेन्हबुल्लेह और बोन्दो ने यूएसएड के वेतनभोगी कर्मचारियों को धमकाकर उस सहायता राशि से अपने निजी परिसरों में निर्माण कार्य करवा लिए, जबकि इस राशि से लाइबेरिया के गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण होने के साथ ही कई दूसरे जरूरी काम होने थे। यह सब काम उन्होंने वर्ल्ड विजन मुख्यालय को अंधेरे में रख कर किए थे। यही नहीं इसकी जानकारी कैथोलिक मिशन और यूएसएड को भी नहीं थी। क्योंकि, इन्होंने वर्ल्ड विजन लाइब्रेरिया के कर्मचारियों को यह धमकी दी थी कि यदि किसी ने यह बात ऊपर पहुंचाई तो नौकरी के साथ ही जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लिहाजा जो हम कहें वैसा ही करो।

इन लोगों के ऐसा करने से लाइबेरिया के गरीबों तक न तो खाने–पीने का सामान पहुंच पाया न ही निर्माण सहायता ही उन्हें मिल सकी जो केवल उन्हीं के लिए भेजी गई थी। लाईबेरिया के 250 से अधिक शहरों से इस घोटाले के बावत अदालत में बयान दर्ज कराए गए

घोटाले की विस्तार में जानकारी दी गई थी। कैथोलिक राहत सेवाओं के माध्यम से वर्ल्ड विजन को 1.9 मिलियन डॉलर की यह सहायता राशि यूएसएड को वापस करनी पड़ी।

हैरत की बात यह है कि इस घोटाले के लिए वर्ल्ड विजन अमेरिका के किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। पूरे प्रकरण को इस तरह से लिया गया मानो इस घोटाले के लिए बस केवल यही दो व्यक्ति जिम्मेदार हों। मजेदार बात यह है कि वर्ल्ड विजन की इसलिए पीठ भी थपथपाई गई कि उसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है।

इस मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की वेबसाइट में प्रकाशित खबर यह कहती है, "मानवता की सहायता के लिए कार्यरत संस्था के दो पूर्व कर्मचारी आज यूएसएड की 1.9 मिलियन डॉलर की सहायता राशि के घोटाले में नामजद किए गए।" इस खबर से यह आभास कराया गया है कि यह वर्ल्ड विजन ही था जिसने इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। 2008 में वर्ल्ड विजन द्वारा कराए गए एक ऑडिट में यह खुलासा किया गया था कि 91 फीसदी जरूरत मंदो तक वांछित खाद्य पदार्थ कभी नहीं पहुंचा। इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएड ने मानवता की सहायता के लिए इतना महत्वपूर्ण काम वर्ल्ड विजन को सौंपा था लेकिन दुर्भाग्य से इसके कुछ कर्मचारियों ने ही भरोसा तोड़ दिया।

1.9 मिलियन डॉलर के घोटाले को लेकर एफबीआई से भाग्यहीन वर्ल्ड विजन के खिलाफ केस दायर करने की उम्मीद करना तो बहुत बड़ी बेवकूफी ही होगी। वर्ल्ड विजन के अधिकारी जिन्होंने नियुक्ति से पहले लाइबेरिया निवासी दोनों अभियुक्तों की जांच करना और दो साल तक इस घपले से निगाहें फेर कर रखना, यह सब केवल वर्ल्ड विजन का दुर्भाग्य ही तो है।

समझ में नहीं आता कि वर्ल्ड विजन ने अमेरिकी प्रशासन पर क्या जादू चलाया कि वह साफ बच निकला। इस सवाल का जवाब शायद इसी वास्तविकता में छिपा है कि तमाम तरह के विश्लेषणों से यह जाहिर होता है कि अमेरिका की राजनीति में बड़े पैमाने पर ईसाईयत के नव प्रचारकों का दखल कुछ ज्यादा होने लगा है। इस संबंध में अमेरिका के ही कुछ विद्वानों ने बेहतरीन अध्ययन किए हैं।

राइस युनिवर्सिटी के डी. माइकल लिंडसे का एक अध्ययन 'इवैनगैलिक्स इन पावर इलीट' (Evangelics in Power Elite) शीर्षक से है। यह अध्ययन कई साक्षात्कारों पर आधारित है। अपने इस अध्ययन के बारे में खुद लिंडसे ने कहा, "मैने प्रभाव के 6 क्षेत्रों में कार्यरत 350 व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने और उनका विश्लेषण करने के बाद अपना यह अध्ययन पूरा किया है। प्रभाव के ये क्षेत्र हैं सरकार/राजनीति, कला/मनोरंजन/मीडिया, धर्म, गैरलाभकारी/सामाजिक क्षेत्र, उच्च शिक्षा और व्यापार/कॉरपोरेट जगत। क्योंकि मेरी रुचि व्यावहारिक तोर पर विशेष रूप से अमेरिकी नेतृत्व में इसाईयत के प्रचारकों के प्रभाव को लेकर थी, मैने उन धार्मिक नेताओं के साक्षात्कारों पर विशेष रुचि ली जो धर्म प्रचार में लगे हुए थे।"

लिंडसे ने जिन लोगों से साक्षात्कार के माध्यम से सूचना एकत्र की उनमें दो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, 48 कैबिनेट सचिव और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी और निजी घरानों के 101 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 3 दर्जन हॉलीवुड की हस्तियां, खेल और दूसरे व्यावसायिक क्षेत्रों के 10 शीर्ष नेता तथा कला, गैरलाभकारी संस्थाओं, शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े 200 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ ही कई वरिष्ठ लोग शामिल हैं।

लिंडसे की शोध के नतीजे इस प्रकार हैं–

इस अध्ययन से इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है कि पिछले 30 वर्ष के दौरान धर्म प्रचारकों का अमेरिकी राजनीति और समाज में खासा प्रभाव पड़ा है। यहां तक कि 1970 के बाद से स्वयंभू धर्म प्रचारकों की भूमिका भी वहां कम नहीं हुई है। यही नहीं, धर्म प्रचारकों का एक तबका पहले से कही अधिक संपन्न हुआ है, राजनीति में उसका दखल बढ़ा है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक ढंग से इस तबके की पैठ बढ़ी है। इस अध्ययन में ऐसे अनेक धर्म प्रचारकों को शामिल किया गया जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से संपन्न वर्ग की श्रेणी में आते हैं।

8 बिलियन डॉलर से अधिक संपदा वाला फिलिप अंसचुट्स (Anschuts) विश्व के सर्वाधिक संपन्न धर्म प्रचारकों में शामिल है। लिंडसे ने कहा कि इसी संदर्भ में एक सूचना प्रदाता ने उन्हें बताया कि एक साल के दौरान उसने धर्म प्रचारकों के 20 परिवारों से संपर्क साधा था इन सभी की आय एक बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा है। पैसे के अलावा धर्म प्रचारक शिक्षा के क्षेत्र में भी शीर्ष पर हैं। इस अध्ययन में शामिल कुल धर्म प्रचारकों में से एक तिहाई अमेरिका की बेहतरीन युनिवर्सिटियों में पढ़ चुके हैं।

लिंडसे ने एक उदाहरण देकर बताया कि ब्राड एंडरसन ने जो कभी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सहयोगी रह चुके हैं जो आराकांस के एटार्नी जनरल भी थे पर, उन्होंने तंजानिया में एक मिशनरी संस्था 'वाइक्लिफ बाइबिल ट्रांसलेटर्स' के लिए काम करने की खातिर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। 1992 में क्लिंटन के राष्ट्रपति पद का चुनाव होने के बाद एंडरसन तथा तत्कालिन नियुक्त राष्ट्रपति एक भोज समारोह में एक बार फिर संपर्क में आए। यह जानते हुए कि एंडरसन के पास तंजानिया में काम करने का अच्छा तजुर्बा है और वे वहां की स्थानीय भाषा स्वाली भी बोल सकते हैं, क्लिंटन ने उनसे राजदूत के रूप में तंजानिया जाकर काम करने का आग्रह किया। तीन साल तक एंडरसन ने यह काम किया भी। अफ्रीका में उनके सफल प्रयोगों का उनको यह लाभ मिला कि बाद में वे अमेरिका सरकार की विदेशों को विकास के लिए मदद करनेवाली एजेंसी यूएसएड के प्रशासक बना दिए गए। लिंडसे ने कहा कि एंडरसन ने उनको बताया कि उनको जो काम दिया गया था वह उन्होंने किया जरूर पर उनकी वरिष्ठ सरकारी नियुक्तियों से अधिक आस्था धर्म के लिए काम करने की है। लिंडसे ने महसूस किया कि

अमेरिकी प्रशासन में शीर्ष पदों पर कार्यरत धर्म प्रचारकों की तैनाती का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है?

ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली वैश्विक संस्थाएं धर्म प्रचारकों को लोगों से मिलने, उनसे संवाद करने, मित्रता गांठने और परियोजनाओं का संचालन करने का अवसर प्रदान करती है। कई साल से वर्ल्ड विजन धर्म प्रचारक समुदायों और स्टेट विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने के काम में लगा है। स्टेट विभाग के प्रथम राजदूत जिन्हें इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नामक शीर्ष संस्था के संचालन का जिम्मा दिया गया था, वो 1998 में वर्ल्ड विजन के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) का पद छोड़कर यहां आए थे। उनका नाम था रॉबर्ट सैपल। उनके उत्तराधिकरी रिचर्ड स्टर्न्स चीन की एक बड़ी फर्म पार्कर ब्रदर्स ग्रेम्स एंड लेनोक्स, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़कर वर्ल्ड विजन गए थे। ब्राडी एंडरसन जो क्लिंटन के राष्ट्रपति काल में यूएसएड के प्रशासक थे आजकल वर्ल्ड विजन के बोर्ड में हैं। इसी प्रकार जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति काल में यूएसएड के प्रशासक रह चुके एंड्रयू नात्सीओस भी एक बार वर्ल्ड विजन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

हमने पाया कि वर्ल्ड विजन ने यह पद्धति भारत में भी लागू कर दी है। पूर्व में उल्लेखित 'अक्षय इंडिया' जो क्षय रोग (टीबी) निवारण योजना के मुख्य अधिकारी सुबोध ने 1996 में वर्ल्ड विजन में काम करना शुरू किया था और उत्तरी उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ जिले बलिया में यूएसएस द्वारा वित्त पोषित संरक्षण परियोजना को नेतृत्व दिया था। बाद में उन्होंने 2002 में कोर समूह की नौकरी कर ली थी और वहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों के साथ काम करने के साथ ही भारत के केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ काम करने का अनुभव भी हासिल किया। जबकि, इसी दौरान वे यूएसएड द्वारा वित्त पोषित पोलियो उन्मूलन परियोजना का भी काम संभाल रहे थे। 2004 में वे दोबारा वर्ल्ड विजन इंडिया की सेवा में आ गए।"

अमेरिका में धर्म प्रचारक नेता कितने प्रभावशाली हैं इसका अंदाजा राष्ट्रपति ओबामा के साथ उनकी मुलाकात से संबंधित एक समाचार में देखा जा सकता है।

रिलीजन न्यूज सर्विस द्वारा जारी की गई इस खबर का शीर्षक है (ए) रिवीलिंग रिपोर्ट। संवाददाता साराह पोलियम बेली ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति ओबामा 2012 के चुनाव से पहले धर्मप्रचारकों की बात को सुनना चाहते थे। इसी संदर्भ में नेशनल एसोसिएशन ऑफ इवेंगेलिकल्स के नेताओं के साथ 12 अक्टूबर 2011 को व्हाइट हाउस में करीब आधे घंटे तक एक बैठक का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक समूह के लिए यह मुलाकात इसलिए प्राथमिकता में थी क्योंकि वे राष्ट्रपति ओबामा को धन्यवाद देना चाहते थे कि ओबामा ने एक ईरानी पेस्टर को फांसी के तख्ते से बचा लिया था। उस पर ईसाई धर्म के लिए धर्मांतरण का आरोप था।

एसेंबलीज ऑफ गॉड के महाअधीक्षक जॉर्ज वुड ने दुनिया भर में सजायाफ्ता लोगों के उदाहरण का एक दूसरा ही नमूना पेश किया। किसी ने टिप्पणी की कि ये सभी मुद्दे धार्मिक आजादी के हैं। इस चर्चा में बजट में कटौती जैसे कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई और ओबामा ने इच्छा व्यक्त की कि वे रोजगार के दूसरे अवसर तलाश करेंगे।

अमेरिकी स्टाइल में धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने वाले धर्म प्रचारकों को संरक्षण दिया जा रहा हो। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम द्वारा हर साल छापी जानेवाली रिपोर्ट में भी ऐसे तथाकथित अपराधों की सजा दिलवाए जाने से अधिक और कोई कहानी प्रकाशित नहीं होती। एमि सुलीवेन ने अपनी पुस्तक 'द पार्टी फेथफुलः हाउ एंड व्हाय डेमोक्रेट्स आर क्लोजिंग द गॉड गैप' में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर बड़ी सटीक टिप्पणी की है।

टाइम्स पत्रिका की समन्वय संपादक सुलीवेन धार्मिक और राजनीतिक मामलों की रिपोर्टिंग करती हैं और दूसरी पत्रिकाओं के लिए राजनीतिक ब्लॉग भी लिखती हैं। उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यू रिपब्लिक, द वाशिंगटन मंथली और द लॉस एंजलिस टाइम्स के लिए भी राजनीतिक विश्लेषण लिखे हैं। रेडियो और टेलीविजन की चर्चाओं में भी वे निरंतर भाग लेती हैं। सुलीवेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हॉवर्ड डिवाइनिटी स्कूल और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया है।

अपनी पुस्तक के पहले अध्याय की शुरुआत वो कुछ इस तरह करती हैं:

........."और तब जैसे ही मैंने पेस्टर माइक के सरमन को यह कहते हुए सुना कि आपको एक साथ अच्छे ईसाई और डेमोक्रेट होना बिल्कुल संभव नहीं है, तो मैं चौकन्नी हो गई। जिस लहजे में और जिस अंदाज में यह बात कही गई थी उसे सुनकर मैं अवाक रह गई।"

एक भारतीय दिमाग के लिए यह देख पाना आश्चर्यचकित करने वाला होगा कि एक पेस्टर इस तरह कोई राजनीतिक टिप्पणी कर सकता है लेकिन अमेरिका की राजनीति में यह एक सच्चाई है।

"एमि सुलीवेन का कहना है कि अमेरिकी राजनीति में धर्म को अलग से देखना कुछ वैसा ही है जैसा मध्य एशिया की राजनीति में तेल पर ध्यान दिए बगैर कोई बात की जाए। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर एमि यह कहती हैं–

"अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आजादी एक दूसरा ऐसा पहलू है जिस पर धर्म प्रचारक नेताओं ने क्लिंटन के व्हाइट हाउस से समर्थन हासिल किया था। कई वर्षों के अलग–थलग पड़े धर्म प्रचारक गिरजाघरों को यह समझ में आने लगा था कि अमेरिकी सरकार विदेशों में धार्मिक अपराधों के मामले में बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकती है। यह एक ऐसा मुद्दा था जो सीधे तौर

पर मिशनरीज को प्रभावित करता था। लिहाजा उन्होंने इसका समर्थन किया। अमेरिका में रिपब्लिकन की राजनीति ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी का विधान लिखकर एक नए इतिहास की रचना की।"

कई लेखकों ने यह सुझाव भी दिया कि धर्म प्रचारकों की गतिविधियों को शामिल करने के साथ ही वर्ल्ड विजन जैसे स्वैच्छिक संगठनों का भी अमेरिकी सरकार, व्यापक रणनीतिक संदर्भ में इस्तेमाल कर सकती है।

वर्तमान में ब्रिटेन में रहनेवाले एक स्वतंत्र शोधकर्ता माइकल बार्कर ने भी कई पुस्तकों के अध्ययन के बाद धर्म प्रचारकों के धार्मिक अधिकार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा है "इनमें एक टेड एंगस्टॉर्म हैं जो कि वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। इस संबंध में बार्कर ने अपने 'द रिलीजियस राइट एंड वर्ल्ड विजन्स चैरिटेबल इंवेंगेलिज्म' शीर्षक अपने शोध में कहा है।

"हम उस परियोजना का विश्लेषण करते हैं जिसे हम संचालित करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो। धर्म प्रचार इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हम लोगों को खाना खिला कर यह नहीं कह सकते कि तुम नर्क में जाओ।" इसी क्रम में ऐसे कई उदाहरण बार्कर ने अपने अध्ययन में दिए हैं। बार्कर के पूरे अध्ययन का इस रूप में निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

"अगर आप ईसाई धर्म प्रचार के उद्देश्यों पर भरोसा करते हैं, या आप वैकल्पिक रूप में अमेरिकी सरकार की क्रूर नीति के समर्थक हैं, तब वर्ल्ड विजन की चैरिटी आपके लिए हैं। अगर आप इसके अलावा इनमें से किसी के साथ भी अपनी पहचान नहीं बना पाते तब अपनी मेहनत की कमाई को ईसाई सामंतवाद पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड विजन के बारे में आमतौर पर यही धारणा बनी है कि वह दुनिया को बेहतर कराने में मदद कर रहा है तो यह धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है।"

अमेरिकी प्रशासन का 16 मार्च 1995 को जारी किया गया एक वर्गीकृत पत्र जो 2008 में गैरवर्गीकृत हुआ, वर्ल्ड विजन के पदाधिकारियों को लिखा गया था, इस पर प्रकाश डालता है कि वर्ल्ड विजन अमेरिकी सरकार का कितना वफादार और बेशकीमती साथी है। रवांडा के हालत पर चर्चा करते हुए इस पत्र में कहा गया था "बर्गेस कार ने रवांडा की बिगड़ती हालत से संबंधित एक समाचार को अपने सहयोगियों के साथ साझा किया। यह समाचार उन्हें कल डीएचए–यूएनएचसीआर की संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा मिशन की ब्रीफिंग के दौरान सुनने को मिला था, जो मैं आपके लिए आगे बढ़ा रहा हूं। आप चाहें तो इस पर यथासंभव कार्रवाई कर सकते हैं। बुनियादी रूप से डीएचए और यूएनएचसीआर ने रवांडा की स्थितियों पर कई बार इस तरह की रिपोर्टिंग में इसके संकेत दिए थे कि रवांडा में युद्ध को रोका नहीं जा सकता।" इस पत्र

के मजमून का निष्कर्ष कुछ इस तरह निकाला जा सकता है। "सवाल यह है कि अब कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने का समय आ गया है पर कैसे, क्योंकि कोई भी पक्ष यह मानने को तैयार नहीं होगा कि वह गलत है और अगर युद्ध हुआ तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाने लगेंगे। क्या वर्ल्ड विजन इस बारे में सरकारों पर कुछ दबाव बना सकता है? खासतौर पर सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर, ताकि कोई कार्रवाई की जा सके।

इस संबंध में एक तर्कसंगत बात यही कही जा सकती है कि यह सब मानवतावादी कारणों से किया जा रहा है। पर जब एक गैरवर्गीकृत पत्र, वर्ल्ड विजन से सुरक्षा परिषद के सदस्य राष्ट्रों पर दबाव बनाने के लिए कह सकता है तो एक वर्गीकृत दस्तावेज तो निश्चित ही दूसरे किसी कारणों के लिए राष्ट्रों पर दबाव बनाने के लिए कह सकता है।

10 जून 2009 को ब्रिटिश सरकार की रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट के अनुलग्नक में कहा था कि एक्शन एड के प्रतिनिधियों के साथ 10 जून 2009 को हुई एनएओ की बैठक का सार यहां दिया जा रहा है जिसमें काबुल में तैनात, पॉलिसी एडवोकेसी एंड रिसर्च के प्रबंधक मुदसर हुसैन सिद्दीकी भी मौजदू थे। इस बैठक में एक्शन एड के प्रतिनिधि ने कहा था–

"ब्रिटिश सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों को बराबर का भागीदार नहीं बनाया था। स्वैच्छिक संगठनों को योजना में शामिल नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप, ब्रिटेन सरकार स्वैच्छिक संगठनों के अफगानी लोगों के बारे में ज्ञान और समझ से लाभान्वित नहीं हो सकी।"

किसी एक देश की सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ धर्म प्रचारक संगठनों का ऐसा लगावपूर्ण संवाद चौंकानेवाला है अगर भारत के लोगों में, भारत में सक्रिय ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।

हाल ही में भारत सरकार ने एफसीआरए के अंतर्गत चार संगठनों को धनराशि के दुरुपयोग के मामले में अयोग्य घोषित किया है। इसका कारण यह है कि ऐसे स्वैच्छिक संगठनों ने उनको विदेशों से मिलने वाली सहायता राशि का इस्तेमाल तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु परियोजना के विरोध में आयोजित धरने और प्रदर्शनों के लिए इस्तेमाल किया था। सरकार ने हालांकि किसी स्वैच्छिक संगठन के नाम की घोषणा नहीं की है, पर पता चला है कि तूतीकोरिन का बड़ा गिरजाघर इनमें से एक है। इस संस्था ने 2006 से 11 के बीच 22.71 करोड़ रुपए का विदेशी अनुदान प्राप्त किया। तूतीकोरिन चर्च ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के सामने खुलेआम इसके खिलाफ हुए प्रदर्शन को समर्थन दिया था। क्या ऐसे उदाहरणों के बाद अब एफसीआरए कानून की नए सिरे से समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम इस दिशा में गंभीर फैसले लें।

उपसंहार

यह अध्ययन पूरी तरह से जमीनी धरातल पर होने वाली वास्तविक गतिविधियों पर केंद्रित है। जहां तक हो सका हमने यह कोशिश की है कि इंटरनेट से जो दस्तावेज उपलब्ध हुए उनको परोक्ष दस्तावेजीकरण की शैली में प्रस्तुत किया जाए। यह अध्ययन अलग–अलग किस्म के लोगों में अलग–अलग तरह के सवाल खड़ा करेगा। उदाहरण के लिए जिसने ईसाईयों के संबंध में उपलब्ध पत्रों का सैद्धांतिक धरातल पर अध्ययन किया है वह एक्शन एड सीएएसए (कासा) और CARITAS जैसे संगठनों की गतिविधियों को उनके लिब्रेशन थियोलॉजी की उपमा देगा। हम अपनी तरफ से गतिविधियों को सैद्धांतिकरण से दूर रखने की कोशिश ही करते हैं। फिर भी इस बावत कुछ सवाल खड़े करना दायरे से बाहर नहीं होगा।

इस सम्मेलन में सबसे पहला और बड़ा सवाल यही होगा–क्या ईसाई समुदाय संस्थानों के प्रबंधन से खुश है? क्या उनको ऐसा लगता है कि उन्हें उन संस्थाओं के प्रबंधन के बारे में कुछ कहना है जो उनके संप्रदाय के नाम पर वित्त पोषित किए जाते हैं और संचालित किए जाते हैं? क्या उनको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में पैसे और अचल संपत्ति के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

दूसरा और इससे गंभीर सवाल होगाः जब एक धार्मिक समुदाय, अपने प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन से बड़े पैमाने पर लोगों को अंशकालिक या पूर्णकालिक रोजगार इन संस्थानों में देगा। वह भी तब जब ऐसे संस्थान लोगों को अपनी धार्मिक आस्था तोड़ने के लिए विवश करते हैं और देश विदेश से इस काम के लिए पैसा लेते हैं, क्या यह कहा जा सकता है कि ऐसा समुदाय वास्तव में अन्य धार्मिक आस्थाओं के साथ शांति और सह अस्तित्व की कामना कर रहा है।

भारत के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में तमिलनाडु में बनने वाली कुंडकुलम परमाणु परियोजना के संदर्भ में कुछ स्वैच्छिक संगठनों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टिप्पणी की थी। क्या भारत सरकार को कभी–कभार ऐसी टिप्पणी करके संतोष कर लेना चाहिए, या उसे यह जानकारी है कि अमेरिका और यूरोपीय सरकारों की ईसाई धर्म प्रचारक स्वैच्छिक संगठनों के साथ इस मामले में कोई सांठ–गांठ है? अगर ऐसा है तब अमेरिका में वर्ल्ड विजन एक धार्मिक स्वैच्छिक संगठन होने का लाभ कैसे ले सकता है, यह वही संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत में ईसाईयत के प्रचार की रणनीतिक योजना में भागीदारी करता है और उसके बाद भारत सरकार की कई योजनाओं में एक सामाजिक स्वैच्छिक संगठन के रूप में भागीदार भी बनता है, यह सब एक साथ कैसे संभव है?

यह भी कैसे संभव है कि केपी योहानन जैसा व्यक्ति और उसका परिवार अमेरिका से पैसा एकत्र

करता है और उसे भारत भेज देता है? क्या एफसीआरए इसकी इजाजत देता है? अगर नहीं, तो क्या एफसीआरए के प्रावधान उचित हैं?

कैथोलिक चर्च का बिशप वेटिकन सिटी के पोप नियुक्त करते हैं। जबकि आलोचकों का कहना है कि भारत में व्यक्तियों की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति गैर भारतीय हो जो उचित नहीं है। इस पर कैथोलिक चर्च ने हमेशा यही कहा है कि ये सभी नियुक्तियां केवल ईसाई धर्म प्रचारकों के संबध में हैं। और इनका संबंध केवल आध्यात्मिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए होता है फिर भी प्राप्त सूचनाओं से यह पता चलता है कि यहां नियमित रूप से पैसा इक्ट्ठा करके रोम भेजा जाता है। ईसाई मिशनों और संगठनों द्वारा संचालित स्वैच्छिक संस्थान भी यही करते हैं, बिशप एक प्राधिकरण के रूप में काम करता है। क्या यह सब ईसाई धर्म प्रचार के लिए की जानेवाली गतिविधियों की श्रेणी में आता है? और क्या वास्तव में एक बाहरी राज्य चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा क्यों न हो क्या धर्मनिरपेक्ष भारत के संस्थानों को नियंत्रित कर सकता है?

संदर्भ

इस अध्ययन के लिए वेब स्रोतों का ही उपयोग किया गया था। इसलिए संदर्भ अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं। सभी संदर्भों को 5 जूलाई 2012 को फिर से देखा गया था। अध्याय के अनुसार संदर्भ दिए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार उनके विषयों का भी उल्लेख किया है।

भूमिका

Pope statement

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp- ii_exh_06111999_ecclesia-in-asia_en.html

अध्याय एक

Evangelicals estimates

http://prevetteresearch.net/wp-content/uploads/image/all/The%20Church%20in%20India.pdf

Catholic population 2012

http://www.v4trichur.com/sites/default/files/directory_2012_page_415-426.pdf

CNI cennsus

http://geoconger.wordpress.com/2010/04/22/church-wide-census-begins-in-india-the-church-of-england-newspaper-april-16-2010-p-8/

Non denominational Churches

http://naicindia.in/

Rajendran statement

http://www.imaindia.org/Magazines/IndianMissions/July-September2010.pdf

अध्याय दो

Catholic information

http://www.ucanews.com/diocesan-directory/html/India.php

people employed by IMA

July September 2010 issue of Indian Missions,www.imaindia.org

CNI and CSi activities

http://www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/Outputs/ReligionDev_RPC/India religions_and_development_01.pdf

Seventh Day Adventist educational institutes

http://circle.adventist.org/files/jae/en/jae200567054804.pdf

San Diego Preist salary

http://www.diocese-sdiego.org/Handbook/Handbook_PDFs/Priests2.pdf

Tuticorin Diocese

http://www.tuticorindiocese.com/instpriest.htm

Bishop salary in the west

http://archive.wfn.org/1999/03/msg00162.html

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/bishop-may-lose-his-job-but-not-his-salary-or-his-standing-in-the-church-14590816.html

Priest salary and Church funds

http://www.bangalorearchdiocese.com/sites/all/themes/businessconnect/pdf/Circular%20No%2092%20english.pdf

Mizoram Church fund information

http://www.pts.edu/UserFiles/File/PDFs/McClure%203%20Thinking%20Small.pdf

St. Andrew's Inter College, Gorakhpur Versus State of U.P.

http://indiankanoon.org/doc/1443950/

Diocese of Kumbakonam

http://www.dioceseofkumbakonam.org/june_2012.pdf

Saint jerom Catholic Church

http://mha.nic.in/fcraweb/fc3_verify.aspx?RCN=052910045R&by=2006-2007

Real Estate of Church

http://www.thehindu.com/2004/12/12/stories/2004121201381600.htm

www.cnisynod.org/CNIMay.pdf

http://indiankanoon.org/doc/1982372/

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-04-04/kochi/31287166_1_plots-thrissur-udf

http://www.dgde.gov.in/sites/default/files/lands/Land%20Policy%20on%20Churches%2003.08.1965.pdf

http://indiankanoon.org/doc/70547073/

Controversies of real estate

http://www.expressindia.com/latest-news/seventh-day-adventist-members-against-church-land-sale/286101/

http://www.ucanindia.in/news/bishop-arrested-for-land-sale/17230/daily

http://m.mumbaimirror.com/index.aspx?Page=article&sectname=News%20-%20City&sectid=2&contentid=20070619022659109 83aba070

Controversies about funds

http://geoconger.wordpress.com/2011/06/04/briefly-noted-criminal-indictment-handed-down-against-bishop-dorai-the-church-of-england-newspaper-june-3-2011-p-8/

http://geoconger.wordpress.com/2009/10/27/indian-church-chief-arrested-in-fraud-investigation-cen-10-23-09-p-8/

http://geoconger.wordpress.com/2012/06/25/indian-bishop-suspended-for-corruption-the-church-of-england-newspaper-june-24-2012/

http://geoconger.wordpress.com/2012/06/12/church-of-south-india-trust-association-fails-government-audit-the-church-of-england-newspaper-june-10-2012-p-6/

http://www.deccanherald.com/content/16533/church-funds-equal-indian-navys.html

Gospel for Asia

http://starpas.azcc.gov/scripts/cgiip.exe/WService=wsbroker1/corp-detail.p?name-id=F15609367

http://www.indianexpress.com/story-print/323561/

World vision

http://foreignaffairs.house.gov/112/hill090811.pdf

http://indiankanoon.org/doc/13898916/

http://www.justice.gov/olc/2007/worldvision.pdf

http://www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/08/23/08-35532.pdf
http://www.lausanne.org/docs/Lausanne-Info-Sheet.pdf
http://www.abc.net.au/foreign/video_archive_2008.htm
http://boboy.net/2008/11/world-vision-a-huge-big-fraud/
http://www.abc.net.au/foreign/World_Vision_Response.htm
Action Aid
http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/231_1_work_ngo.pdf
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/aai_annualreport2010_finalnarrative_agmapproved_4aug2011.pdf
http://tlhrc.house.gov/docs/transcripts/2012_3_21_South%20Asia/Angana%20Chatterji%20Testimony.pdf
http://www.actionaidindia.org/download/Annual_Report_AA_India_2006.pdf is now available through Google quick view
actionaidindia.org/download/Shadow_Report_Final.pdf Now available through Google Cache
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2036307,00.html
http://www.icongo.in/Founders_interview.html

CASA

CASA Annual report 2010 at Google Catche
http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/india.pdf

CARITAS

http://www.caritasindia.org/MiscelImg/Caritas2011.pdf
www.caritasindia.org/global%20strategy.doc
http://www.ncregister.com/site/article/caritas-accepts-new-statutes/

अध्याय तीन

Letter of Bishop of Bongaigaon

http://www.dioceseofgfb.org/userfiles/file/Diocese%20of%20Bongaigaon.pdf

CSI in conversion

www.csisynod.com/Admin/event/78_malayora%20mission.pdf

world vision in evangelisation

http://www.lausanne.org/en/documents/lops/59-lop-14.html

http://www.lausanne.org/docs/lau2docs/314.pdf

methods of conversion

http://news.adventist.org/en/archive/articles/2006/10/17/india-church-encourages-members-to-sponsor-childs-education

www.bethesdaipc.org/childcare.html

http://www.gladtidingsindia.org/history.php

December 2010 newsletter http://www.gladtidingsindia.org/

http://www.adventistworld.org/issue.php?id=214&action=print

http://news.adventist.org/en/archive/articles/2002/03/05/women-conduct-groundbreaking-outreach-program-in-india

http://www.iowamissions.com/

www.imst.co.in/IMS%20EnglishFeb.pdf

http://ramajeya03.blogspot.in/2010/08/first-fruits-in-tamil-nadu.html

http://thetide.org/updates/the-tide-radio-ministry-leads-to-baptism-in-india

http://www.normisjon.no/index.php?kat_id=356&art_id=10889

http://news.adventist.org/en/archive/articles/2004/12/21/india-missions-local-focus-yield-new-lasting-commitments

http://goaim.org/features/grow-the-family/

http://goaim.org/briefs/update-india-project/

http://hindu.com/2002/08/25/stories/2002082502160500.htm

quantifiying the conversions and previous studies

http://www.scribd.com/doc/1032610/Conversions

indrajaveda.files.wordpress.com/2009/05/crusadeap.doc

http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Partner%20panel/India%20-%20Dino%20Touthang.pdf

http://www.vishwavani.org/

http://news.adventist.org/en/archive/articles/2001/01/23/tens-of-thousands-respond-to-christian-message-in-india

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XRFHdXZ

s_lk
http://www.adventistreview.org/2005bulletin/bulletin6-4.html
http://www.imaindia.org/challenges/main.htm
http://www.bsind.org/FAQ_bible%20bociety.html
Adventist yearbook 2000
http://www.adventistarchives.org/docs/YB/YB2000__B/index.djvu
Adventist yearbook 2011
http://www.adventistarchives.org/docs/YB/YB2011.pdf

अध्याय चार

Liberia case

http://www.fbi.gov/washingtondc/press-releases/2010/wfo111610a.htm
http://www.justice.gov/usao/dc/news/2011/apr/11-163.pdf

Evangelicals in power elite

http://www.owlnet.rice.edu/~dml1/Evangelicals%20in%20the%20Power%20Elite.pdf

Axay India

http://www.ngotbconsortiumindia.org/axshya.html

Obama meets evangelicals

http://www.huffingtonpost.com/2011/10/12/obama-evangelical-summit-white-house_n_1008005.html?ncid=edlinkusaolp00000003

Barjer study world vision

http://www.swans.com/library/art15/barker39.html

Unclassified document

http://www.state.gov/documents/organization/166226.pdf

Action Aid and Uk Govt.

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmdfence/224/224we06.htm

Tuticorin diocese

http://www.ucanindia.in/news/order-freezing-tuticorin-diocese%E2%80%99s-account-stayed/18131/daily